

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख मार्च, 2018

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लेखा मानकों को राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, "उपाबंध" में, शीर्षक "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)" के अधीन, -

I. "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101" में,-

(i) अनुच्छेद 33 के पश्चात्, निम्नलिखित सम्मिलित किये जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि

34	*
35	*
36	*
37	*
38	*
39	*
39क	*
39ख	*
39ग	*
39घ	*

* देखें परिशिष्ट 1

- 39ड *
- 39च *
- 39छ *
- 39ज *
- 39झ *
- 39ञ *
- 39ट *
- 39ठ *
- 39ड *
- 39ढ *
- 97ण *
- 39त *
- 39थ *
- 39द *
- 39ध *
- 39न *
- 39प *
- 39फ *
- 39ब *
- 39भ भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद घ1(ड), (प), घ22 तथा घ33 के पश्चात् शीर्षक में संशोधन किया है, अनुच्छेद घ34 से घ35 को जोड़ा गया है तथा 'ग्राहकों से आस्तियों का अन्तरण' से संबंधित पूर्व अनुच्छेद घ36 को हटाया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।
- 39म *
- 39य *
- 39कक *
- 39कख *

39कग भारतीय लेखा मानक 21 के परिशिष्ट ख, *विदेशी-मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल*, ने विदेशी-मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल से संबंधित अनुच्छेद घ36 को सम्मिलित किया है तथा अनुच्छेद घ1 की मद (फ) को मद (पक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया है तथा नई मद (फ) सम्मिलित की है । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”

(ii) परिशिष्ट घ में -

(क) अनुच्छेद घ1 में,

(i) मद (ड) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ड) भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट-घ *सेवा रियायत व्यवस्थाएं* के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ (अनुच्छेद घ22)”

(ii) मद (प) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(प) राजस्व (अनुच्छेद घ34-घ35);”;

(iii) मद (फ) को मद (पक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद के पश्चात् निम्नलिखित मद सम्मिलित की जाएगी, अर्थात्:-

“(फ) विदेशी-मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल (अनुच्छेद घ36)।”;

(ख) अनुच्छेद घ21क के पश्चात् आने वाले शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट घ, *सेवा रियायत व्यवस्थाएं* के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ”

(ग) घ22 में आरंभिक भाग में, शब्द एवं अक्षर “भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट क” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द एवं अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

“भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट घ”

(घ) अनुच्छेद घ33 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“राजस्व

घ34क प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद ग5 में संक्रमणकालीन उपबंधों का प्रयोग कर सकता है। इन अनुच्छेदों में ‘प्रारंभिक प्रयोग की तिथि’ के संदर्भ

की व्याख्या प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ रूप में की जाएगी। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता उन संक्रमणकालीन उपबंधों के प्रयोग का निर्णय लेता है तो वह भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद ग6 का भी प्रयोग करेगा।

घ35 प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा उन अनुबंधों का पुनर्कथन करना अपेक्षित नहीं है जो प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के पहले पूरे हो गए थे। एक पूरा किया हुआ अनुबंध वह अनुबंध है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार पहचान की गई सभी वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित कर दिया है।”;

(ड) अनुच्छेद घ36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विदेशी-मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल

घ36. प्रथम बार अंगीकर्ता के लिए भारतीय लेखा मानक 21 के परिशिष्ट ख, *विदेशी-मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल* को उन आस्तियों, व्ययों एवं आय पर लागू करना आवश्यक नहीं है जो उस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में आती हैं, परन्तु, उनकी प्रारंभिक मान्यता भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण तिथि के पहले है।”;

(iii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 14 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“14 अनुच्छेद 34 से 39ब तथा 39म से 39कख भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, 'आई एफ आर एस' 1 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 101 में जारी रखा गया है।”;

II. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 103” में-

(i) अनुच्छेद 56 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“56 प्रारंभिक मान्यता के उपरान्त और जब तक दायित्व का निपटान नहीं हो जाता या वह रद्द या समाप्त नहीं हो जाता, अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में मान्य आकस्मिक दायित्व का माप निम्नलिखित में जो राशि अधिक है उस पर करेगा: -

(क) वह राशि जो कि भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होती है, और

(ख) प्रारंभ में मान्य राशि में से, यदि उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचित राशि घटाकर शेष राशि।

यह अपेक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा किये जाने वाले अनुबंधों पर लागू नहीं होती है।”

(ii) अनुच्छेद 63 के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किये जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि

64	*
64क	*
64ख	*
64ग	*
64घ	*
64ङ	*
64च	*
64छ	*
64ज	*
64झ	*
64ञ	*

64ट भारतीय लेखा मानक 115, के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 56 संशोधित किया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।

(iii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 4 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5. अनुच्छेद 64 से 64ञ भारतीय लेखा मानक 103 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि वे प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, ‘आई एफ आर एस’ 3 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 103 में जारी रखा गया है।”;

* देखें परिशिष्ट 1

III. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 104” में,

(क) अनुच्छेद 4 में,-

(i) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(क) एक निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी उत्पाद वारंटियां (देखें भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व एवं भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां)”;

(ii) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“(ग) अनुबंधात्मक अधिकार अथवा अनुबंधात्मक बाध्यताएं जो एक गैर वित्तीय मद के भावी उपयोग अथवा उपगोय के अधिकार (उदाहरण के लिए, कुछ लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टियां, आकस्मिक पट्टा भुगतान तथा इसी प्रकार की अन्य मदें) तथा इसी तरह एक वित्त पट्टे में पट्टाधारी की सन्निहित सन्निहित अवशिष्ट मूल्य गारंटी पर आकस्मिक हैं। (देखें भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व एवं भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियां)”;

(ख) अनुच्छेद 39क के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि

40 *

41क *

41ख *

41ग *

41घ *

41ङ *

41च *

41छ भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, के जारी होने के कारण, अनुच्छेद 4(क) तथा (ग), ख7(ख), ख18(ज) तथा ख21 संशोधित किए गए हैं। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।

* देखें परिशिष्ट 1

(ग) परिशिष्ट ख में,-

(क) अनुच्छेद ख7 की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“(ख) यदि भारतीय लेखा मानक 115 लागू होता है तो सेवा प्रदानकर्ता के राजस्व को तब (या जब) मान्यता देगा जब वह ग्राहक को सेवाएं अन्तरित करता है (लेकिन तभी जब विनिर्दिष्ट मानदण्ड पूरा हो जाता है)। वह दृष्टिकोण इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अंतर्गत भी स्वीकार्य है जो सेवा प्रदानकर्ता को (i) इन अनुबंधों के लिए इसकी विद्यमान लेखा नीतियों को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक वे अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध व्यवहार में लिप्त न हो तथा (ii) इसकी लेखा नीतियों में सुधार के लिए अनुमति देता है बशर्ते ऐसा अनुच्छेद 22 से 30 के द्वारा अनुमति है।”;

(ख) अनुच्छेद ख18 में मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

“(ज) उत्पाद वारंटियां। निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे गए माल के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा जारी उत्पाद वारंटियां इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के कार्य क्षेत्र के अंदर आती हैं। तथापि, निर्माता, डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा सीधे जारी की गई उत्पाद वारंटियां इसके कार्यक्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 115 तथा भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं।”;

(ग) अनुच्छेद ख21 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख21 यदि अनुच्छेद ख19 में वर्णित अनुबंध वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों को सृजित नहीं करते हैं तो भारतीय लेखा मानक 115 लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता तभी दी जाती है जब (या तब) एक प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अन्तरण के बाद प्रतिफल के रूप में राशि के लिए अपने कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है, जिसके हक की वह प्रतिष्ठान आशा करता है।”;

(घ) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4 अनुच्छेद 40 से 41च भारतीय लेखा मानक 104 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि वे प्रभावी तिथि से संबंधित है जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, ‘आई एफ आर एस’ 4 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 104 में जारी रखा गया है।”;

IV. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107” में:-

(i) अनुच्छेद 5क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“5क अनुच्छेद 35क से 35ढ में ऋण जोखिम की प्रकटन अपेक्षाएं उन अधिकारों पर लागू होती हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व*, यह विनिर्दिष्ट करता है कि उनका लेखा क्षतिग्रस्तता के लाभों या हानियों की मान्यता के प्रयोजन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का अनुसरण किया जाता है। इन अनुच्छेदों में वित्तीय आस्तियों या वित्तीय लिखतों के प्रति कोई संदर्भ इन अधिकारों में तब तक शामिल रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।”;

(ii) परिशिष्ट ग में अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2 परिशिष्ट घ, *सेवा रियायत व्यवस्थाएं* भारतीय लेखा मानक 115 *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* में समाविष्ट”;

V. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109” में-

(i) अनुच्छेद 2.1 की मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ज) भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अधिकार एवं वाध्यताएं जो वित्तीय लिखतें हैं, लेकिन, उनको छोड़कर जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, इस मानक के अनुसार लेखा करने का उल्लेख करता है।”;

(ii) अनुच्छेद 2.2. के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रति-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“2.2 इस मानक की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं उन अधिकारों के लिए लागू होंगी जिनके लिए भारतीय लेखा मानक 115 यह उल्लेख करता है, और जिन्हें क्षतिग्रस्तता हानियों या लाभों की मान्यता के प्रयोजनों से इस मानक के अनुसार लेखांकित किया जाता है।”;

(iii) अनुच्छेद 4.2.1 की

(क) मद (ग) की उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

“(ii) प्रारम्भिक मान्य राशि (देखें अनुच्छेद 5.1.1) में से, जब उपयुक्त हो, भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर।”;

(ख) मद (घ) की उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ii) प्रारम्भ में मान्य राशि (देखें अनुच्छेद 5.1.1) में से, जब उचित हो, भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर।”;

(iv) अनुच्छेद 5.1.1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5.1.1 प्रारम्भिक मान्यता पर, अनुच्छेद 5.1.3 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्राप्य व्यापार राशियों को छोड़कर, प्रतिष्ठान, ऐसे मामले में जब वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का इसके उचित मूल्य में से उन लेन-देन लागतों का मूल्य जमा या घटाकर माप करेगा जो वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अधिग्रहण या निर्गम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है।”;

(v) अनुच्छेद 5.1.2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5.1.3 अनुच्छेद 5.1.1 में की गई अपेक्षा के बावजूद, प्रारम्भिक मान्यता पर, प्रतिष्ठान व्यापार से प्राप्य राशियों को उनके लेन-देन की कीमत पर मापेगा (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 115 में परिभाषित है)। यदि व्यापार की प्राप्य राशि में भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है (या प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 63 के अनुसरण में वह व्यवहारिक उपाय के रूप में लागू करता है)।”;

(vi) अनुच्छेद 5.5.1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“5.5.1 प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति जिसे अनुच्छेद 4.1.2 या 4.1.2क के अनुसार मापा जाता है, पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ते को मान्यता देगा तथा पट्टा से प्राप्य राशि, अनुबंध आस्ति या ऋण वचनबद्धता और वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन पर अनुच्छेद 2.1(छ), 4.2.1(ग) या 4.2.1(घ) के अनुसार क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं लागू होती हैं, को मान्यता देगा।”;

(vii) अनुच्छेद 5.5.15 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5.5.15 अनुच्छेद 5.5.3 तथा 5.5.5 के बावजूद एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के लिए हानि रियायत को सदैव आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापेगा:

(क) व्यापार से प्राप्य राशियां या अनुबंध आस्तियां, जिसका जो भारतीय लेखा मानक 115 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लेने-देनों के परिणामस्वरूप हैं, तथा :

(i) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाविष्ट नहीं है (या जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 63 के लिए व्यावहारिक उपाय का प्रयोग करता है); अथवा

(ii) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाविष्ट है, यदि प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने को अपनी लेखा नीति के रूप में चयन करता है। वह लेखा नीति सभी व्यापार से प्राप्य राशियों या अनुबंध आस्तियों पर लागू होगी किंतु वह व्यापार प्राप्य राशियों तथा अनुबंध आस्तियों के लिए पृथक से लागू हो सकती है।

(ख) पट्टे पर प्राप्य राशियां जो उन लेने-देनों के परिणामस्वरूप होती हैं जो भारतीय लेखा मानक 17 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यदि प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने को अपनी लेखा नीति के रूप में चयन करता है। वह लेखा नीति पट्टे से प्राप्य सभी राशियों पर लागू होगी किंतु वह वित्तीय तथा परिचालन पट्टा प्राप्य राशियों के लिए पृथक से लागू हो सकती है।”;

(viii) अध्याय 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अध्याय 7 प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

प्रभावी तिथि (खंड 7.1)

7.1.1 *

7.1.2 *

7.1.3 *

7.1.4 भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के जारी होने के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 2.1, 2.2, 4.2.1, 5.1.1, 5.5.1, 5.5.15, परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख संशोधित किये गये हैं। अनुच्छेद 5.1.3 एवं एक परिभाषा परिशिष्ट क में जोड़ी गयी है। एक प्रतिष्ठान जब भी इस भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(ix) परिशिष्ट क में -

(क) 'वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत' परिभाषा के बाद 'अनुबंधात्मक आस्तियां' की निम्नलिखित परिभाषा सम्मिलित की गयी है, अर्थात् -

“**अनुबंधात्मक आस्तियां** वे अधिकार जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* निर्दिष्ट करता है कि क्षतिग्रस्त लाभों या हानियों की मान्यता व माप के प्रयोजनों के लिए इस मानक के अनुसार लेखांकित किया है।”;

(ख) 'लेनदेन लागतें' परिभाषा के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

निम्नलिखित पद भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 11, भारतीय लेखा मानक 107 के परिशिष्ट 'क', भारतीय लेखा मानक 113 के परिशिष्ट 'क' या भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट 'क' में परिभाषित की गयी है और इस मानक में भारतीय लेखा मानक 32, भारतीय लेखा मानक 107, भारतीय लेखा मानक 113 अथवा भारतीय लेखा मानक 115 यथा उल्लिखित अर्थों में प्रयुक्त किया गया है:

(क) ऋण जोखिम¹;

(ख) इक्विटी लिखत;

(ग) उचित मूल्य;

(घ) वित्तीय आस्ति;

* देखें परिशिष्ट 1

¹ इस शब्दावली को (भारतीय लेखा मानक 107 में यथा परिभाषित) लाभ या हानि (देखें अनुच्छेद 5.7.7) द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट दायित्वों पर ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करने की अपेक्षाओं में प्रयुक्त किया गया है।

- (ड) वित्तीय लिखत;
- (च) वित्तीय दायित्व;
- (छ) लेनदेन कीमता”;

(x) परिशिष्ट ख में-

(1) अनुच्छेद ख2.2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख2.2 यह मानक उन रॉयल्टी समझौतों से सम्बन्धित अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं करता है जो कि बिक्रियों अथवा सेवा राजस्वों के आकार पर आधारित है जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए एस) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अन्तर्गत किया जाता है।”;

(2) अनुच्छेद ख2.5 में-


(i) मद (क) की उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ii) भारतीय लेखा मानक 115 [देखें अनुच्छेद 4.2.1(ग)] के सिद्धांतों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि, जब उचित हो, को घटाकर प्रारम्भ में मान्य राशि है।”;

(ii) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) यदि माल की बिक्री के सम्बन्ध में कोई वित्तीय गारंटी अनुबंध जारी किया जाता है तो जारीकर्ता यह निर्धारित करने के लिए कि कब गारंटी तथा वस्तु की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाये भारतीय लेखा मानक 115 को लागू करता है।”;

(3) अनुच्छेद ख3.2.1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 “ख3.2.1 निम्नलिखित प्रवाह चार्ट उदाहरण सहित यह मूल्यांकन दर्शाता है कि क्या वित्तीय
 आस्ति को अमान्य किया गया है अथवा नहीं और किस सीमा तक।



(4) अनुच्छेद ख3.2.13 की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(क) यदि अन्तरित आस्ति पर प्रदान चूक हानियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान करने हेतु दी गई गारंटी, निरंतर सम्मिलित होने की सीमा तक अन्तरित आस्ति के अमान्य होने से रोकती है, तो अन्तरण की तिथि पर अन्तरित आस्ति का माप (i) आस्ति की अग्रणीत राशि और (ii) अन्तरण में प्राप्त प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे अदा करने के लिए प्रतिष्ठान से अपेक्षा होती है (गारंटी राशि), इन दोनों में, जो कम है उस पर की जाती है। संबंधित दायित्व का माप प्रारम्भिक तौर पर गारंटी के उचित मूल्य और गारंटी राशि पर किया जाता है (जो कि आमतौर पर गारंटी के लिए प्राप्त प्रतिफल है)। तदनन्तर, गारंटी के प्रारम्भिक उचित मूल्य को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है (अथवा के रूप में) दायित्व पूरा हो जाता है (भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार) और आस्ति की अग्रणीत राशि किसी भी हानि की रियायत द्वारा कम हो जाती है।”;

(5) अनुच्छेद ख5.4.3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख5.4.3 ऐसे शुल्कों में, जो वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज-वार के अभिन्न अंग नहीं हैं और जिनका भारतीय लेखा मानक 115 द्वारा लेखा किया जाता है, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) ऋण की सेवा (सर्विस) के लिए वसूल शुल्क;

(ख) ऋण देने के लिए वचनबद्धता शुल्क जबकि ऋण वजनबद्धता अनुच्छेद 4.2.1(क) के अनुसरण में मापी न जाती हो और इसकी कोई संभावना नहीं है कि एक विशिष्ट ऋण प्रबंध प्रारंभ किया जाएगा; और

(ग) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त ऋण सहभागिता शुल्क। इसमें प्रतिष्ठान ऋण का प्रबंध करता है, लेकिन, अपने लिए ऋण पैकेज का कोई भाग नहीं रखता (या फिर अन्य सहभागियों के समान (तुलनीय) जोखिम के लिए उसी प्रभावी ब्याज-दर पर एक भाग रखा लेता है)।”;

(xi) परिशिष्ट ड में अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. परिशिष्ट घ, सेवा रियायत व्यवस्थाएं, भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, में समाविष्ट।”;

(xii) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3 अनुच्छेद 7.1.1 से 7.1.3 भारतीय लेखा मानक 109 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, 'आई एफ आर एस', 9 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 109 में जारी रखा गया है।”;

VI. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)112” में:-

(i) अनुच्छेद 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5क. अनुच्छेद ख17 में वर्णित को छोड़कर, इस भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान के लिए अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध हितों पर लागू होती हैं जो भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन*, के अनुसार बिक्री के लिए धारित अथवा गैर-चालू परिचालनों के रूप में वर्गीकृत हैं (अथवा वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित हैं)।”;

(ii) परिशिष्ट ख में, अनुच्छेद ख17 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख17. जब एक प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, एक संयुक्त उद्यम या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित (या एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में इसके हित का एक भाग) भारतीय लेखा मानक 105, अथवा वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित हैं, के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (अथवा वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित है), तो प्रतिष्ठान को अनुच्छेद ख10 से ख16 के अनुसरण में उस अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।”;

(iii) परिशिष्ट 'ख' के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट - ग प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है और इसका वहीं प्राधिकार है जो इस भारतीय लेखा मानक के अन्य अंगों का है।

प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

ग1 *

ग1क *

ग1ख *

ग1ग *

ग1घ भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार - भारतीय लेखा मानक 112 एवं 28 में संशोधन के अंतर्गत, अनुच्छेद 5क को जोड़ा गया है तथा अनुच्छेद ख17 को संशोधित किया गया है। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, के अनुसार उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2018, को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए पूर्व प्रभाव से लागू करेगा।”;

(iv) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. परिशिष्ट ‘ग’ के अनुच्छेद ग1 से ग1ग सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि एवं संक्रमण से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, ‘आईएफआरएस12’ के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ,अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 112 में जारी रखा गया है।”;

VII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)114” के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“भारतीय लेखा मानक 115,

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं और दोनों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य उन सिद्धान्तों को स्थापित करना है जिन्हें एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व अथवा नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय तथा अनिश्चितता के बारे में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उपयोगी सूचना रिपोर्ट करते समय लागू करेगा।

उद्देश्य की पूर्ति

2. अनुच्छेद 1 में दिये गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस मानक का मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रतिष्ठान ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तरण को दर्शाने के लिए राजस्व

* देखें परिशिष्ट 1

की उस राशि को मान्यता देगा जो उस प्रतिफल को प्रतिबिंबित करेगा जिसका प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की आशा करता है।

3. प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते समय अनुबंध की शर्तों तथा सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थियों पर विचार करेगा। प्रतिष्ठान समान विशेषताओं वाले अनुबंधों को तथा समान परिस्थियों में इस मानक तथा व्यवहारिक युक्तियों को संयंत्र रूप से लागू करेगा।
4. यह मानक एक ग्राहक के साथ किए गए एक अनुबंध के लिये लेखांकन का उल्लेख करता है। तथापि, व्यवहारिक उपाय के रूप में, प्रतिष्ठान समान विशेषताओं वाले अनुबंधों या (कार्य-निष्पादन बाध्यताओं) के संविभाग में इस मानक को लागू कर सकता है यदि प्रतिष्ठान तर्कसंगत रूप से अपेक्षा करता है कि संविभाग में इस मानक के प्रयोग करने से वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों का इस मानक का संविभाग के अंतर्गत पृथक अनुबंधों (या कार्य-निष्पादन बाध्यताओं) पर प्रयोग करने से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होगा। संविभाग के लिये लेखा करते समय, प्रतिष्ठान उन प्राक्कलनों एवं अनुमानों का प्रयोग करेगा जो संविभाग के आकार एवं संरचना को प्रतिबिंबित करेंगे।

कार्यक्षेत्र

5. प्रतिष्ठान निम्नलिखित को छोड़कर, ग्राहकों के साथ किये गए सभी अनुबंधों में इस मानक को लागू करेगा :
 - (क) भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे*, के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पट्टा अनुबंध;
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध*, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंध;
 - (ग) भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण*, भारतीय लेखा मानक 111, *संयुक्त व्यवस्थाएं*, भारतीय लेखा मानक 27, *पृथक वित्तीय विवरण* तथा भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश* कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय लिखतों और अन्य अनुबंधात्मक अधिकारों अथवा बाध्यताओं; तथा
 - (घ) ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के साथ बिक्रियों को सरल बनाने के लिए एक ही प्रकार के व्यवसाय में प्रतिष्ठानों के बीच गैर-मौद्रिक विनिमय। उदाहरण के लिए, यह मानक दो तेल कंपनियों के बीच उन अनुबंधों में लागू नहीं होगा जो समयबद्ध आधार पर विभिन्न विशिष्ट स्थानों में अपने ग्राहकों से मांग को पूरा करने हेतु तेल का विनिमय करने के लिए सहमत होती है।
6. प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध के लिए (अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध अनुबंध के अलावा) केवल तभी लागू करेगा यदि अनुबंध का प्रतिपक्ष (दूसरा पक्ष) ग्राहक है। ग्राहक एक पक्ष है जिसने उन वस्तुओं

एवं सेवाओं को जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद है; प्रतिफल के बदले में प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध का प्रतिपक्ष (दूसरा पक्षकार) ग्राहक नहीं होगा उदाहरण के लिए, यदि प्रतिपक्ष (दूसरा पक्षकार) ने प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद प्राप्त करने के बजाय उस गतिविधि या प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकार (पार्टियां उन जोखिमों तथा लाभों में सहभागी होते हैं जो गतिविधि या प्रक्रिया के फलस्वरूप होती हैं, (जैसे कि सहयोग व्यवस्था में आस्ति निर्मित (विकसित) करना) परिणाम होता है।

7. ग्राहक के साथ किया गया अनुबंध अंशतः इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंदर तथा अंशतः अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध अन्य मानकों के कार्यक्षेत्र के अंदर हो सकते हैं।

(क) यदि अन्य मानक विशिष्ट उल्लेख करता है कि अनुबंध के एक या अधिक भागों को कैसे पृथक किया जाए और/या प्रारंभ में कैसे मापा जाए, तो प्रतिष्ठान उन मानकों में पहले पृथक्करण और/या माप के लिए उन मानकों की अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा। प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत से अनुबंध के उस भाग (या भागों) की राशि को अलग करेगा जो प्रारंभ अन्य मानकों के अनुरूप मापे गए हैं तथा अनुच्छेद 73-86 को लेन-देन कीमत की उस राशि के आवंटन के लिए प्रयोग करेगा जो इस मानक के कार्यक्षेत्र तथा अनुच्छेद 7(ख) द्वारा चिन्हित अनुबंध के किसी दूसरे भागों के अंदर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के शेष, (यदि कोई हो), रह जाती है।

(ख) यदि दूसरा मानक विशिष्ट उल्लेख नहीं करता है कि अनुबंध के एक या अधिक भागों को कैसे पृथक किया जाए और/या प्रारंभ में कैसे मापा जाए तो प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध के भाग (या भागों) को पृथक करने और/या प्रारंभ में मापने के लिए प्रयोग करेगा।

8. यह मानक ग्राहकों के साथ अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों के लिए तथा ग्राहकों के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च किए गए लागतों हेतु लेखांकन का विशिष्ट उल्लेख तभी करता है यदि वे लागतें दूसरे मानकों (देखें अनुच्छेद 91-104) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती हैं। प्रतिष्ठान उन अनुच्छेदों को केवल उन लागतों के लिए लागू करेगा जो ग्राहकों के साथ अनुबंध (या उस अनुबंध के भाग) से संबंधित होती हैं तथा इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्दर आती हैं।

मान्यता

अनुबंध की पहचान

9. एक प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के लिये लेखा करेगा जो कि निम्नलिखित सभी मानदण्डों के पूरा होने पर ही इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है :

(क) अनुबंध के पक्षकारों (पार्टियों) ने अनुबंध को (लिखित में, मौखिक रूप से या अन्य प्रचलित कारोबारी प्रथाओं के अनुसार) अनुमोदित कर दिया है तथा अपने संबंधित बाध्यताओं के निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) प्रतिष्ठान अन्तरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों को पहचान सकता है;

(ग) प्रतिष्ठान अन्तरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान शर्तों को पहचान सकता है;

(घ) अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व हो (अर्थात् जोखिम, समय अथवा प्रतिष्ठान के भावी नकद प्रवाह की राशि में अनुबंध के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने की संभावना हो); और

(ङ) यह संभाव्य है कि प्रतिष्ठान उस प्रतिफल को एकत्र करेगा जिसका वह ग्राहकों को अंतरण की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होगा। प्रतिफल के एकत्रीकरण की क्षमता संभाव्य है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठान केवल उस समय ग्राहक के सामर्थ्य एवं इरादे पर विचार करेगा जब प्रतिफल की राशि भुगतान के लिये देय होती है। प्रतिफल की वह राशि जिसका प्रतिष्ठान हकदार होगा, अनुबंध में उल्लिखित कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल इसलिए परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रतिष्ठान ग्राहक को कीमत में रियायत का प्रस्ताव दे सकता है (देखें अनुच्छेद 52)।

10. अनुबंध दो या अधिक पार्टियों (पक्षकार) के बीच एक करार होता है जो प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं का सृजन करता है। अनुबंध में अधिकारों एवं बाध्यताओं की प्रवर्तनीयता कानून का विषय है। अनुबंध लिखित, मौखिक या प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा निहित हो सकता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों को स्थापित करने के लिए प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं में कानून क्षेत्राधिकारों, उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में सभी स्तरों पर अन्तर होते हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें प्रतिष्ठान के अन्तर्गत भी अन्तर हो सकते हैं (उदाहरणार्थ, वे ग्राहक की श्रेणी या वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति पर आश्रित हो सकते हैं) यह निर्धारित करने के लिये कि क्या और कब ग्राहकों के साथ किया गया करार प्रवर्तनीय अधिकारों तथा बाध्यताओं का सृजन करता है प्रतिष्ठान उन प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर विचार करेगा।

11. यह संभव है कि ग्राहकों के साथ किए गए कुछ अनुबंधों की कोई निश्चित समयावधि नहीं तथा वे किसी भी पार्टी (पक्ष) द्वारा कभी भी निरस्त या संशोधित किए जा सकते हैं। अन्य अनुबंधों का

उस आवधिक आधार पर स्वतः नवीकरण हो सकता है, जिसका अनुबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध की उस कालावधि (अर्थात् संविदागत अवधि) में प्रयोग करेगा जिसमें अनुबंध की पार्टियों (पक्षों) को वर्तमान प्रवर्तनीय अधिकार एवं बाध्यता होते हैं।

12. इस मानक का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए अनुबंध तथा विद्यमान नहीं माना जाएगा यदि अनुबंध से संबंधित प्रत्येक पार्टी (पक्ष) के अन्य पार्टी (पक्ष) (या पार्टियों) को क्षतिपूर्ति किए बिना पूर्णतः अनिष्पादित अनुबंध को समाप्त करने का एकतरफा प्रवर्तनीय अधिकार होता है। एक अनुबंध तब पूर्णतः अनिष्पादित होता है जब निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हैं :

(क) प्रतिष्ठान ने वचनबद्ध किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को अभी तक ग्राहक को अन्तरित नहीं किया है; तथा

(ख) प्रतिष्ठान ने अभी तक वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय स्वरूप कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है तथा अभी तक प्राप्त करने का हकदार नहीं हुआ है।

13. यदि ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिये गए मानदण्ड को अनुबंध के प्रारंभ में पूरा करता है, तो प्रतिष्ठान उन मानदण्डों को तब तक पूरा पुनर्निर्धारित नहीं करेगा जब तक कि तथ्यों एवं परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का संकेत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक की प्रतिफल अदा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण हास होता है तो प्रतिष्ठान इसका पुनर्निर्धारण करेगा कि क्या यह संभव है कि प्रतिष्ठान उस प्रतिफल की वसूली करेगा जिसका उन शेष वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिष्ठान हकदार होगा जिसे ग्राहक को अन्तरित किया जाएगा।

14. यदि ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करने के लिए अनुबंध का आंकलन करना जारी रखेगा कि अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड बाद में पूरे किए जाते हैं या नहीं।

15. जब ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, और प्रतिष्ठान ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है तब प्रतिष्ठान प्राप्त प्रतिफल को आय के रूप में केवल तभी मान्यता देगा जब निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटती है :

(क) प्रतिष्ठान की ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण के लिए कोई बाध्यता शेष नहीं रह गयी है तथा ग्राहक द्वारा वचनबद्ध सभी, या लगभग सभी, प्रतिफल प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं और गैर-वापसी योग्य हैं; या

(ख) अनुबंध समाप्त कर दिया गया है तथा ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल गैर-वापसी योग्य है।

16. प्रतिष्ठान ग्राहकों से प्राप्त प्रतिफल को दायित्व के रूप में तब तक मान्यता देगा जब तक अनुच्छेद 15 में दी गई कोई एक घटना नहीं घटती है या अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड बाद में पूरे नहीं हो जाते हैं (देखें अनुच्छेद 14)। अनुबंध से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आश्रित, मान्यता प्राप्त दायित्व प्रतिष्ठान के भविष्य में या तो वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण या प्राप्त प्रतिफल की वापसी के बाध्यता का निरूपण करता है। दोनों मामले में, दायित्व का माप ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि पर किया जाएगा।

अनुबंधों का संयोजन

17. प्रतिष्ठान एक ही ग्राहक (या ग्राहक की संबंधित पार्टियों (पक्षों) के साथ) एक ही समय में या एक ही समय के निकट किए गए दो या अधिक अनुबंधों का संयोजन करेगा तथा अनुबंधों को एक ही अनुबंध के रूप में लेखा करेगा यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदण्ड पूरे कर लिए जाते हैं :

(क) अनुबंधों को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ पैकेज के रूप में बेचा जाता है;

(ख) एक अनुबंध में अदा की जाने वाली प्रतिफल की राशि अन्य अनुबंध की कीमत या कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है; अथवा

(ग) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं (या अनुबंधों में से प्रत्येक में वचनबद्ध कुछ वस्तुएं या सेवाएं) की अनुच्छेद 22-30 के अनुसार एकल कार्य निष्पादन बाध्यता होती है।

अनुबंधों का संशोधन

18. अनुबंध संशोधन, अनुबंध के कार्यक्षेत्र या कीमत (या दोनों) में वह परिवर्तन होना है जो जिसे अनुबंध की पार्टियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कुछ उद्योगों और अधिकार क्षेत्रों में कि जाने वाले अनुबंध संशोधन को परिवर्तन आदेश, रूपान्तरण या संशोधन के रूप में वर्णित किया जाता है। अनुबंध संशोधन तब किया जाता है जब अनुबंध की पार्टियां (पक्षों) उस संशोधन को स्वीकृत करती हैं, जो या तो अनुबंध के विद्यमान प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन करता है या नये सृजित करता है। अनुबंध संशोधन से संबंधित के विद्यमान प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन करता है या नये सृजित करता है। अनुबंध संशोधन लिखित में, मौखिक करार द्वारा या प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा अन्तर्निहित रूप से अनुमोदित किया जा सकता है। यदि अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों) ने अनुबंध संशोधन को स्वीकृत नहीं किया है तो

प्रतिष्ठान विद्यमान अनुबंध में इस मानक का प्रयोग तब तक जारी रखेगा जब तक कि अनुबंध स्वीकृत नहीं हो जाता है।

19. अनुबंध संशोधन तब भी विद्यमान रह सकता है, जब भले ही अनुबंध के पक्षकारों (पार्टियों) में संशोधन के कार्यक्षेत्र या कीमत (या दोनों) के बारे में विवाद हो या पार्टियों ने अनुबंध के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया हो किन्तु कीमत में अभी भी तदनुसूची परिवर्तन को निर्धारित नहीं किए हों। यह निर्धारण करते समय कि अधिकारों और बाध्यताओं को, जिसे सृजित किया गया है या संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया है, प्रवर्तन योग्य है या नहीं, प्रतिष्ठान अनुबंध की शर्तों तथा अन्य साक्ष्यों सहित सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगा। यदि अनुबंध से संबंधित पक्षों (पार्टियों) ने अनुबंध के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किए हैं किन्तु कीमत में तदनुसूची परिवर्तन अभी तक नहीं किए हैं, तो प्रतिष्ठान संशोधन से उत्पन्न लेन-देन कीमत के परिवर्तन का अनुमान परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने पर अनुच्छेद 50-54 तथा परिवर्तनशील प्रतिफल का नियंत्रित (दबाव में) अनुमान लगाने पर अनुच्छेद 56-58 के अनुसार करेगा।

20. प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में लेखांकन करेगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हो :

(क) अनुबंध का कार्यक्षेत्र उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के जुड़ने के कारण बढ़ता है जो कि सुभिन्न हैं (देखें अनुच्छेद 26-30 के अनुसार); तथा

(ख) अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो प्रतिष्ठान के वचन दिए गये अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमतों तथा उन विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिफलित (प्रतिबिंबित) करने के लिए कीमतों में उचित समायोजन को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय मूल्य को ग्राहक द्वारा प्राप्त किये जाने वाले बट्टे के लिए समयोजित कर सकता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रतिष्ठान उन विक्रय संबंधी लागतों को वहन करेगा जो कि किसी नये ग्राहक को समान वस्तुओं या सेवाओं को बेचते समय वहन की जाती ।

21. यदि अनुबंध संशोधन को अनुच्छेद 20 के अनुसार पृथक अनुबंध के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन की तारीख को अन्तरित नहीं की गई वचनबद्ध वस्तुओं

या सेवाओं (अर्थात् शेष वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं) को निम्न में से जो भी लागू हो, उस तरह से लेखांकित करेगा:

(क) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएं अनुबंध संशोधन की तारीख को या पहले अन्तरित की गई वस्तुओं या सेवाओं से सुभिन्न हैं तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन का उसी तरह लेखा करेगा मानो यह विद्यमान अनुबंध की समाप्ति तथा नए अनुबंध का सृजन थे। शेष कार्य निष्पादन बाध्यताओं को (या अनुच्छेद 22(ख) के अनुसार शेष सुभिन्न वस्तुओं के लिए पता लगाए गए एकल कार्य निष्पादन बाध्यता को) आवंटित की जाने वाली प्रतिफल की राशि निम्नलिखित का योग होती है :

- (i) ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल (ग्राहक से पहले ही प्राप्त राशियों सहित) जिसे लेन-देन कीमत के प्राक्कलन में शामिल किया गया था तथा जिसे आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी; और
- (ii) अनुबंध संशोधन के भाग के रूप में वचनबद्ध प्रतिफल।

(ख) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएं सुभिन्न नहीं हैं तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन के लिए इस तरह से लेखा करेगा, मानो ये विद्यमान अनुबंध के भाग थे और इसलिए वे एकल कार्य निष्पादन बाध्यता का भाग बनते हैं जो अनुबंध संशोधन की तारीख को आंशिक रूप से पूरा किया गया है। लेन देन की कीमत पर तथा प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के पूर्णतः पूरा होने की प्रगति मापने के पैमाने पर अनुबंध संशोधन का जो प्रभाव होता है उसे अनुबंध संशोधन की तारीख को आय के समायोजन (या तो आय में वृद्धि होने या कमी होने) के रूप में मान्यता दी जाती है (अर्थात् आय का समायोजन संचयी कैच-अप (अलामकारी) के आधार पर किया जाएगा);

(ग) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएं (क) एवं (ख) का संयोजन हैं, तब प्रतिष्ठान संशोधित अनुबंध में पूरा नहीं किए गए (आंशिक रूप से पूरा नहीं किए सहित) कार्य निष्पादन बाध्यताओं पर उस संशोधन के प्रभाव को इस तरीके से हिसाब में लेगा जो इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के अनुरूप होता है।

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पहचान

22. अनुबंध के प्रारंभ में प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का आंकलन करेगा तथा ग्राहक को निम्न में से किसी को अन्तरित करने के प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करेगा :

(क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं सेवाओं का समूह (बंडल)) जो सुभिन्न है; या

(ख) सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला श्रजो मूलतः रूप से (तत्त्वतः) से वहीं हैं तथा जिसका ग्राहक को अन्तरित करने का समान तरीका है (देखें अनुच्छेद 23)।

23. सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखलाओं के ग्राहकों को अन्तरित करने का एक ही तरीका होता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हैं:

(क) श्रृंखलाओं में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा को जिसे प्रतिष्ठान ग्राहकों को अन्तरित करने का वचन देता है, समय के दौरान (समान्तर) कार्य निष्पादन बाध्यता बनने के लिए अनुच्छेद 35 में दिए गए मानदण्ड को पूरा करेगा; और

(ख) अनुच्छेद 39-40 के अनुसार, श्रृंखलाओं में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा को ग्राहकों को अन्तरित करने संबंधी कार्य निष्पादन बाध्यता को पूर्णतः पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान की प्रगति को मापने के लिए एक ही तरीका प्रयुक्त होगा।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों के वचन

24. आमतौर पर ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं या सेवाओं का उल्लेख करता है जिसे प्रतिष्ठान ग्राहकों को अन्तरित करने के लिए वचन देता है। फिर भी, यह संभव है कि ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंध में पहचान की गई कार्य निष्पादन बाध्यता उन वस्तुओं या सेवाओं तक सीमित नहीं हो, जिसका उस अनुबंध में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में उन वचनों को भी शामिल किया जा सकता है जो प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं, घोषित नीतियों या विशिष्ट विवरणों द्वारा निहित होते हैं अगर अनुबंध करने के समय वे वचन ग्राहकों की वैध अपेक्षाओं का सृजन करते हैं कि प्रतिष्ठान ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करेगा।

25. कार्य निष्पादन बाध्यताओं में वे गतिविधियां जिन्हें प्रतिष्ठान को अनुबंध पूरा करने के लिए अवश्य करना चाहिए, तब तक शामिल नहीं होती हैं जब तक कि वे गतिविधियां ग्राहक को वस्तु या सेवा को अन्तरित न करती हो। उदाहरण के लिए, सेवा प्रदाता को अनुबंध स्थापित करने के लिए

विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। उन कार्यों के निष्पादन से जब तक वह कार्य पूरे किए जाते हैं, ग्राहकों को सेवा का अन्तरण नहीं होता है। इसलिए, वे स्थापन संबंधी गतिविधियां कार्य निष्पादन बाध्यता नहीं है।

विशिष्ट वस्तुएँ या सेवाएँ

26. अनुबंध के आधार पर वचन दी गई वस्तुओं या सेवाओं में, निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं होती है :
- (क) प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री (उदाहरण के लिए, विनिर्माता कास्टाक);
 - (ख) प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की पुर्नबिक्री (उदाहरण के लिए खुदरा व्यापारी का व्यापारिक माल);
 - (ग) प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के अधिकारों की पुर्नबिक्री (उदाहरण के लिए, मूल के रूप में कार्य कर रहे प्रतिष्ठान द्वारा पुर्नबिक्रीत टिकट, जैसाकि अनुच्छेद ख34-ख38 में वर्णित है);
 - (घ) ग्राहक के लिए संविदागत रूप से सहमत कार्य (कार्यो) का निष्पादन करना;
 - (ङ) वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए तुरंत तैयार (तत्पर) रहने की सेवा देना (उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर को अनिर्दिष्ट आधुनिक बनाना (अपडेट करना) जिसे जब और यदि उपलब्ध है आधार पर दिया जाता है) या ग्राहक के लिए उन वस्तुओं या सेवाओं को तब उपलब्ध कराना, जब व जैसे ग्राहक उनके उपभोग का निर्णय ले।
 - (च) ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं अन्तरित करने के लिए दूसरी पार्टी के प्रबंध करने की सेवा देना (उदाहरण के लिए, दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, जैसाकि अनुच्छेद ख34-ख38 में वर्णित है);
 - (छ) भविष्य में दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं जिसे ग्राहक पुनर्विक्रय कर सकता है, या अपने ग्राहक को दे सकता है, के अधिकार मंजूर करना (उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान जब खुदरा व्यापारी को उत्पादबिक्री करता है, तब वह उस व्यक्ति को अतिरिक्त वस्तु या सेवा अन्तरित करने का वचन देता है जो खुदरा व्यापारी से उत्पाद खरीदता है);
 - (ज) ग्राहक कि ओर से आस्ति निर्माण, विनिर्माण या विकास करना;
 - (झ) लाइसेंस मंजूर करना (देना) अनुच्छेद ख52-ख63ख देखें); तथा
 - (ञ) अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए विकल्प मंजूर करना (जब वे विकल्प ग्राहक को ठोस अधिकार देते हैं, जैसाकि अनुच्छेद ख39- ख43 में वर्णित है)।

27. यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड को पूरे होते हैं, तब वह वस्तु या सेवा जिसके लिए ग्राहक को वचन दिया गया है, वह सुभिन्न है यदि निम्नलिखित दोनों मापदण्ड पूरे होते हैं :

(क) ग्राहक वस्तु या सेवा से या तो स्वयं अपने या अन्य स्रोतों के साथ लाभ उठा सकता जो ग्राहक को आसानी से उपलब्ध होते हैं, लाभ उठा सकता है (अर्थात् वस्तु या सेवा में सुभिन्न होने की क्षमता है);

(ख) ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करने के लिए प्रतिष्ठान का वचन अनुबंध में दिए गए अन्य वचनों से पृथक रूप से पहचान योग्य है (अर्थात् वस्तु या सेवा को अन्तरित करने का वचन अनुबंध के संदर्भ में सुभिन्न होता है)।

28. यदि वस्तु या सेवा का उपयोग, उपभोग, विक्रय उस राशि के लिए किया जा सकता है जो रद्दी के मूल्य के वृहत्तर (अधिकतर) है या इस तरह से रखा हुआ है जिससे आर्थिक लाभ मिलते (पैदा होते) हैं तो ग्राहक उस वस्तु या सेवा से अनुच्छेद 27(क) के अनुसार लाभ उठा सकता है। कुछ वस्तु या सेवा के लिए, ग्राहक उस वस्तु या सेवा से स्वयं अपने लिए लाभ उठा सकता है। अन्य वस्तुओं या सेवाओं के लिए, ग्राहक उस वस्तु या सेवा से केवल अन्य उपलब्ध स्रोतों के संयोजन में ही लाभ उठा सकता है। आसानी से उपलब्ध स्रोत वह वस्तु या सेवा है, जिसे अलग से बेचा जाता है (प्रतिष्ठान या दूसरे प्रतिष्ठान द्वारा) या वह स्रोत जिसे ग्राहक ने प्रतिष्ठान से (उन वस्तुओं या सेवाओं सहित जिसे प्रतिष्ठान ने अनुबंध के अधीन ग्राहक को पहले ही अन्तरित कर दिया होगा) या अन्य लेन-देनों या परिणामों से पहले ही प्राप्त कर लिया है। विभिन्न तथ्यों से यह साक्ष्य जुटाया जा सकता है कि ग्राहक वस्तु या सेवा से या तो अपने लिए स्वयं या अन्य आसानी से उपलब्ध स्रोतों के संयोजन में लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि प्रतिष्ठान नियमित रूप से वस्तु या सेवा को अलग-अलग बेचता है, यह सूचित (निर्दिष्ट) करेगा कि ग्राहक उस वस्तु या सेवा से अपना स्वयं का या अन्य आसानी से उपलब्ध स्रोतों के साथ लाभ प्राप्त कर सकता है।

29. यह आकलन करने के लिए कि अनुच्छेद 27(ख) के अनुसार प्रतिष्ठान का ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं अन्तरित करने का वचन अलग से पहचान योग्य हैं या नहीं, इसका उद्देश्य यह है कि यह निर्धारित किया जाए कि अनुबंध के संदर्भ वस्तुओं या सेवाओं को क्या एक-एक करके अन्तरित किया जाए या एक वस्तु या सेवा को या अनेक वस्तुओं या सेवाओं को एक साथ अन्तरित करने

में वचन की प्रकृति क्या है। ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को अन्तरित करने के दो या दो से अधिक वचनों को विनिर्दिष्ट करने के घटक कि वे अलग से पहचान योग्य नहीं हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित तो हैं लेकिन वे इतने तक ही सीमित नहीं हैं :-

(क) प्रतिष्ठान अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ एक समूह (बंडल) के रूप में समेकित करने की एक ऐसी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है जो ग्राहक द्वारा अनुबंधित संयुक्त उत्पाद या (आउटपुट) या उत्पादों को निरूपित करती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं को निविष्टियों (इन्पुट्स) के रूप में प्रयोग में लाता है ताकि वह ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट संयुक्त उत्पाद (आउटपुट) या उत्पादों (आउटपुट्स) को उत्पन्न या सौंप सके। एक संयुक्त उत्पाद (आउटपुट) या उत्पादों (आउटपुट्स) में एक से अधिक चरण, तत्व या इकाई हो सकते हैं।

(ख) एक या एक से अधिक वस्तुएं या सेवाएं महत्वपूर्ण रूप से संशोधित या ग्राहक के अनुकूल परिवर्तित की जाती हैं या अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ या सेवाएं, किसी अन्य एक या एक से अधिक वस्तुओं या सेवाओं से महत्वपूर्ण रूप से संशोधित या ग्राहक के अनुकूल परिवर्तित की गई हों।

(ग) वस्तुएं या सेवाएं एक-दूसरे पर बहुत हद तक निर्भर या बहुत हद तक सम्बंधित होती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक वस्तु या सेवा अनुबंध में किसी अन्य एक या एक से अधिक वस्तुओं या सेवाओं द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ मामलों में, दो या दो से अधिक वस्तुएं या सेवाएं किसी अन्य वस्तु या सेवा द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि प्रतिष्ठान अपने वचन के निर्वहन में प्रत्येक वस्तु या सेवा को अलग से अन्तरित करने में सक्षम नहीं होता है।

30. यदि वचनबद्ध वस्तु या सेवा सुभिन्न नहीं होती है, तो प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को अन्य वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के साथ तब तक संयुक्त करेगा (जोड़ेगा) जब तक यह उन वस्तुओं या सेवाओं के समूह (बंडल) का पता नहीं लगाता है जो सुभिन्न हैं। कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान में उसका परिणाम अनुबंध में वचनबद्ध सभी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिष्ठान के लेखा में एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में होगा।

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति

31. प्रतिष्ठान राजस्व को तब मान्यता देगा, जब (या जैसे ही) प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा (अर्थात् एक आस्ति) के अन्तरण द्वारा कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। आस्ति तब अन्तरित की जाती है जब (या जैसे ही) ग्राहक उस आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है।
32. अनुच्छेद 22-30 के अनुसार पता लगाए गए प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के लिए प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में निर्धारित करेगा कि यह समय के दौरान (अनुच्छेद 35-37 के अनुसार) कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है या एक समय पर (अनुच्छेद 38 के अनुसार) कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। यदि प्रतिष्ठान समय के दौरान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं करता है, तो कार्य निष्पादन बाध्यता को एक समय पर पूरा किया जाता है।
33. वस्तुएं या सेवाएं हैं, भले ही उस क्षणभर के लिए ही, जब वे प्राप्त एवं प्रयुक्त होती हैं (जैसाकि अधिकांश सेवाओं के मामले में होती है)। आस्ति का नियंत्रण आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की क्षमता तथा उस आस्ति से प्राप्त होने वाले सभी शेष लाभों को भरपूर प्राप्त करने का उल्लेख करता है। नियंत्रण में अन्य प्रतिष्ठानों की आस्ति का उपभोग करने व उससे लाभ प्राप्त करने से रोकने की क्षमता सम्मिलित है। आस्ति के लाभ संभावित नकदी प्रवाह (बहिःप्रवाहों में बचत या अंतःप्रवाहों) हो सकते हैं, जो अनेक तरीके से जैसे कि निम्नलिखित द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जा सकती हैं :
- (क) आस्तियों का उपयोग वस्तुओं का उत्पादन करने या सेवाएं देने के लिए (सार्वजनिक सेवाओं सहित);
 - (ख) आस्तियों का उपयोग अन्य आस्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए करना;
 - (ग) दायित्वों का निपटारा या व्ययों को कम करने के लिए आस्तियों का उपयोग करना;
 - (घ) आस्तियों की बिक्री करना या विनिमय करना;
 - (ङ) ऋण को सुरक्षित करने के लिए आस्ति गिरवी रखना; और
 - (च) आस्ति संभालना (को सुरक्षित रखना)।
34. यह मूल्यांकन करते समय कि ग्राहक आस्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है या नहीं, प्रतिष्ठान आस्ति की पुर्नखरीद के लिए किसी भी करार करने पर विचार करेगा (अनुच्छेद ख64-ख76 देखें)।

समय के दौरान पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताएं

35. प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा का नियंत्रण समय के दौरान अन्तरित करता है, तभी वह समय के दौरान इसलिए कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है तथा आय को मान्यता देता है, यदि निम्नलिखित में से एक मानदंड पूरा होता है:

(क) प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन द्वारा दिए गए लाभों को, जैसे प्रतिष्ठान निष्पादित करता है, ग्राहक उन लाभों को एक साथ प्राप्त करता है तथा उपभोग करता है (अनुच्छेद ख3-ख4 देखें);

(ख) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन एक आस्ति का सृजन करता है या वृद्धि करता है (उदाहरण के लिए कार्य प्रगति पर) जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे ही आस्ति का सृजन होता है (अनुच्छेद ख 5 देखें); या

(ग) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन प्रतिष्ठान के लिये वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति का निर्माण नहीं करता है (अनुच्छेद 36 देखें) तथा प्रतिष्ठान को अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार होता है (अनुच्छेद 37 देखें)।

36. प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन द्वारा सृजित आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए वैकल्पिक उपयोग नहीं होता है यदि प्रतिष्ठान को संविदागत रूप से उस आस्ति के सृजन या वृद्धि के दौरान आस्ति को सरलता से प्रेषित करने से रोका गया है या आस्ति को इसकी संपूर्ण स्थिति में दूसरे उपयोग के लिए सरलता से प्रेषित करने से व्यावहारिक रूप से सीमित किया गया है। प्रतिष्ठान के लिए आस्ति का वैकल्पिक उपयोग है या नहीं, यह निर्धारण अनुबंध के प्रारंभ में ही किया जाता है। अनुबंध प्रारंभ होने के पश्चात प्रतिष्ठान आस्ति के वैकल्पिक उपयोग के आंकलन (निर्धारण) का तब तक अद्यतन नहीं करेगा जब तक कि अनुबंध से संबंधित पक्षों (पार्टियों) उस अनुबंध संशोधन को, जो कार्य-निष्पादन बाध्यता में वास्तविक रूप से परिवर्तन करता है, को अनुमोदित नहीं करता। अनुच्छेद ख6-ख8 यह आंकलन करने के लिए मार्गदर्शन करता है कि प्रतिष्ठान के लिए आस्ति का वैकल्पिक उपयोग है या नहीं।

37. यह मूल्यांकन करते समय कि उसे अनुच्छेद 35(ग) के अनुसार अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है या नहीं। प्रतिष्ठान अनुबंध की शर्तों के साथ-साथ किसी भी कानून पर, जो अनुबंध पर लागू होते हैं, पर विचार करेगा। अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान करने के अधिकार के लिए निश्चित राशि का होना आवश्यक नहीं

है। तथापि, अनुबंध की अवधि किसी भी समय पर प्रतिष्ठान सतत् एक निश्चित राशि का हकदार अवश्य होता है, जो कम से कम अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान को क्षतिपूर्ति करता है, यदि ग्राहक या दूसरी पार्टी द्वारा प्रतिष्ठान के निष्पादन की विफलता के अलावा अन्य कारणों से अनुबंध को रद्द कर दिया जाता है। अनुच्छेद ख9-ख13 भुगतान करने के अधिकार के अस्तित्व तथा प्रवर्तनीयता और प्रतिष्ठान को भुगतान का अधिकार प्रतिष्ठान को अब तक पूरा किए गए इसके कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान किए जाने का हक देगा या नहीं, इसके आंकलन के लिए मार्गदर्शन देता है।

एक समय पर पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताएं

38. यदि अनुच्छेद 35-37 के अनुसार कार्य निष्पादन बाध्यता समय के दौरान पूरी नहीं होती है तो प्रतिष्ठान एक समय पर कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। उस समय का निर्धारण करने के लिए, जिस पर ग्राहक वचनबद्ध आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है और प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31-34 में नियंत्रण के लिए अपेक्षाओं पर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान नियंत्रण के अंतरण के लिए संकेतों पर विचार करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं :

- (क) प्रतिष्ठान को आस्ति के लिए भुगतान प्राप्त करने का वर्तमान अधिकार है - यदि ग्राहक वर्तमान में आस्ति के भुगतान के लिए बाध्य है, तब यह संकेत कर सकता है कि ग्राहक ने विनिमय की जा रही आस्ति का उपयोग के लिए प्रेषित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है और उससे सभी शेष लाभों में से अधिकार को प्राप्त करता है।
- (ख) ग्राहक का आस्ति पर कानूनी हक है - कानूनी हक संकेत करता है कि अनुबंध की किस पार्टी को आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की तथा उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करने की या उन लाभों तक अन्य प्रतिष्ठानों की पहुंच को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। इसलिए आस्ति के कानूनी हक का अन्तरण संकेत करता है कि ग्राहक ने आस्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। यदि प्रतिष्ठान कानूनी हक केवल ग्राहक के भुगतान करने में विफलता के विरुद्ध संरक्षण के रूप में प्रतिधारित करता है, तो प्रतिष्ठान के वे अधिकार ग्राहक को आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करने से नहीं रोकते हैं।

- (ग) प्रतिष्ठान ने आस्ति का भौतिक स्वामित्व अन्तरित कर दिया है- ग्राहक को आस्ति का भौतिक स्वामित्व यह संकेत करता है कि, ग्राहक को आस्ति के उपयोग करवाने की योग्यता है, और उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करने की या उन लाभों पर अन्य प्रतिष्ठानों की पहुंच प्रतिबंधित करने की क्षमता है तब यह हो सकता है कि भौतिक स्वामित्व का आस्ति के नियंत्रण के साथ मेल नहीं हो। उदाहरण के लिए, कुछ पुर्नखरीद करारों में तथा कुछ प्रेषण व्यवस्थाओं में, ग्राहक या परेषिती को उस आस्ति का भौतिक स्वामित्व हो सकता है जिसे प्रतिष्ठान नियंत्रित करता है। इसके विपरीत कुछ बिल-तथा धारण व्यवस्थाओं में, प्रतिष्ठान का उस आस्ति पर भौतिक स्वामित्व हो सकता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है। अनुच्छेद ख 64-ख76, ख 77-ख78 तथा ख 79-ख82 क्रमशः पुर्नखरीद करारों, प्रेषण व्यवस्थाओं तथा बिल-तथा-धारण व्यवस्थाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है।
- (घ) ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल होता है अंतरण आस्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल का ग्राहक को अंतरण यह संकेत करता है कि ग्राहक ने आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, और वह उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करता है। तथापि, वचनबद्ध आस्ति के स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों का मूल्यांकन करते समय प्रतिष्ठान उन जोखिमों को हटा देगा जो आस्ति के अन्तरण को कार्य निष्पादन बाध्यता के अतिरिक्त पृथक कार्य निष्पादन बाध्यता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान ने ग्राहक को आस्ति का नियंत्रण अन्तरित कर दिया हो सकता है, किंतु अभी तक अन्तरित आस्ति से संबंधित अनुरक्षण सेवाएं देने के लिए अतिरिक्त कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं किया है।
- (ङ) ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया है-ग्राहक के आस्ति की स्वीकृति से संकेत हो सकता है कि उसने आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, और उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करता है। जब आस्ति का नियंत्रण अन्तरित होता है जब संविदागत ग्राहक स्वीकृति शर्त के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख83-ख86 में दिए गए मार्गदर्शन पर विचार करेगा।

कार्य निष्पादन बाध्यता की पूर्ण पूर्ति की तरफ प्रगति का माप

39. अनुच्छेद 35-37 के अनुसार समय के दौरान पूरे किए गए हर कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रतिष्ठान उस कार्य निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में प्रगति का माप करके

समय के दौरान आय को मान्यता देगा। प्रगति का माप करते समय उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक को दिए गए वचन को वस्तुओं और सेवाओं के नियंत्रण के अन्तरण करने में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन को दिखाया जाना है (अर्थात् प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन को पूरा करना)।

40. प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरे किये गए प्रत्येक कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रगति की एकल प्रणाली का प्रयोग करेगा तथा प्रतिष्ठान उस प्रणाली की सुसंगत रूप से एक जैसे कार्य-निष्पादन बाध्यताओं एवं एक जैसी परिस्थितियों के लिए प्रयोग करेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरे किए गए कार्य निष्पादन दायित्व पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में अपनी प्रगति का पुर्नमाप करेगा।

प्रगति मापने की विधियाँ

41. प्रगति मापने की उपयुक्त पद्धतियों में उत्पाद पद्धतियों तथा निविष्टि पद्धतियां शामिल होती हैं। अनुच्छेद ख14-ख19 में कार्य निष्पादन बाध्यता के पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में प्रतिष्ठान की प्रगति को मापने के उत्पाद पद्धतियों तथा निविष्टि पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। प्रगति मापने के लिए उपयुक्त तरीका निर्धारित करते समय प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा की प्रकृति पर विचार करेगा, जिसे प्रतिष्ठान ने ग्राहक को अन्तरित करने का वचन दिया है।

42. प्रगति मापने की पद्धति का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं की प्रगति के माप से अलग कर देगा जिनके लिए प्रतिष्ठान ग्राहक को नियंत्रण अन्तरण नहीं करता है। इसके विपरीत, प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं की प्रगति के माप में शामिल करेगा जिनके लिए प्रतिष्ठान उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के समय ग्राहक को नियंत्रण अन्तरित कर देता है।

43. जैसे ही समय के दौरान परिस्थितियां बदलती हैं, प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के नतीजे में हुए किन्हीं परिवर्तनों को प्रतिबिंबित होने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करेगा। प्रतिष्ठान की प्रगति के माप में हुए ऐसे परिवर्तनों का भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों तथा मूलों में परिवर्तन एवं त्रुटियों के अनुसार लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में लेखांकन किया जाएगा।

प्रगति का समुचित माप

44. प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरा किए गए कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए आय की मान्यता केवल तभी देगा जब प्रतिष्ठान कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपनी प्रगति का उचित रूप में माप कर सके। एक प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपनी प्रगति को समुचित रूप से माप करने योग्य नहीं होगा यदि इसे उस विश्वसनीय सूचना का अभाव होगा जो प्रगति मापने के उपयुक्त (उचित) तरीके का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित होगी।
45. कुछ परिस्थितियों में (उदाहरणार्थ, अनुबंध के आरंभिक चरणों में), प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के परिणाम को समुचित रूप से मापने लायक नहीं हो सकता है किंतु प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने में खर्च किए गए लागतों को वसूल करने की आशा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान राजस्व को केवल उस समय तक खर्च की गई लागतों की सीमा तक मान्यता देगा जिससे यह कार्य निष्पादन बाध्यता के परिणाम को समुचित रूप माप सकता है।

माप

46. जब (अथवा जैसे ही) कार्य-निष्पादन बाध्यता पूरा किया जाता है, तब प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देगा (जो परिवर्तनीय प्रतिफल के प्राक्कलनों को शामिल नहीं करता है) जो अनुच्छेद 56-58 के अनुसार बाधित है जिसे उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को आवंटित किया गया है।

लेन-देन कीमत का निर्धारण

47. प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध की शर्तों तथा इसके प्रचलित प्रथागत कारोबारी प्रथाओं पर विचार करेगा। लेन-देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के बदले में, अन्य पार्टियों (पक्षों) की ओर से वसूल की गई राशियों को छोड़कर (उदाहरणार्थ, कुछ बिक्री करों) हकदार होने की आशा करता है। ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में वचनबद्ध प्रतिफल में निश्चित राशियां, परिवर्तनीय राशियां या दोनों शामिल हो सकते हैं।

48. ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल की प्रकृति, समय तथा राशि लेन-देन कीमत के प्राक्कलन को प्रभावित करते हैं। लेन-देन कीमत का निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी के प्रभावों (परिणामों) पर विचार करेगा:

- (क) परिवर्तनीय प्रतिफल (अनुच्छेद 50-55 और 59 देखें);
- (ख) परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कल (अनुच्छेद 56-58 देखें);
- (ग) अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक (अवयव) का अस्तित्व (अनुच्छेद 60-65 देखें);
- (घ) गैर-नकदी प्रतिफल (अनुच्छेद 66-69 देखें); तथा
- (ङ) ग्राहक को देय प्रतिफल (अनुच्छेद 70-72)।

49. लेन-देन कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए, प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि वस्तुओं या सेवाओं का ग्राहकों को अंतरण किया जाएगा जैसा कि मौजूदा अनुबंध के अनुसार वचनबद्ध है तथा अनुबंध को रद्द, नवीकृत या संशोधित नहीं किया जाएगा।

परिवर्तनशील प्रतिफल

50. यदि अनुबंध के वचनबद्ध प्रतिफल में परिवर्तनशील राशि को शामिल किया जाता है तो प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि का प्राक्कलन करेगा जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के बदले में हकदार होगा।

51. प्रतिफल की राशि में रियायतों, छूटों, वापसियों, जमाओं (क्रेडिट्स) कीमत में रियायतों, प्रोत्साहनों, निष्पादन अधिलाभांश (बोनस) या अन्य इसी तरह की मदों के कारण अन्तर हो सकता है। वचनबद्ध प्रतिफल में तब भी अंतर हो सकता है यदि प्रतिष्ठान का प्रतिफल के लिए हकदारी भावी घटना के घटित होने या अघटित होने पर अनिश्चित होती है। उदाहरणार्थ प्रतिफल की राशि परिवर्तनीय होगी यदि उत्पाद वापसी अधिकार के साथ या तो बेची गई थी, या निश्चित राशि विनिर्दिष्ट स्तर (माइलस्टोन) की प्राप्ति पर निष्पाद अधिलाभांश (बोनस) के रूप में वचनबद्ध होता है।

51कक. कुछ अनुबन्धों में शास्तियां विनिर्दिष्ट की जाती हैं। इन मामलों में शास्तियों का लेखा अनुबन्ध की विषयवस्तु के अनुसार किया जाता है। जहां लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए शास्ति अंतर्निहित होती है, वह परिवर्तनीय प्रतिफल का भाग होगी। उदाहरणतः यदि एक प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ अनुबंध के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा को रु. 100000 के लिए 30 दिन की समाप्ति पर अन्तरित करने हेतु सहमत हो, परंतु 30 दिन से अधिक समय हो जाए तो प्रतिष्ठान केवल रु. 95000 की प्राप्ति का पात्र होगा और रु. 5000 की कटौती को परिवर्तनीय प्रतिफल माना जाएगा। अन्य मामलों में, लेन-देन की कीमत स्थिर मानी जाएगी।

52. ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल से संबंधित प्रवर्तनीयता का अनुबंध में स्पष्टतः उल्लेख हो सकता है। अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त, वचनबद्ध प्रतिफल परिवर्तनीय हो जाते हैं यदि निम्नलिखित दोनों में से कोई परिस्थिति मौजूद होती है:

(क) ग्राहक को प्रतिष्ठान के प्रथागत अनुकूल कारोबारी प्रथाओं, घोषित नीतियों या विशिष्ट वक्तव्यों से उत्पन्न वैध अपेक्षा है, कि प्रतिष्ठान प्रतिफल की राशि स्वीकार करेगा जो अनुबंध में उल्लिखित कीमत से कम है। अर्थात्, यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिष्ठान कीमत में रियायत छूट का प्रस्ताव करेगा। इस प्रस्ताव को क्षेत्राधिकार, उद्योग या ग्राहक के आधार पर रियायत, छूट, वापसी या जमा (क्रेडिट) के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है।

(ख) अन्य तथ्य और परिस्थितियां संकेत करते हैं, कि प्रतिष्ठान का आशय ग्राहक के साथ अनुबंध करते समय ग्राहक को कीमत में रियायत देने का प्रस्ताव देने का होता है।

53. प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों पद्धतियों में से उस किसी एक के प्रयोग द्वारा पद्धति के आधार पर जिससे प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि के बेहतर भविष्यवाणी की प्रत्याशा करता है उस परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का प्राक्कलन करेगा जिसका वह हकदार होगा:

(क) प्रत्याशित मूल्य- प्रत्याशित मूल्य संभावित प्रतिफल राशियों की पंक्ति में संभाव्य-भारित-राशियों की योग होती है। प्रत्याशित मूल्य परिवर्तनीय प्रतिफल राशियों का उचित प्राक्कलन हो सकता है यदि प्रतिष्ठान के पास इसी तरह की विशेषताओं वाले अनुबंधों की काफी अधिक संख्या है।

(ख) अत्यधिक संभावित राशि- अत्यधिक संभावित राशि संभाव्य प्रतिफल राशियों (अर्थात् अनुबंध का एकल अत्यधिक संभावित राशि) की पंक्ति श्रृंखला में एकल अत्यधिक संभावित राशि होती है। अत्यधिक संभावित राशि परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का उचित प्राक्कलन तभी हो सकता

है यदि अनुबंध के केवल दो संभावित परिणाम होते हैं (उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान या तो कार्य निष्पादन अधिलाभांश (बोनस) प्राप्त करता है या नहीं करता है)।

54. एक प्रतिष्ठान परिवर्तनीय प्रतिफल की उस राशि पर जिसका प्रतिष्ठान हकदार होगा, अनिश्चितता के परिणाम का प्राक्कलन करते समय अनुबंध में शुरू से अंत तक लगातार रूप से एक पद्धति का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान उस सभी सूचना पर (ऐतिहासिक, वर्तमान तथा पूर्वानुमान) विचार करेगा जो प्रतिष्ठान को समुचित रूप से उपलब्ध है तथा संभावित प्रतिफल राशियों की समुचित संख्या का पता लगाएगा। वह सूचना जिसे प्रतिष्ठान परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का प्राक्कलन करने के लिए प्रयोग करता है, वह प्रारूपिक रूप से उस सूचना के समान होगी जिसे प्रतिष्ठान प्रबंधन बोली-और-प्रस्ताव प्रक्रिया के दौरान तथा वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमतों को स्थापित करने में प्रयोग करता है।

वापसी दायित्व

55. प्रतिष्ठान वापसी दायित्व को मान्यता तब देगा यदि प्रतिष्ठान ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है तथा कुछ या पूरा प्रतिफल वापस देने की प्रत्याशा करता है। वापसी दायित्व को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल की उस राशि पर मापा जाता है जिसके लिए प्रतिष्ठान हकदार होने की आशा नहीं करता (अर्थात् लेन-देन कीमत में सम्मिलित नहीं की गई राशियां)। वापसी दायित्व (लेन-देन कीमत में तथा अनबंध दायित्व में तदनरूपी परिवर्तन) को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त की परिस्थितियों में परिवर्तनों के लिए अद्यतन किया जाएगा। वापसी के अधिकार के साथ बिक्री से संबंधित वापसी दायित्व को हिसाब में लेने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 20- ख 27 में दिए गए मार्गदर्शन का प्रयोग करेगा।

परिवर्तनीय प्रतिफल का निषेध करने वाले प्राक्कलन

56. प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत में अनुच्छेद 53 के अनुसार प्राक्कलित परिवर्तनीय राशि की कुछ या सभी राशियों को केवल उस सीमा तक शामिल करेगा जिस सीमा तक यह अत्यधिक संभवनीय है, कि जब परिवर्तनीय प्रतिफल के साथ संबंधित अनिश्चितता को बाद में दूर कर दिया जाएगा तब मान्यता प्राप्त संचयी आय की राशि में महत्वपूर्ण उलटाव (विपर्यय) नहीं होगा।

57. यह आंकलन करने के लिए कि यह अत्यधिक संभवनीय है या नहीं जिससे कि जब एक बार परिवर्तनीय प्रतिफल से संबंधित अनिश्चितता को बाद में दूर कर लिया जाता है तब मान्यता प्राप्त

संचयी आय की राशि में महत्वपूर्ण उलटाव (विपर्यय) नहीं होता है, प्रतिष्ठान दोनों, संभावनाओं तथा आय विपर्यय के आकार पर विचार करेगा। उन तथ्यों, जो संभावना तथा आय विपर्यय के आकार को बढ़ा सके, में निम्नलिखित शामिल है, किन्तु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

(क) प्रतिफल की राशि उन तथ्यों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है जो प्रतिष्ठान के प्रभाव क्षेत्र के बाहर है। उन तथ्यों में बाजार में अस्थिरता, निर्णय या अन्य पार्टियों की कार्यवाही, मौसम की स्थितियां तथा वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अप्रचलित होने का अधिक खतरा सम्मिलित हो सकता है।

(ख) प्रतिफल की राशि के बारे में अनिश्चितता की लंबे समय तक दूर हो जाने की प्रत्याशा नहीं है।

(ग) प्रतिष्ठान का अनुभव (या अन्य साक्ष्य) समरूप अनुबंधों के साथ सीमित है, या उस अनुभव (या अन्य साक्ष्य) भावी मूल्य सीमित होता है।

(घ) प्रतिष्ठान की या तो कीमत में रियायतों की विस्तृत पंक्ति श्रृंखला या एक जैसी परिस्थितियों में एक समान अनुबंधों के भुगतान शर्तों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव देने की प्रथा है।

(ङ) अनुबंध में संभावित प्रतिफल राशियों की प्रचुर संख्या और विस्तृत पंक्ति श्रृंखला होती है।

58. प्रतिष्ठान उस प्रतिफल के लेखांकन के लिए जो बिक्री-आधारित या उपयोग-आधारित अधिशुल्क (रॉयल्टी) के रूप में है जो बौद्धिक समाप्ति के लाइसेंस के विनिमय के लिए वचनबद्ध है, के लिए अनुच्छेद ख63 का प्रयोग करेगा।

परिवर्तनशील प्रतिफल का पुर्ननिर्धारण (पुनःआकलन)

59. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में , मौजूदा परिस्थितियों तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की परिस्थितियों में परिवर्तनों का विश्वसनीय रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठान प्राक्कलित लेन-देन कीमत का (परिवर्तनीय प्रतिफल का प्राक्कलन निरूद्ध है या नहीं, इसके निर्धारण (आंकलन) को अद्यतन करने सहित) अद्यतन करेगा। प्रतिष्ठान लेन-देन कीमत में हुए परिवर्तनों का अनुच्छेद 87-90 के अनुसार लेखा करेगा।

अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक की विद्यमानता

60. लेन-देन की कीमत का निर्धारण करने में, प्रतिष्ठान रूपये को समय मूल्य के प्रभाव के लिए वचनबद्ध प्रतिफल राशि को समायोजित करेगा, यदि अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों) द्वारा सहमत की गई भुगतानों की समयावधि (या तो सुनिश्चित रूप से या अंतर्निहित रूप से) ग्राहक को अंतरण की जा रही वस्तुओं या सेवाओं के वित्तीयन के महत्वपूर्ण लाभ को ग्राहक या प्रतिष्ठान को प्रदान करती है। उन परिस्थितियों में, अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक (तत्व) निहित होता है। महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक इस बात के बावजूद कि अनुबंध में वित्तीयन संबंधी वचन स्पष्ट रूप से उल्लिखित है या अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों) द्वारा सहमत भुगतान शर्तों में अंतर्निहित है या नहीं, के भी रह सकता है।

61. महत्वपूर्ण वित्तीयन के लिए वचनबद्ध प्रतिफल की राशि का समायोजन करते समय प्रतिष्ठान का उद्देश्य राजस्व की उस राशि पर मान्यता देना होता है जो उस कीमत को प्रतिबिंबित करती है जिसे ग्राहक ने वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए दिया होता यदि ग्राहक ने उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए नकद भुगतान किया होता जब या जैसे ही वे वस्तुएं ग्राहक को अंतरण होती है (अर्थात् नकद विक्रय कीमत) जैसे कि नकद विक्रय मूल्य प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुबंध में वित्तीयन घटक निहित हैं और क्या वह वित्तीयन घटक निम्नलिखित दोनों सहित अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण हैं सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह मूल्यांकन करेगा:

(क) वचनबद्ध प्रतिफल तथा वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की नकद विक्रय कीमत के बीच का अन्तर, यदि कोई हो; तथा

(ख) निम्नलिखित दोनों के संयुक्त प्रभाव (परिणाम):

- (i) जब प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करता है और जब ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करता है, उन दोनों समयों के बीच का अनुमानित अंतर; तथा
- (ii) संबंधित बाजार में चालू (प्रभावी) ब्याज दरें।

62. अनुच्छेद 61 के निर्धारण के बावजूद, एक ग्राहक के साथ अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक नहीं होगा अगर निम्नलिखित कारकों में से कोई एक कारक विद्यमान होता है:

- (क) ग्राहक ने वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया है और वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के समय ग्राहक के विवेकाधिकार पर है।
- (ख) ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल की अधिकांश राशि या उस प्रतिफल का समय किसी भावी घटना के घटित होने या न होने के आधार पर परिवर्तित हो सकती है और वह घटना मूल रूप से न तो ग्राहक के नियंत्रण में है और न ही प्रतिष्ठान के (जैसे कि, यदि प्रतिफल एक बिक्री आधारित रॉयल्टी है)।
- (ग) वचनबद्ध प्रतिफल और वस्तु या सेवा की नकद बिक्री कीमत (जैसे कि अनुच्छेद 61 में यथावर्णित) में अन्तर ग्राहक या प्रतिष्ठान में से किसी एक को वित्त के प्रावधान से भिन्न अन्य कारणों से होता है और साथ ही, इन दोनों राशियों के बीच का अन्तर, अन्तर के कारण के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए, भुगतान की शर्तें प्रतिष्ठान या ग्राहक को अन्य तीसरी पार्टी (पक्ष) द्वारा अनुबंध की कुछ या सभी बाध्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा न करने से बचाव करता है।

63. एक व्यावहारिक युक्ति (उपाय) के रूप में, एक प्रतिष्ठान द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय घटन के प्रभाव को प्रतिफल की वचनबद्ध राशि में समायोजन की आवश्यकता नहीं है बशर्ते प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में यह आशा करता है कि उसके द्वारा ग्राहक के वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अंतरण और ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा के भुगतान की तिथियों के बीच की अवधि एक वर्ष या इससे कम हो।

64. महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के लिए प्रतिफल की वचनबद्ध राशि के समायोजन में अनुच्छेद 61 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रतिष्ठान उस बट्टागत दर का प्रयोग करेगा जो अनुबंध के प्रारंभ में प्रतिष्ठान व ग्राहक के मध्य किसी अलग वित्तीय लेन-देन में प्रदर्शित की जाती है। यह दर अनुबंध में वित्तीय प्राप्त करने वाली पार्टी (पक्ष) की ऋण विशेषताओं और ग्राहक या प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त संपार्श्विक प्रतिभूति या कोई अन्य प्रतिभूति (सिक्योरिटी), जिसमें अनुबंध में अंतरित आस्तियां सम्मिलित हैं, को प्रदर्शित करती है। प्रतिष्ठान उस दर का पता लगाकर जो वचनबद्ध प्रतिफल की सांकेतिक राशि का उस कीमत पर जिसका ग्राहक नकद में उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करेगा जब (या जैसे ही) वे ग्राहक को अंतरित होती है, उन दरों का निर्धारण करने के लिए सक्षम हो सकता है। अनुबंध के प्रारंभ के बाद, प्रतिष्ठान ब्याज दरों या अन्य परिस्थितियों (जैसे कि, ग्राहक के ऋण जोखिम के आंकलन में परिवर्तन) में परिवर्तन के कारण से बट्टागत दर को अद्यतन नहीं करेगा।

65. एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में वित्तीयन के प्रभावों (ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय) को ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व से अलग प्रस्तुत करेगा। ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय को उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है जितना कि एक अनुबंध आस्ति (या प्राप्य राशि) या अनुबंध दायित्व को ग्राहक के साथ अनुबंध के लेखों में मान्यता दी गयी है।

गैर-नकदी प्रतिफल

66. अनुबंध के लिए लेन-देन कीमत का निर्धारण करने के लिए, जिसमें ग्राहक नकदी से पृथक स्वरूप में प्रतिफल का वचन देता है, प्रतिष्ठान गैर-नकदी प्रतिफल (या गैर-नकदी प्रतिफल के वचन को) का उचित मूल्य पर माप करेगा।

67. यदि प्रतिष्ठान गैर-नकदी प्रतिफल के उचित मूल्य का प्राक्कलन समुचित रूप से नहीं कर सका है तो प्रतिष्ठान प्रतिफल के बदले में ग्राहक को (या ग्राहक के वर्ग को) वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय कीमत के संदर्भ द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल का माप करेगा।

68. गैर-नकदी प्रतिफल का उचित मूल्य प्रतिफल के स्वरूप के कारण भिन्न हो सकता है (उदाहरणार्थ, शेयर जिसे प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त करने के लिए हकदार है उसकी कीमत में परिवर्तन)। यदि ग्राहक द्वारा वचनबद्ध गैर-नकदी प्रतिफल का उचित मूल्य उसकी केवल प्रतिफल के स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कारणों से भिन्न हैं, (उदाहरण के लिए, उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन के कारण अन्तर हो सकता है) तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 56-58 की अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा।

69. प्रतिष्ठान के द्वारा अनुबंध का पालन सहज बनाने के लिए यदि ग्राहक वस्तुओं या सेवाओं (उदाहरणार्थ पदार्थों, उपस्कर या श्रम) का योगदान करता है तो प्रतिष्ठान यह आंकलन करेगा कि क्या यह उन योगदान की हुई वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है। यदि ऐसा है, तो प्रतिष्ठान योगदान की हुई वस्तुओं या सेवाओं की गणना ग्राहक से प्राप्त गैर-नकदी प्रतिफल के रूप में करेगा।

ग्राहक को देय प्रतिफल

70. ग्राहक को देय प्रतिफल में वे नकदी राशियां शामिल होती हैं जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को (या अन्य पार्टियों (पक्षों) को, जो ग्राहक से प्रतिष्ठान की वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है) भुगतान करता है अथवा भुगतान करने की आशा करता है। ग्राहक को देय प्रतिफल में जमा या अन्य मर्दाने (उदाहरणार्थ कूपन या वाउचर) भी शामिल होती हैं, जिन्हें प्रतिष्ठान (या अन्य पार्टियां (पक्ष) जो प्रतिष्ठान वस्तुएं या सेवाएं ग्राहक से खरीदती हैं) को देय राशियों के विरुद्ध उपयोग की जा सकती हैं।

प्रतिष्ठान ग्राहक को देय प्रतिफल को लेन-देन कीमत और इसलिए, आय की कमी के रूप में तब तक लेखा करेगा जब तक यह भुगतान ग्राहक को उन सुभिन्न वस्तु या सेवा के बदले नहीं किया जाएगा (जैसाकि अनुच्छेद 26-30 में वर्णित हैं) जिसे ग्राहक प्रतिष्ठान को अंतरित करता है। यदि ग्राहक को देय प्रतिफल में कोई परिवर्तनीय राशि सम्मिलित होती है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 50-58 के अनुसार लेन-देन कीमत (यह निर्धारण करने सहित कि परिवर्तनीय राशि का प्राक्कलन बाधित है या नहीं) का प्राक्कलन करेगा।

71. यदि ग्राहक को देय प्रतिफल किसी सुभिन्न वस्तु या सेवा के लिए भुगतान है, तो प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा की खरीद को उसी तरीके से लेखा करेगा जैसा यह आपूर्तिकर्ताओं से अन्य खरीदों के लिए लेखा करता है। यदि ग्राहक को देय प्रतिफल की राशि उस सुभिन्न वस्तु या सेवा के उचित मूल्य से अधिक है, जो प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त करता है, तब प्रतिष्ठान ऐसी अतिरिक्त राशि का लेन-देन कीमत में कमी के रूप में लेखा करेगा। यदि प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त वस्तु या सेवा के उचित मूल्य का प्राक्कलन समुचित तरीके से नहीं कर सकता है, तब यह ग्राहक को देय संपूर्ण प्रतिफल की लेखा लेन-देन कीमत में कटौती के रूप में करेगा।

72. तदनुसार, यदि ग्राहक को देय प्रतिफल का लेखा लेन-देन कीमत में कटौती के रूप में किया जाता है, तो प्रतिष्ठान आय की कमी को तब मान्यता देगा जब (या जैसे ही) निम्नलिखित दोनों घटनाओं में से जो भी घटना बाद में घटती है:

(क) प्रतिष्ठान ग्राहक को संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के लिए आय को मान्यता देता है; और

(ख) प्रतिष्ठान प्रतिफल का भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है (भले ही, भुगतान भावी घटनाओं पर सशर्त होता है)। वह वचन प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा अंतर्निहित हो सकते हैं।

लेन-देन कीमत का कार्य निष्पादन बाध्यता पर आवंटन

73. लेन-देन कीमत का आवंटन करते समय प्रतिष्ठान का उद्देश्य उस राशि से प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता (अथवा सुभिन्न वस्तु या सेवा) पर लेन-देन कीमत का उस राशि में आवंटन करना होता है जो प्रतिफल की उस राशि का वर्णन करता है जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण करने के बदले में हकदार होने की आशा करता है।

74. आवंटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 76-80 के अनुसार, अनुच्छेद 81-83 (रियायतें आवंटित करने के लिए) तथा अनुच्छेद 84-86 (प्रतिफल आवंटित करने के लिए जिसमें परिवर्तनीय राशियां सम्मिलित हैं) में यथानिर्दिष्ट को छोड़कर, प्रासंगिक स्वतंत्र बिक्री कीमत आधार पर अनुबंध में पता लगाए गए प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन-देन कीमत का आवंटन करेगा।
75. यदि अनुबंध में केवल एक कार्य निष्पादन बाध्यता है तो अनुच्छेद 76-86 लागू नहीं होंगे। तथापि, अनुच्छेद 84-86 लागू हो सकते हैं यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 (ख) के अनुसार एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में माने गए सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं को सिलसिलेवार (की श्रृंखला) अंतरण करने का वचन देता है तथा वचनबद्ध प्रतिफल में परिवर्तनीय राशियां सम्मिलित होती हैं।

स्वतंत्र बिक्री कीमतों पर आधारित आवंटन

76. प्रासंगिक स्वतंत्र बिक्री कीमत के आधार पर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन-देन कीमत आवंटित करने के लिए, प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के अंतर्निहित (Underlying) सुभिन्न वस्तु या सेवा के लिए अनुबंध के प्रारंभ में स्वतंत्र बिक्री कीमत का निर्धारण करेगा तथा तथा उन स्वतंत्र बिक्री कीमतों के अनुपात में लेन-देन कीमत का आवंटन करेगा।
77. स्वतंत्र बिक्री कीमत वह कीमत है, जिस पर प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा पृथक रूप से बेचेगा। स्वतंत्र बिक्री कीमत का सर्वोत्तम प्रमाण वस्तु या सेवा की प्रत्यक्षदर्शी कीमत होती है, जब प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को पृथक रूप से समान परिस्थितियों में तथा समान ग्राहकों को बेचता है। अनुबंधात्मक रूप से उल्लिखित कीमत या वस्तु या सेवा के लिए सूची कीमत उस वस्तु या सेवा के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमत हो सकती है (किंतु ऐसा ही होना अनुमानित नहीं होगा)।
78. यदि स्वतंत्र बिक्री कीमत स्पष्टतः प्रत्यक्षदर्शी नहीं होती है तो प्रतिष्ठान स्वतंत्र बिक्री कीमत का उस राशि पर प्राक्कलन करेगा जिसका परिणाम अनुच्छेद 73 में आवंटन उद्देश्य को पूरा करते हुए लेन-देन कीमत का आवंटन होगा। स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करते समय प्रतिष्ठान (बाजार की स्थितियों, प्रतिष्ठान विशिष्ट तथ्यों तथा ग्राहक या ग्राहक की श्रेणी के बारे में सूचना सहित) सभी सूचनाओं पर विचार करेगा जो प्रतिष्ठान के लिए समुचित रूप से उपलब्ध होती है। ऐसा करते समय प्रतिष्ठान प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का अधिकतम उपयोग करेगा तथा समान परिस्थितियों में सुसंगत रूप से प्राक्कलन तरीकों का प्रयोग करेगा।

79. वस्तु या सेवा के स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए उपयुक्त पद्धतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु वे उन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(क) समायोजित (व्यवस्थित) बाजार आंकलन दृष्टिकोण-प्रतिष्ठान उस बाजार का मूल्यांकन कर सकता है जिसमें यह वस्तुओं या सेवाओं को बेचता है तथा उस कीमत का प्राक्कलन कर सकता है जिसका ग्राहक उस बाजार में उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए इच्छुक होगा। उस दृष्टिकोण में, प्रतिष्ठान के प्रतिस्पर्धी द्वारा समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए लागू कीमतों तथा उन कीमतों का प्रतिष्ठान की लागतों तथा लाभों (मार्जिनों) को प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक समायोजन करते हुए उल्लेख करना भी शामिल हो सकता है

(ख) संभावित लागत और लाभ (मार्जिन) दृष्टिकोण-प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने की अपनी अपेक्षित लागतों का पूर्वानुमान कर सकता है तथा उसके बाद उस वस्तु या सेवा के लिए उपयुक्त लाभ (मार्जिन) को जोड़ेगा।

(ग) अवशिष्ट दृष्टिकोण- प्रतिष्ठान कुल लेन-देन कीमत में से अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं की प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र विक्रय कीमत की रकम को घटाकर उस रकम के संदर्भ से स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन कर सकता है। तथापि, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 78 के अनुसार वस्तु या सेवा की स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग केवल तभी कर सकता है यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदण्ड पूरा हो जाता है:

- (i) प्रतिष्ठान एक समान (एक ही समय पर या उसके करीब) वस्तु या सेवा को विभिन्न ग्राहकों को कीमत की विस्तृत पंक्ति श्रृंखला में विक्रय करता है बेचता है (अर्थात् विक्रय कीमत अत्यधिक परिवर्तनशील है क्योंकि प्रतिनिधि स्वतंत्र बिक्री कीमत पिछले लेन-देनों या अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण से समझने योग्य नहीं है); या
- (ii) प्रतिष्ठान ने उस वस्तु या सेवा के लिए अभी तक कीमत तय (स्थापित) नहीं की है तथा वस्तु या सेवा को पूर्व में स्वतंत्र आधार पर बेचा नहीं गया है (अर्थात् विक्रय कीमत अनिश्चित है)।

80. अनुबंध में वचनबद्ध के वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र बिक्री कीमतों का प्राक्कलन करने के लिए पद्धतियों संयोजन के उपयोग किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, यदि उनमें से दो या अधिक वस्तुएं या सेवाएं अत्यधिक परिवर्तनीय या अनिश्चित स्वतंत्र बिक्री कीमतों वाली हैं। उदाहरण के लिए, उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं, जिनकी अत्यधिक परिवर्तनीय या अनिश्चित स्वतंत्र विक्रय कीमत है, की पूर्णयोग स्वतंत्र बिक्री कीमत के प्राक्कलन करने के लिए प्रतिष्ठान अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है और उसके बाद अवशिष्ट दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित उस

प्राक्कलित पूर्णयोग कुल स्वतंत्र बिक्री कीमत से प्रासंगिक अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए दूसरी पद्धति का उपयोग करेगा। जब प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक वचनबद्ध वस्तु या सेवा के स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए पद्धतियों के संयोजन का प्रयोग करता है तब प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि उन प्राक्कलित स्वतंत्र बिक्री कीमतों पर लेन-देन कीमतों का आवंटन करना अनुच्छेद 73 में दिए गए आवंटन उद्देश्य तथा अनुच्छेद 78 में स्वतंत्र बिक्री कीमतों के प्राक्कलन के लिए दी गई अपेक्षाओं के अनुकूल होगा या नहीं।

छूट (रियायत) का आवंटन

81. यदि अनुबंध में उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की स्वतंत्र विक्रय कीमतों की कुल रकम अनुबंध में वचनबद्ध प्रतिफल से अधिक होता है तो ग्राहक वस्तुओं या सेवाओं को समूह में खरीदने के लिए रियायत प्राप्त करता है। सिवाय इसके कि जब प्रतिष्ठान के पास अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण होता है कि समस्त रियायत अनुबंध के कार्य निष्पादन बाध्यताओं में से केवल एक या अधिक से, किंतु सभी से नहीं, संबंधित होती है तब प्रतिष्ठान अनुबंध के सभी कार्य निष्पादन बाध्यताओं में यथानुपात रियायत आवंटित करेगा। उन परिस्थितियों में रियायतों का यथानुपात आवंटन प्रतिष्ठान का सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्निहित प्रासंगिक स्वतंत्र विक्रय कीमतों के आधार पर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन-देन कीमत का आवंटन करने के फलस्वरूप है।

82. प्रतिष्ठान संपूर्ण रियायत का आवंटन, अनुबंध में एक या अधिक, किंतु सभी नहीं, कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए करेगा, यदि निम्नलिखित सभी मानदण्ड पूरे किए जाते हैं:

- (क) प्रतिष्ठान नियमित रूप से अनुबंध में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा (या सुभिन्न वस्तु या सेवा के प्रत्येक समूह (बंडल)) को स्वतंत्र आधार पर बेचता है;
- (ख) प्रतिष्ठान प्रत्येक समूह (बंडल) में वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय कीमतों में रियायत पर उन सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के कुछ बंडल (या बंडलों) को स्वतंत्र आधार पर भी नियमित रूप से बेचता है; तथा
- (ग) अनुच्छेद 82 (ख) में वर्णित वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्येक बंडल को आरोप्य (attributable) रियायत मूलतः उतने ही होती है जितना अनुबंध में कुल रियायत होती है तथा प्रत्येक बंडल

में वस्तुओं या सेवाओं का विश्लेषण उस कार्य-निष्पादन बाध्यता (या कार्य निष्पादन बाध्यताओं) का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण देता है जिससे अनुबंध की संपूर्ण रियायत संबंधित होती है।

83. यदि रियायत को अनुच्छेद 82 के अनुसार अनुबंध में एक या अधिक कार्य निष्पादन बाध्यताओं के लिए आवंटित किया जाता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध 79 (ग) के अनुसार वस्तु या सेवा के स्वतंत्र विक्रय कीमत का प्राक्कलन करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग करने से पहले रियायत का आवंटन करेगा।

परिवर्तनशील प्रतिफल का आवंटन

84. परिवर्तनीय प्रतिफल जो अनुबंध में वचनबद्ध है, समस्त अनुबंध या अनुबंध के विशिष्ट भाग पर आरोप हो सकता है, जैसे निम्नलिखित में से कोई:

(क) अनुबंध में एक या अधिक, किंतु सभी नहीं, कार्य निष्पादन बाध्यताओं (उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अंतरण पर अधिलाभांश (बोनस) आकस्मिक हो सकता है): या

(ख) एक या अधिक लेकिन समस्त नहीं, वे एक श्रृंखला में वचनबद्ध सुभिन्न वस्तुएं या सेवाएं जो अनुच्छेद 22(ख) के अनुसरण में एकल कार्य निष्पादन बाध्यता को अंग के रूप में हो। (उदाहरणस्वरूप, एक द्विवर्षीय सफाई सेवा अनुबंध के दूसरे वर्ष के लिए वचनबद्ध प्रतिफल एक विनिर्दिष्ट मुद्रास्फीति सूचकांक में परिवर्तनों के आधार पर बढ़ेगा)।

85. एक प्रतिष्ठान एक परिवर्तनशील राशि की (और उस राशि में तत्पश्चात होने वाले परिवर्तन) पूरी तरह से उस कार्य-निष्पादन बाध्यता या उस एक सुभिन्न वस्तु या सेवा को जो अनुच्छेद 22(ख) के अनुसरण में एकल कार्य-निष्पादन बाध्यता के अंग के रूप में है, को आवंटित करेगा, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हो:

(क) परिवर्तनशील भुगतान की शर्तें विशिष्ट रूप से कार्य-निष्पादन बाध्यता या सुभिन्न वस्तु या सेवा के अंतरण को पूरा करने के प्रतिष्ठान के प्रयासों (या कार्य-निष्पादन बाध्यता या अलग वस्तु या सेवा के अंतरण को पूरा करने के विशिष्ट परिणाम) से संबंधित हों; और

(ख) जब कार्य निष्पादन बाध्यता या सुभिन्न वस्तु या सेवा पर संपूर्ण परिवर्तनशील राशि का आवंटन, अनुबंध में समस्त कार्य, निष्पादन बाध्यताओं व भुगतान की शर्तों पर विचार करते हुए अनुच्छेद 73 के आवंटन के उद्देश्य के अनुरूप हो।

86. अनुच्छेद 73-83 में दी गयी आवंटन अपेक्षाएं उस लेन-देन कीमत की शेष राशि के आवंटन पर लागू होगी जो अनुच्छेद 85 के गानदण्ड को पूरा नहीं करती है।

लेन-देन की कीमत में परिवर्तन

87. अनुबंध के प्रारंभ के पश्चात, लेन-देन की कीमत में कई कारणों से परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनिश्चित घटनाओं का घटना या उन परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं, जो वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में प्रतिष्ठान द्वारा अपेक्षित प्रतिफल राशि को बदल सकती है।

88. एक प्रतिष्ठान अनुबंधित कार्य-निष्पादन बाध्यताओं पर लेन-देन कीमत में परवर्ती (तत्पश्चात् होने वाले) परिवर्तनों को उसी आधार पर आवंटित करेगा जैसेकि अनुबंध के प्रारंभ में किया जाता है। फलस्वरूप प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ के पश्चात् अकेली विक्रय कीमतों में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए लेन-देन कीमत का पुर्नवांटन नहीं करेगा। पूर्ण हुए, कार्य-निष्पादन बाध्यता पर आवंटित राशिया राजस्व या राजस्व में कटौती के रूप में उस अवधि में मान्य होगी, जिस अवधि में लेन-देन की कीमत में परिवर्तन होता है।

89. एक प्रतिष्ठान उन लेन-देन कीमत में संपूर्ण परिवर्तन को एक या अधिक, लेकिन समस्त नहीं, उन कार्य-निष्पादन बाध्यताओं पर या एक श्रृंखला में वचनबद्ध उन सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं पर आवंटित करेगा जो अनुच्छेद 22 (ख) के अनुसरण में एक एकल कार्य-निष्पादन बाध्यता का अंग हों और वह भी तब जब अनुच्छेद 85 में परिवर्तनशील प्रतिफल के आवंटन का मानदण्ड पूरा होता है।

90. एक प्रतिष्ठान उस लेन-देन कीमत में परिवर्तन का लेखा करेगा जो अनुच्छेद 18-21 के अनुसरण में अनुबंध के संशोधन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। तथापि, उस लेन-देन कीमत में परिवर्तन के लिए जो अनुबंध संशोधन के पश्चात् उत्पन्न होता है, प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो तरीकों में से जो भी लागू हो, लेन-देन कीमत में परिवर्तन का आवंटन करने के लिए अनुच्छेद 87-89 को प्रयोग में लाएगा:

(क) एक प्रतिष्ठान संशोधन से पूर्व अनुबंध में पता लगाये गये कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए लेन-देन कीमत में परिवर्तन का आवंटन, तब और उतनी सीमा तक करेगा, कि लेन-देन कीमत में परिवर्तन संशोधन से पूर्व वचनबद्ध परिवर्तनशील प्रतिफल की राशि से संबंधित हैं और संशोधन का लेखा अनुच्छेद 21 (क) के अनुसरण में किया जाता हो

(ख) अन्य सभी मामलों में, जहां संशोधन का लेखा अनुच्छेद 20 के अनुसरण में अलग अनुबंध के रूप में नहीं किया गया है, प्रतिष्ठान संशोधित अनुबंध में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए

लेनदेन कीमत में परिवर्तन को आवंटित करेगा (यानि वे कार्य-निष्पादन बाध्यताएं, जो संशोधन के तुरंत बाद या तो पूरे नहीं किये गये हैं या फिर अंशतः पूरे नहीं किये गये हैं)।

अनुबंध की लागतें

अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतें

91. एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील लागतों को तब आस्ति के रूप में मान्यता देगा जब प्रतिष्ठान को यह आशा हो कि वह उन लागतों को वसूल कर लेगा।
92. अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतें वे लागतें होती हैं जो प्रतिष्ठान एक ग्राहक से अनुबंध प्राप्त करने के लिए खर्च करता है और वे लागतें अगर अनुबंध न प्राप्त होता तो खर्च नहीं होती हैं (जैसे कि बिक्री पर कमीशन)।
93. वे लागतें जो इसके बावजूद की अनुबंध प्राप्त होता है या नहीं अनुबंध प्राप्त करने के लिए खर्च होती हैं तो उन्हें खर्च के समय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते ये खर्च की गयी लागतें, ग्राहक से स्पष्टतया इसके बावजूद प्राप्त नहीं कि जा सके कि अनुबंध प्राप्त होता है या नहीं।
94. व्यावहारिक तौर पर, एक प्रतिष्ठान एक अनुबंध प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील लागतों को व्यय के रूप में खर्च के समय मान्यता दे सकता है यदि आस्ति की परिशोधन अवधि को प्रतिष्ठान द्वारा अन्यथा एक वर्ष या उससे कम की मान्यता दी जाती है।

अनुबंध की पूर्ति की लागतें

95. यदि ग्राहक के साथ अनुबंध पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतें किसी अन्य लेखा मानक (जैसे कि भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (*इन्वेन्ट्रीज*), भारतीय लेखा मानक 16 *संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर* या, भारतीय लेखा मानक 38. *अमूर्त आस्तिया*), के कार्यक्षेत्र में नहीं आती तों प्रतिष्ठान अनुबंध पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों में से आस्ति को मान्यता तभी देगा जब वे लागतें निम्नलिखित सभी मानदण्डों को पूरा करती हो:
 - (क) वे लागतें अनुबंध या उस प्रत्याशित अनुबंध से प्रत्यक्षतया संबंधित हों जिसकी प्रतिष्ठान विशेष रूप से पहचान कर सकता हो (उदाहरणस्वरूप, मौजूदा अनुबंध के नवीकरण के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित लागतें अथवा उस विशेष अनुबंध, जो अभी अनुमोदित नहीं हुआ है, के अन्तर्गत अंतरितकी जाने वाली आस्ति के प्रारूपेण(डिजाइन)की लागतें)

(ख) वे लागतें जो प्रतिष्ठान के उन संसाधनों का सृजन करती हैं या उनमें वृद्धि करती हैं जो भविष्य में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को पूरा करने (या पूरा करने को जारी रखने) के लिए उपयोग किए जाएंगे; और

(ग) वे लागतें जिनकी वसूली होने की आशा है।

96. एक ग्राहक के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों जो किसी दूसरे मानक के कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आती हैं, का लेखा प्रतिमान उसी अन्य मानक के अनुसरण में करेगा।

97. एक अनुबंध (या किसी विशिष्ट प्रत्याशित अनुबंध) से सीधी संबंधित लागतों में निम्नलिखित में से कोई एक सम्मिलित होती है:

(क) प्रत्यक्ष श्रम (जैसे कि, उन कर्मचारियों का वेतन व मजदूरी, जो ग्राहक को वचनबद्ध सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं) ;

(ख) प्रत्यक्ष सामग्री (जैसे कि, ग्राहक को वचनबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली आपूर्तियां) ;

(ग) उन लागतों के आवंटन जो अनुबंध या अनुबंध की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं (जैसेकि, अनुबंध प्रबंधन एवं निरीक्षण की लागतें, अनुबंध को पूरा करने में इस्तेमाल उपकरणों व उपस्करों का बीमा व मूल्यहयस) ;

(घ) वे लागतें जो अनुबंध के अर्न्तगत स्पष्ट रूप से ग्राहक से प्राप्य हैं; और

(ड.) अन्य लागतें जो केवल इसीलिये खर्च की जाती हैं क्योंकि एक प्रतिष्ठान ने अनुबंध किया है (जैसे कि, उप-ठेकेदारों को भुगतान)

98. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित लागतें जब खर्च होती हैं तो उन्हें मान्यता देगा:

(क) सामान्य और प्रशासनिक लागतें (बशर्ते वे अनुबंध में स्पष्ट रूप से ग्राहक से प्राप्त नहीं की जानी हैं। इस मामले में प्रतिष्ठान इन लागतों का मूल्यांकन अनुच्छेद 97 के अनुसार करेगा) ;

(ख) अनुबंध की पूर्ति के लिए बेकार हुई सामग्री, श्रम या अन्य संसाधनों की लागतें जो अनुबंध की कीमत में प्रदर्शित नहीं होती हैं;

(ग) वे लागतें जो अनुबंध में पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं (या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से संबंधित हैं (यानि वे लागतें जो पिछले कार्य निष्पादन से संबंधित हैं) ; और

(घ) वे लागतें जिनके लिए प्रतिष्ठान यह फर्क नहीं कर सकता कि ये लागतें पूरी न की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से संबंधित हैं या पूरे किये गये (या अंशतः पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं) कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से।

परिशोधन एवं क्षतिग्रस्तता

99. अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य एक आस्ति को उस यथाक्रम के आधार पर परिशोधित किया जाएगा जो ग्राहक को आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण से सुसंगत होगी। आस्ति विशेष प्रत्याशित अनुबंध (अनुच्छेद 95 (क) में यथावर्णित) के अर्न्तगत अंतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित हो सकती है।
100. एक प्रतिष्ठान आस्ति के परिशोधन को इस तरह से अध्यतन करेगा कि वह ग्राहक को आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के प्रत्याशित समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित करे। इस प्रकार के परिवर्तन का लेखा भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में प्राक्कलन लेखों के परिवर्तन के रूप में होगा।
101. एक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ या हानि में उस सीमा तक मान्यता देगा जब तक कि अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य आस्ति की अग्रणीत राशि निम्नलिखित से अधिक हो जाए:
(क) प्रतिफल की शेष राशि जिसे प्रतिष्ठान आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्राप्त करने की आशा करता है, उसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा;
(ख) उन वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने से प्रत्यक्षत संबंधित लागतें जिन्हें व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है (देखें अनुच्छेद 97)।
102. एक प्रतिष्ठान प्रतिफल की कितनी राशि प्राप्त करने हेतु आशा करता है, इसके निर्धारण के लिए अनुच्छेद 101 के प्रयोग के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान लेन-देन की कीमत के निर्धारक सिद्धान्तों (लेकिन परिवर्तनशील प्रतिफल के प्राक्कलनों को बाधित करने वाले अनुच्छेद 56-58 की अपेक्षाओं को छोड़कर) का प्रयोग करेगा और उस राशि का समायोजन करेगा जो ग्राहक के श्रण (क्रेडिट) जोखिम के प्रभाव को प्रदर्शित करे।
103. इससे पूर्व कि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य एक आस्ति को क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दे, प्रतिष्ठान अन्य मानक (जैसे, भारतीय लेखा मानक 2, भारतीय लेखा मानक 16 व भारतीय लेखा मानक 38) के अनुसार मान्य अनुबंध से संबंधित आस्तियों की किसी क्षतिग्रस्तता को हानि मान्यता देगा। अनुच्छेद 101 में दिये गये क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोग के बाद, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य आस्ति की शेष अग्रणीत राशि को उस नकदी जनक इकाई की अग्रणीत राशि में जो उससे संबंधित हो, में भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, प्रयोग के प्रयोजन के लिए उस नकदी जनक इकाई में सम्मिलित करेगा।

104. प्रतिष्ठान लाभ या हानि में, कुछ या समस्त क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव को मान्यता देगा जिसे क्षतिग्रस्तता परिस्थितियां न रहने या उनमें सुधार होने से अनुच्छेद 101 के अनुसार पहले मान्यता दी गयी थी। आस्ति की बढी हुई अग्रणीत राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसे इस तरह निर्धारित किया जाता (शुद्ध परिशोधन) कि जैसे पहले कोई क्षतिग्रस्तता हानि हुई ही नहीं है।

प्रस्तुतीकरण

105. जब अनुबंध की दो में से कोई एक पक्ष (पार्टी) कार्य-निष्पादन कर देता है, प्रतिष्ठान अनुबंध को अपने तुलन-पत्र में अनुबंध आस्ति या अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा जो इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन और ग्राहक को किये भुगतान के बीच के संबंध पर निर्भर करेगा। प्रतिष्ठान प्रतिफल के लिए कोई भी, एक शर्तहित अधिकार को अलग से एक प्राप्य राशि के रूप में शर्तहित अधिकार प्रस्तुत करेगा।

106. यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान कर देता है या प्रतिष्ठान का प्रतिफल की राशि के लिए कोई शर्तहित अधिकार है (अर्थात् उसके लिए वह एक प्राप्य राशि है), इससे पूर्व कि प्रतिष्ठान ग्राहक को एक वस्तु या सेवा अंतरण करता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा लेकिन तब जब भुगतान हो गया है या भुगतान देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। एक अनुबंध दायित्व प्रतिष्ठान की वह बाध्यता है जिसमें उस ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करना है जिसके लिए उसे (प्रतिष्ठान को) ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की प्राप्य राशि) प्राप्त हो चुका है।

107. यदि एक प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करके अनुबंध का निर्वहन करता है और ग्राहक ने उसके लिए प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है या अभी वह भुगतान देय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध आस्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा इसमें वे राशियां शामिल नहीं होगी जिन्हें प्राप्य राशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक अनुबंध आस्ति, प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफल के रूप में एक ऐसा अधिकार है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में है, जो प्रतिष्ठान उस ग्राहक को अंतरित कर चुका है। प्रतिष्ठान अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता का निर्धारण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार करेगा। एक अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता का माप, प्रस्तुति एवं प्रकटन उस वित्तीय आस्ति के आधार पर किया जाएगा जो कि भारतीय लेखा मानक 109 के (अनुच्छेद 113 (ख) भी देखें) कार्यक्षेत्र के अनुसार आता है।

108. एक प्राप्य राशि प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफल का वह अधिकार है, जो कि शर्तहित है। प्रतिफल के लिए अधिकार शर्तहित तब होता है, जब प्राप्य राशि प्रतिफल के भुगतान से पूर्व कुछ समय बीतना अपेक्षित हो। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान एक प्राप्य राशि को तब मान्यता देगा यदि

उसके भुगतान के लिए वर्तमान अधिकार हो फिर चाहे वह राशि भविष्य में वापस की जानी हो। प्रतिष्ठान प्राप्य राशि का लेखा, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार करेगा। एक ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्य राशि की प्रारंभिक मान्यता पर, यदि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्राप्य राशि के माप और तदनुरूपी मान्य राजस्व राशि में यदि कोई अन्तर आता है, तो उसे व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। (उदाहरण के लिए, क्षतिग्रस्तता हानि)।

109. यह मानक अनुबंध आस्ति व अनुबंध दायित्व शब्दावली का प्रयोग करता है लेकिन वह प्रतिष्ठान को तुलनपत्र में इन मदों के लिए किसी वैकल्पिक वर्णन का प्रतिषेध भी नहीं करता है। लेकिन प्रतिष्ठान यदि अनुबंध आस्ति के लिए किसी और वैकल्पिक वर्णन का प्रयोग करता है, तो वह वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता को प्राप्य राशियों और अनुबंध आस्तियों में भेद स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सूचना भी देगा।

109कक एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व में सम्मिलित उत्पाद शुल्क की राशि को अलग से प्रस्तुत करेगा।

प्रकटन

110. एक प्रतिष्ठान के लिए प्रकटन अपेक्षाओं का उद्देश्य यह है कि, वह पर्याप्त सूचना प्रकट करे ताकि वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता, ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता को ठीक से समझ सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त की गुणात्मक व मात्रात्मक सूचना प्रकट करेगा:

(क) ग्राहकों के साथ उसके अनुबंध (देखें अनुच्छेद 113-122) ;

(ख) उन अनुबंधों के लिए इस मानक के प्रयोग में किये गये महत्वपूर्ण निर्णय और निर्णयों में किये गये परिवर्तन (देखें अनुच्छेद 123-126) ; और

(ग) अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसरण में एक ग्राहक के साथ किये जाने वाले या पूरा करने वाले अनुबंध की लागतों से मान्य कोई आस्तियां (देखें अनुच्छेद 127-128)।

111. एक प्रतिष्ठान उस स्तर के विवरण पर विचार करेगा जो प्रकटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। साथ ही, यह भी देखने के लिए कि विभिन्न अपेक्षाओं में प्रत्येक पर कितना बल दिया जाए। प्रतिष्ठान प्रकटनों का एकीकरण व पृथक्कीकरण भी करेगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना गैर महत्वपूर्ण विवरण की बड़ी मात्रा के सम्मिलित होने के कारण से या फिर ऐसी मदों के एकत्रित होने से जिनकी विशेषताएं अलग-अलग हैं, के कारण से अस्पष्ट न हो जाए।

112. यदि प्रतिष्ठान ने किसी अन्य लेखा मानक के अनुसार सूचना प्रदान कर दी है तो उसे इस मानक के अर्न्तगत प्रकटन करना आवश्यक नहीं है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध

113. यदि प्रतिष्ठान अन्य मानकों के अनुसरण में लाभ-हानि विवरण में अलग से निम्नलिखित से संबंधित राशियां प्रस्तुत नहीं करता तो वह रिपोर्टिंग अवधि के लिए इन सभी को प्रकट करेगा:

(क) ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से मान्य राजस्व, जिसे प्रतिष्ठान राजस्व के अन्य संसाधनों से अलग प्रकट करेगा: और

(ख) ग्राहकों के साथ किये गये प्रतिष्ठान के अनुबंधों से उत्पन्न किसी प्राप्य राशि या अनुबंध आस्तियों पर मान्य (भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार) कोई क्षतिग्रस्तता हानियां, जिन्हें प्रतिष्ठान अन्य अनुबंधों से हुई क्षतिग्रस्तता हानियों से अलग से प्रकट करेगा।

राजस्व का पृथक्कीकरण

114. एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से मान्य राजस्व को श्रेणियों में इस प्रकार अलग-अलग करेगा जो यह प्रदर्शित करेगा कि आर्थिक कारक किस प्रकार से राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता को प्रभावित करते हैं। राजस्व के पृथक्कीकरण (अलग-अलग करने की प्रक्रिया) के प्रयोग में श्रेणियों का चयन करते समय प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 87-ख 89 के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा।

115. इसके अतिरिक्त, यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 108, परिचालन खण्ड, का प्रयोग करता है, तो प्रतिष्ठान वह पर्याप्त सूचना प्रकट करेगा जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता पृथक्कीकरण युक्त राजस्व के प्रकटन (अनुच्छेद 114 के अनुसार) और, प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खंड की प्रकट राजस्व सूचना के बीच संबंध को समझ सकें।

अनुबंध की शेष राशियां

116. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त शेषों को प्रकट करेगा:

(क) ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से प्राप्य राशियों, अनुबंध आस्तियों और अनुबंध दायित्वों के आदि व अंत शेष बशर्ते उन्हें अन्यथा अलग-से प्रस्तुत या प्रकट नहीं किया गया हों;

(ख) रिपोर्टिंग अवधि में मान्य राजस्व, जो उस अवधि के आरंभ पर अनुबंध दायित्व शेष में सम्मिलित है; और

(ग) गत अवधियों में पूरे किये गये (या अंशतः पूरे किये गये) कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से रिपोर्टिंग अवधि में मान्य राजस्व (उदाहरण के लिए, लेन-देन कीमत में परिवर्तन)।

117. प्रतिष्ठान इस बात की व्याख्या करेगा कि इसके कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति का समय (देखिये अनुच्छेद 119 (क)) किस प्रकार भुगतान के औसत समय (देखिये अनुच्छेद 119 (ख)) से संबंधित है और अनुबंध आस्ति व अनुबंध दायित्व शेषों पर उन कारकों के क्या प्रभाव से है। दी गयी व्याख्या में गुणात्मक सूचना का प्रयोग किया जाना चाहिए।

118. एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि में अनुबंध आस्ति और अनुबंध दायित्व शेषों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत करेगा। इस व्याख्या में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार की ही सूचना होगी। प्रतिष्ठान की अनुबंध आस्तियों व अनुबंध दायित्वों के शेषों में परिवर्तन के उदाहरण में निम्नलिखित में से भी कोई भी सम्मिलित होंगे

(क) व्यावसायिक संयोजनों के कारण परिवर्तन;

(ख) राजस्व में संचयी समायोजन, जो तदनुसारी अनुबंध आस्ति या अनुबंध दायित्व को प्रभावित करते हैं। इन समायोजनों में प्रगति के माप में परिवर्तन, लेन-देन कीमत के प्राक्कलन में परिवर्तन (इसमें इस मूल्यांकन में परिवर्तन भी शामिल है कि क्या परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन सीमित है) या अनुबंध संशोधन से उत्पन्न समायोजन शामिल हैं;

(ग) अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता;

(घ) प्रतिफल के अधिकार के शर्तहित बनने के लिए समय ढांचे में परिवर्तन (जैसेकि, अनुबंध आस्ति को एक प्राप्य राशि के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना): और

(ङ) पूरी किए जाने वाली एक कार्य-निष्पादन बाध्यता के समय-ढांचे में परिवर्तन (जैसेकि अनुबंध दायित्व से उत्पन्न राजस्व की मान्यता)।

कार्य-निष्पादन बाध्यता

119. एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अनुबंध में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की सूचना, निम्नलिखित सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत करेगा:

(क) जब प्रतिष्ठान औसतन कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को पूरा करता है (उदाहरण के लिए, माल भेजने पर माल की सुपूर्दगी, सेवाएं देना या सेवा पूरी करने पर)। इनमें वे कार्य-निष्पादन बाध्यता भी सम्मिलित हैं जो बिल और धारण व्यवस्था के अन्तर्गत पूरी की जाती हैं:

(ख) महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें (उदाहरण के लिए, जब भुगतान औसतन रूप से देय है, चाहे अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक हो, चाहे प्रतिफल राशि परिवर्तनशील हो, और चाहे परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन औसतन रूप से अनुच्छेद 56-58 के अनुसार सीमित हो):

(ग) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति जिन्हें प्रतिष्ठान ने अंतरण का वचन दिया है और उसमें, वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण अन्य पक्ष (पार्टी) की कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में अंतरण व्यवस्था (अर्थात् जब प्रतिष्ठान एक अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में कार्य कर रहा है) की है, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है:

(घ) वस्तुओं की वापसी, राशियों की वापसी की बाध्यताएं एवं अन्य इसी प्रकार बाध्यताएं; और
(ङ) वारंटियों के प्रकार और संबंधित बाध्यताएं।

शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित लेन-देन की कीमत

120. एक प्रतिष्ठान शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा:

(क) ऐसे कार्य निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित लेन-देन कीमत की कुल राशि जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक असंतुष्ट है (या अंशतः असंतुष्ट है) ; और

(ख) इस बात का स्पष्टीकरण कि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 120 (क) के अनुसार प्रकट राशि की को कब राजस्व के रूप में मान्यता देने की आशा करता है। इसे प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक के द्वारा प्रकट करेगा:

- (i) मात्रात्मक आधार पर ऐसे समय खंडों का प्रयोग करते हुए जो शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की अवधि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो: या
- (ii) गुणात्मक सूचना का प्रयोग करते हुए।

121. व्यावहारिक युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अनुच्छेद 120 में दी गयी सूचना, कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रकट करे, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों में से कोई एक पूरी हो गयी हो:

(क) कार्य-निष्पादन बाध्यता एक ऐसे अनुबंध का भाग है जिसकी मूल प्रत्याशित अवधि एक वर्ष या इससे कम हो; या

(ख) प्रतिष्ठान अनुच्छेद 16 के अनुसरण में कार्य-निष्पादन बाध्यता की पूर्ति से राजस्व को मान्यता प्रदान करता है।

122. एक प्रतिष्ठान गुणात्मक आधार पर स्पष्ट करेगा कि क्या यह अनुच्छेद 121 के लिए व्यावहारिक युक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और क्या लेन-देन कीमत में ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंध का कोई प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है, और इसलिए यह अनुच्छेद 120 के अनुसरण में

प्रकट सूचना में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरणतया, लेन-देन कीमत के प्राक्कलन में परिवर्तनशील प्रतिफल की अनुमानित राशियां शामिल नहीं होंगी जो कि सीमित हैं (देखें अनुच्छेद 56-58)।

इस मानक के प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय

123. इस मानक के प्रयोग में किये गये वे निर्णय और निर्णयों में परिवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा प्रकट किये जाएंगे, जो ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से राजस्व की राशि व समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। विशेषकर, प्रतिष्ठान निम्नलिखित के निर्धारण में लिए गए निर्णयों और निर्णयों में परिवर्तनों को स्पष्ट करेगा:
- (क) कार्य निष्पादन बाध्यताओं के पूरा करने का समय (देखें अनुच्छेद 124-125) ; और
- (ख) लेन देन कीमत और कार्य निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित राशियां (देखें अनुच्छेद 126)।

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति के समय का निर्धारण

124. प्रतिष्ठान समय के दौरान की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित दोनों को प्रकट करेगा:
- (क) राजस्व की मान्यता (जैसेकि उत्पादन (आऊटपुट) विधियों या निविष्टी इनपुट विधियों का विवरण और ये विधियां किस प्रकार प्रयोग में लायी गयीं) के लिए प्रयोग की गयी विधियां; और
- (ख) वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये विधियां क्यों प्रयोग की गयीं हैं इसका स्पष्टीकरण।
125. उन कार्य निष्पादन बाध्यताओं के लिए जो एक समय पर पूरी की गई हैं, एक प्रतिष्ठान उन महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रकटन करेगा जो यह मूल्यांकन करने के लिए कि ग्राहक कब वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है; लिए गए हैं।

लेन-देन कीमत एवं कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित राशियों का निर्धारण

126. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी के लिए प्रयुक्त विधियों, निविष्टियों (इन्पुट्स) और पूर्वमान्यताओं की सूचना को प्रकट करेगा:
- (क) लेन-देन कीमत का निर्धारण, लेकिन परिवर्तनशील प्रतिफल के प्राक्कलन, धन के समय मूल्य के प्रभावों के लिए प्रतिफल का समायोजन और गैर-नकदी प्रतिफल का माप शामिल हैं इतने तक भी सीमित नहीं है;
- (ख) यह निर्धारित करना कि क्या परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन सीमित है:

(ग) लेन-देन कीमत का आवंटन जिसमें वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की अलग विक्रय कीमतों का प्राक्कलन और अनुबंध के विशेष भाग के लिए छूटों और परिवर्तनशील प्रतिफल का आवंटन करना है। (यदि लागू है) ; और

(घ) वस्तुओं की वापसी, राशियों की वापसी की बाध्यताओं और इसी तरह के अन्य बाध्यताओं का माप।

126कक एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में मान्य राजस्व की राशि का मिलान हर एक समायोजन को अलग से प्रदर्शित करते हुए अनुबंधित कीमत से करेगा, उदाहरणार्थ, बट्टे, छूटें, वापसियां, क्रेडिट, कीमत रियायतें, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस आदि, जैसे हर समायोजन कि प्रकृति व राशि का अलग से विवरण देते हुए।

ग्राहक के साथ अनुबंध के प्राप्त करने अथवा उसकी पूर्ति की लागतों से मान्य आस्तियां

127. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों का वर्णन करेगा:

(क) ग्राहक के साथ एक अनुबंध को लेने या पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों की राशि का निर्धारण करने के संबंध में लिये गये निर्णय (अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार) ; और

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिशोधन के निर्धारण के लिए विधि का प्रयोग।

128. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त का प्रकटन करेगा:

(क) एक ग्राहक के साथ अनुबंध को प्राप्त करने या उसे पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों से मान्य आस्तियों के अंतशेष (अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार), आस्ति की मुख्य श्रेणी द्वारा (उदाहरण के लिए, ग्राहक के साथ अनुबंध स्थापित करने की अनुबंध के पूर्व की लागतें और अनुबंध को लगाने की लागतें) ; और

(ख) परिशोधन की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां।

व्यावहारिक युक्तियां

129. यदि प्रतिष्ठान व्यावहारिक युक्ति के लिए तो अनुच्छेद 63 (महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक की विद्यमानता) या अनुच्छेद 94 (अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों विषयक) का चयन करता है तो वह उस तथ्य को प्रकट करेगा।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

अनुबंध	दो या दो से अधिक पक्षों (पार्टियों) के बीच एक करार जो प्रवर्तनीय अधिकारों व बाध्यताओं को सृजित करता है।
अनुबंध आस्ति	एक प्रतिष्ठान का प्रतिफल प्राप्त करने का वह अधिकार जो कि ग्राहक को वस्तुएं या सेवाओं के अंतरण करने के बदले में तब दिया है जब वह अधिकार जो समय के व्यतीत होने से भी किसी और चीज पर निर्भर करता है। (उदाहरणतया, प्रतिष्ठान का भावी कार्य-निष्पादन)।
अनुबंध दायित्व	एक प्रतिष्ठान की वह बाध्यता जिसके अनुसार वह ग्राहक को वस्तुएं या सेवाओं का अंतरण करेगा, जिनके लिए प्रतिष्ठान को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हो चुका है (या फिर राशि प्राप्त होनी है)।
ग्राहक	वह पक्ष (पार्टी) जिसने उन वस्तुओं एवं सेवाओं को जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद (आउटपुट) है: प्रतिफल के बदले प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है।
आय	यह वह प्राप्ति है जो लेखा अवधि के दौरान आस्तियों के अन्तर्वाह या वृद्धि के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि करती है या दायित्व में कमी करती है जिससे कि इक्विटी में वृद्धि होती है लेकिन यह इक्विटी सहभागियों के अंशदान से भिन्न है।
कार्य-निष्पादन बाध्यता	अनुबंध में ग्राहक के साथ एक वचनबद्धता कि ग्राहक को निम्नलिखित में से किसी एक का अंतरण किया जाएगा(क) एक सुभिन्न वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का समूह (बंडल)); या (ख) विशेष वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला जो अधिकांशतया उसी प्रकार की होगी और ग्राहक को अंतरण का ढंग भी वही रहेगा।
राजस्व	प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न आय ।

स्वतंत्र विक्रय कीमत एक ऐसी कीमत जिस पर एक प्रतिष्ठान एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा एक **ग्राहक** को अलग से बेचता है।
(एक वस्तु या सेवा की)

लेन-देन कीमत (एक प्रतिफल की वह राशि जिसकी एक प्रतिष्ठान वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के **ग्राहक** के साथ **ग्राहक** को अंतरण करने के बदले आशा करता है। इसमें तृतीय पक्ष (पार्टी) की अनुबंध के लिए ओर से उगाही गयी राशियां शामिल नहीं होती हैं।

परिशिष्ट ख

प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश-

यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 1-129 के प्रयोग का वर्णन करता है। इसकी वही प्राधिकार है जो लेखा मानक के अन्य अंगों का है।

ख1 इस प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है :

- (क) कार्य निष्पादन बाध्यताएं जो एक समय में पूरी की जाती हैं (अनुच्छेद ख2-ख13);
- (ख) कार्य निष्पादन बाध्यता के पूरे होने की प्रगति की माप की विधियां (अनुच्छेद ख14-ख19);
- (ग) वापसी के अधिकार के साथ बिक्री (अनुच्छेद ख20-ख27);
- (घ) वारंटियों (अनुच्छेद ख28-ख33);
- (ङ) मुख्य प्रतिष्ठान बनाम प्रतिनिधि (एजेंट) प्रतिष्ठान प्रतिफल (अनुच्छेद ख34-ख38);
- (च) अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहक के विकल्प (अनुच्छेद ख39-ख43);
- (छ) ग्राहकों के अप्रयुक्त अधिकार (अनुच्छेद ख44-ख47);
- (ज) न वापसी योग्य अग्रिम शुल्क (और कुछ संबंधित लागतें) (अनुच्छेद ख48-ख51);
- (झ) लाइसेंसिंग (अनुच्छेद ख52-ख63ख);
- (ञ) पुर्नखरीद करार (अनुच्छेद ख64-ख76);
- (ट) प्रेषण प्रबंध (अनुच्छेद ख77-ख78);
- (ठ) बिल व धारण प्रबंध (अनुच्छेद ख79-ख82);
- (ड) ग्राहक की स्वीकृति (अनुच्छेद ख83-ख86); तथा
- (ढ) विघटित राजस्व का प्रकटन (अनुच्छेद ख87-ख89)।

एक समयान्तर में पूर्ण किये जाने वाली कार्य निष्पादन बाध्यताएं

ख2 अनुच्छेद 35 के अनुसरण में, एक कार्य-निष्पादन बाध्यता एक समय के दौरान पूरी की जाती है यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदण्ड पूरा हो जाता है:

- (क) प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन पर उसके द्वारा दिये गये लाभों को ग्राहक प्राप्त करने के साथ-साथ इस्तेमान भी करता है (देखें अनुच्छेद ख3-ख4);
- (ख) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन उस एक आस्ति का या तो सृजन करता है या उसमें वृद्धि करता है (जैसे कि कार्य जो प्रगति में है) जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे कि आस्ति का सृजन या वृद्धि होती है (देखें अनुच्छेद ख5); अथवा
- (ग) प्रतिष्ठान का कार्य निष्पादन उसके लिए वैकल्पिक प्रयोग वाली एक आस्ति का सृजन नहीं करता है (देखें अनुच्छेद ख6-ख8) और प्रतिष्ठान के पास आज तक पूर्ण कार्य निष्पादन के लिए भुगतान को लागू किये जा सकने वाला अधिकार है (देखें अनुच्छेद ख9-ख13)।

प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभों की प्राप्ति और उसके साथ ही उपभोग [अनुच्छेद 35(क)]

ख3 कार्य-निष्पादन दायित्वों की कुछ किस्मों के लिए, यह मूल्यांकन सीधा होगा कि क्या एक ग्राहक एक प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभ प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादन के साथ ही प्राप्त कर लेता है और जैसे ही उन लाभों को प्राप्त करता है वैसे ही साथ-साथ उनका उपभोग भी कर लेता है। इसका उदाहरण (रूटीन) या आवर्ती (बार-बार होने वाली) सेवाएं हैं (जैसे कि सफाई सेवा) जिनमें ग्राहक द्वारा प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभों की प्राप्ति व उपभोग दोनों साथ पाये जाते हैं।

ख4 अन्य प्रकार के कार्य-निष्पादन बाध्यताओं में हो सकता है कि एक प्रतिष्ठान आसानी से यह पहचान न कर पाये कि प्रतिष्ठान जैसे कार्य-निष्पादन करता है क्या ग्राहक प्रतिष्ठान वैसे ही कार्य-निष्पादन के लाभों को प्राप्त व उपभोग, दोनों एक साथ कर रहा है। इन परिस्थितियों में, कार्य निष्पादन दायित्व एक समय के दौरान किया जाता है। यदि प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा उस स्थिति तक किए गए कार्य को कोई दूसरे प्रतिष्ठान को काफी अधिक मात्रा तक पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उस अन्य प्रतिष्ठान को ग्राहक के लिए शेष कार्य-निष्पादन को पूरा करना हो। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रतिष्ठान द्वारा एक तिथि तक किए गए कार्य को किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काफी अधिक मात्रा में पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए प्रतिष्ठान को निम्नलिखित दोनों अवधारणाओं को मानना होगा:

(क) संभावित अनुबंधात्मक प्रतिबंधों या व्यवहारिक सीमाओं की उपेक्षा न करना, जो कि अन्यथा एक प्रतिष्ठान द्वारा किसी दूसरे प्रतिष्ठान को शेष कार्य-निष्पादन बाध्यता को अंतरित करने से रोकते हैं; और

(ख) यह मानना कि कोई अन्य प्रतिष्ठान जो शेष कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करा है, उस आस्ति का लाभ नहीं ले पाएगा जो वर्तमान प्रतिष्ठान के नियंत्रण में है और उस पर प्रतिष्ठान का नियंत्रण तब भी जारी रहेगा अगर कार्य-निष्पादन बाध्यता अन्य प्रतिष्ठान को अंतरित कर दी जाती।

ग्राहक एक आस्ति का नियंत्रण करता है जैसे ही उस आस्ति का सृजन या वृद्धि होती है [अनुच्छेद 35(ख)]

ख5 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक ग्राहक अनुच्छेद 35(ख), के अनुसरण में सृजित या वृद्धि की गई आस्ति को नियंत्रित करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31-34 और 38 में दी गई नियंत्रण अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा। सृजित या वृद्धि की जाने वाली आस्ति (जैसाकि कार्य प्रगति के रूप में आस्ति) मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है।

प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन जो कि वैकल्पिक प्रयोग वाली आस्ति सृजित नहीं करता [अनुच्छेद 35(ग)]

- ख6 अनुच्छेद 36 के अनुसार यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या एक आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए वैकल्पिक प्रयोग है, एक प्रतिष्ठान उस आस्ति को किसी अन्य प्रयोग के लिए तत्काल निर्देशित करने की योग्यता पर अनुबंधात्मक प्रतिबंधों व व्यवहारिक सीमाओं के प्रभावों पर विचार करेगा, जैसेकि आस्ति को किसी अन्य ग्राहक को बेचना। प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति को किसी अन्य प्रयोग के लिए तत्काल निर्देशित किये जाने की योग्यता का निर्धारण करने के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधों के समाप्त किये जाने की संभावना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ख7 प्रतिष्ठान का एक आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करने की योग्यता पर अनुबंधात्मक प्रतिबंध इतना तात्विक होना चाहिए कि उस आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए कोई वैकल्पिक प्रयोग ना हो। एक अनुबंधात्मक प्रतिबंध तब तात्विक है जब एक ग्राहक वचनबद्ध आस्ति के लिए अपने अधिकारों को लागू कर सके जब प्रतिष्ठान आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करें। इसके विपरीत, एक अनुबंधात्मक प्रतिबंध तब तात्विक नहीं है, उदाहरणतया, यदि एक आस्ति अन्य आस्तियों के साथ बड़े पैमाने पर परस्पर बदली जा सके और उन आस्तियों को प्रतिष्ठान किसी अन्य ग्राहक को अनुबंध को तोड़े बिना और कोई ज्यादा लागत खर्च किये बिना जो अन्यथा, उस अनुबंध में खर्च न होती, अंतरित कर सके।
- ख8 एक व्यावहारिक सीमा को एक प्रतिष्ठान की योग्यता कि वह एक आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करे, तब होती है जब एक प्रतिष्ठान अन्य प्रयोग के लिए आस्ति को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण आर्थिक हानियां उठाता है। एक महत्वपूर्ण हानि तब होती है जब प्रतिष्ठान आस्ति के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करे या फिर भारी हानि पर उसे बेच दे। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान व्यवहारिक रूप से आस्तियों को पुनःनिर्देशित करने की योग्यता पर सीमा हो सकती है अगर आस्ति की डिजाइन विशिष्टताएं ऐसी हों जो एक ग्राहक के लिए विशेष हों या फिर आस्तियां दूरदराज क्षेत्रों में स्थित हों।

अब तक के कार्य निष्पादन के लिए भुगतान का अधिकार (अनुच्छेद 35ग)

- ख9 अनुच्छेद 37 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान के पास अब तक के कार्य निष्पादन के भुगतान का अधिकार होता है अगर प्रतिष्ठान द्वारा वचनबद्धता के अनुसार कार्य निष्पादन पूरा करने में एसफल रहने को छोड़कर अन्य कारणों से जब प्रतिष्ठान या कोई अन्य पार्टी पक्ष एक तिथि को अनुबंध समाप्त करने से उस तक पूरे किए गए कार्य निष्पादन की प्रतिपूर्ति की राशि का हकदार होता है। प्रतिष्ठान द्वारा अब तक पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन की प्रतिपूर्क राशि वह राशि है जो उस तिथि तक वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री कीमत के समान होती है) जैसे कि, प्रतिष्ठान द्वारा कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने की लागत और उचित लाभ मार्जिन की वसूली (न कि अनुबंध की समाप्ति पर प्रतिष्ठान को लाभ की संभावित हानि। उचित लाभ मार्जिन की प्रतिपूर्ति जरूरी नहीं कि उस राशि के समान हो जो अनुबंध

वचनबद्धता अनुसार पूरा होने पर लाभ मार्जिन के रूप में हो। लेकिन ,प्रतिष्ठान प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसी एक राशि के लिए हकदार होना चाहिए:

- (क) ग्राहक) या किसी अन्य पार्टी (द्वार अनुबंध से प्रदर्शित प्रत्याशित लाभ जो कि ग्राहक द्वारा अनुबंध की समाप्ति से पूर्व अनुबंध के अधीन प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करें; या
- (ख) इसी प्रकार के अनुबंधों में प्रतिष्ठान की पूंजी की लागत पर उचित प्रतिफल) या प्रतिष्ठान का इसी प्रकार के अनुबंधों में सामान्यतया परिचालन मार्जिन (यदि अनुबंध संबंधी विशेष मार्जिन प्रतिष्ठान की इसी प्रकार के अनुबंधों से सामान्य आय) प्रतिफल (से अधिक है।

ख 10 यह आवश्यक नहीं कि एक प्रतिष्ठान का अब तक पूर्ण किए गए कार्य निष्पादन के लिए भुगतान का मौजूदा शर्तहित अधिकार हो। बहुत से मामलों में ,प्रतिष्ठान के पास भुगतान के लिए शर्तहित अधिकार तभी होता है जब इसके लिए कोई सहमत स्तर हो या कार्य निष्पादन बाध्यता का पूरी तरह से निर्वहन हो गया हो। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसके पास अब तक कार्य निष्पादन के पूरे होने पर भुगतान का अधिकार है या नहीं ,एक प्रतिष्ठान इस बाद पर विचार करेगा कि अनुबंध पूरे होने से पहले ही प्रतिष्ठान द्वारा वचनबद्ध तरीके से निर्वहन न कर पाने को छोड़कर किन्ही अन्य कारणों से अनुबंध समाप्त हो जाने पर क्या प्रतिष्ठान के पास अब तक पूरे किए गए कार्य निष्पादन भुगतान को मांगने या रोके रखने का कोई लागू करने योग्य अधिकार है या नहीं।

ख 11 कुछ अनुबंधों में ,एक ग्राहक के पास एक ऐसा अधिकार हो सकता है जो वह अनुबंध के कार्यकाल के दौरान किन्हीं निश्चित समय पर अनुबंध को समाप्त कर सके या उसके पास अनुबंध को समाप्त करने का कोई भी अधिकार ना हो। यदि ग्राहक के पास अनुबंध को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और वह उसे समाप्त कर देता है) इसमें यह सम्मिलित है कि जब ग्राहक वचनबद्धता के अनुसार बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता ,(तो वह अनुबंध) या अन्य कानून ,(प्रतिष्ठान को ये हक देता है कि वह अनुबंध के अनुसार वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करना जारी रखे और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्रतिफल का भुगतान करने के लिए बाध्य हो इन परिस्थितियों में ,प्रतिष्ठान को यह अधिकार है कि वह अब तक पूरे किये गये कार्य-निष्पादन के भुगतान को प्राप्त करे क्योंकि प्रतिष्ठान के पास अनुबंध के अनुसार कार्य-निष्पादन का निर्वहन जारी रखने का अधिकार है और इसी तरह ग्राहक को भी अपने दायित्व पूरे करने होंगे) जिनमें वचनबद्ध प्रतिफल का भुगतान भी शामिल है।

ख 12 अब तक पूरे किये गये कार्य निष्पादन के भुगतान के अधिकार की विद्यमानता व लागू करने की योग्यता के निर्धारण के लिए ,प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक शर्तों के साथ-साथ उन विधानों या कानूनी पूर्व

उदाहरणों पर भी विचार करेगा जो उन अनुबंधात्मक शर्तों की या तो परिपूरक है या उनका अधिरोहण करती है। इनमें निम्नलिखित का निर्धारण भी सम्मिलित है;

- (क) विधान ,प्रशासकीय व्यवहार) या प्रथा (या कानूनी पूर्व उदाहरण प्रतिष्ठान को यह अधिकार देते हैं कि वह अब तक के कार्य-निष्पादन का भुगतान प्राप्त कर सकता है बले ही ग्राहक के साथ अनुबंध में उस अधिकार का कोई उल्लेख है या नहीं;
- (ख) संबंधित कानूनी पूर्व उदाहरण यह उल्लेख करती है कि इसी प्रकार के अनुबंधों के अधीन अब तक के कार्य-निष्पादन पूरे करने से भुगतान के इसी प्रकार के अधिकारों का कोई बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं है; या
- (ग) एक प्रतिष्ठान के प्रथात्मक व्यवसायिक व्यवहारों के अंतर्गत भुगतान के अधिकार को लागू करने का चयन करने के कारण कानूनी परिस्थितियों में यह अधिकार लागू न किए जाने योग्य की श्रेणी में आ जाता है। तथापि ,इसके बावजूद कि प्रतिष्ठान इस प्रकार के अनुबंधों में भुगतान के अधिकार को छोड़ने का चयन करता है ,प्रतिष्ठान निश्चित तिथि तक भुगतान पाने का अधिकार जारी रख सकता है बशर्ते ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध में अब तक कार्य निष्पादन के भुगतान का उसका अधिकार लागू करने योग्य हो।

- ख 13 अनुबंध में निर्धारित भुगतान की समय-सारणी जरूरी नहीं कि इस बात का संकेत हो कि एक प्रतिष्ठान के पास अब तक पूरे किए गए कार्य निष्पादन के भुगतान का लागू करने योग्य अधिकार है। यद्यपि , अनुबंध में भुगतान की समय सारणी में समय व प्रतिफल की उस राशि का उल्लेख होता है जो ग्राहक द्वारा देय है ,भुगतान की समय सारणी में जरूरी नहीं की इस बात का साक्ष्य हो कि अब तक कार्य निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान का भुगतान के लिए अधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ,उदाहरणस्वरूप, अनुबंध स्पष्ट कर सकता है कि ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल ,प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध में दिये वचन को पूरा करने में सफल न होने से ,इससे भिन्न किन्हीं भी कारणों से ,वापस किया जा सकता है।

कार्य-निष्पादन की पूर्ण पूर्ति की प्रगति के माप के लिए विधियां

- ख14 अनुच्छेद 37-35 के अनुसरण में एक समय प्रतिष्ठान द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्य-निष्पादन दायित्वों की पूर्ण पूर्ति की प्रगति के लिए प्रयोग में लायी गयी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होंगी:

- (क) उत्पादन विधियां) देखें अनुच्छेद ख-15ख(17; और
(ख) निविष्ट) इनपुट (विधियां) देखें अनुच्छेद ख-18ख(19)

उत्पादन विधियां

- ख 15 उत्पादन विधियां राजस्व को अब तक ग्राहक को अंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर मान्यता देती हैं। यह मूल्य अनुबंध के अन्तर्गत वचनबद्ध शेष वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित होता है। उत्पादन विधियों में अब तक एक पूर्ण कार्य-निष्पादन सर्वेक्षण ,प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन ,विशेष स्तर) पड़ाव ,(व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयां या दी गई इकाइयां आदि सम्मिलित हैं। जब तक प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करता है कि प्रगति के माप के लिए जब एक उत्पादन विधि अपनयी जाती है प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि उत्पादन विधि कार्य-निष्पादन की पूर्ण पूर्ति के प्रति प्रतिष्ठान के निर्वाह का क्या यथार्थ प्रदर्शन करती है। एक उत्पादन विधि प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन का यथार्थ प्रदर्शन नहीं करती यदि चयनित उत्पादन उन कुछ वस्तुओं या सेवाओं का माप करने में असफल रहता है जिनका नियंत्रण ग्राहक को अंतरित कर दिया गया है। उदाहरणस्वरूप, उत्पादित या सुपुर्द की गई इकाइयों पर आधारित उत्पादन विधियां उस स्थिति में कार्य-निष्पादन दायित्व पूरा करने में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन का यथार्थ प्रदर्शन नहीं करती ,यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन ने ग्राहक द्वारा नियंत्रित उस प्रगति कार्य या तैयार माल का उत्पादन किया है जो उत्पादन के माप में सम्मिलित नहीं है।
- ख 16 व्यावहारिक युक्ति के रूप में ,यदि प्रतिष्ठान के पास ग्राहक से किसी प्रतिफल की ऐसी राशि का अधिकार है जो अब तक प्रतिष्ठान के पूर्ण कार्य-निष्पादन के लिए प्रत्यक्षतया ग्राहक के मूल्य के अनुरूप है) उदाहरणतया एक सेवा अनुबंध जिसमें एक प्रतिष्ठान दी गई सेवा के प्रत्येक घंटे की बिलिंग करता है ,(प्रतिष्ठान उस राजस्व राशि को मान्यता देगा जो बिल करने के लिए प्रतिष्ठान के अधिकार में हैं।
- ख 17 उत्पादन विधि के नुकसान ये हैं कि प्रगति के माप के लिए प्रयुक्त उत्पादन की प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर नहीं है और उसके प्रयोग के लिए अपेक्षित सूचना प्रतिष्ठान के लिए कम लागत पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण ,निविष्ट विधि ही आवश्यक हो सकती है।

निविष्ट विधियां

- ख 18 निविष्ट विधियां राजस्व की मान्यता के लिए प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने के निविष्टियों के आधार पर करती हैं) उदाहरणस्वरूप ,संसाधनों का उपभोग ,खर्च किये गये श्रमिक घंटे , खर्च की गयी लागत ,व्यतीत काल या प्रयुक्त मशीन के घंटे (ये निविष्टियां कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए कुल निविष्टियों की तुलना में होती हैं। यदि प्रतिष्ठान के प्रयास या निविष्टियां कार्य-निष्पादन अवधि के दौरान एक सार प्रयोग में रहती हैं तब प्रतिष्ठान के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह राजस्व को सीधी रेखा के आधार पर ही मान्यता दे।

ख 19 निविष्ट विधियों की एक कमी यह है कि प्रतिष्ठान की निविष्टियों और ग्राहक की वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण सीधे संबंधित नहीं है। अतः एक प्रतिष्ठान एक निविष्ट विधि में से उन निविष्टियों के प्रभाव को हटा देगा जो अनुच्छेद 39 में प्रगति माप के उद्देश्य के अनुसार ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण के अंतरण में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित नहीं करती है। उदाहरणतया, जब लागत आधारित निविष्टि विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रगति के माप में समायोजन निम्नलिखित परिस्थितियों में अपेक्षित है:

(क) जब उपगत की गयी लागत प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन पूर्ति की प्रगति में कोई अंशदान नहीं करती। उदाहरणस्वरूप, एक प्रतिष्ठान खर्च की गई लागतों के आधार पर उस राजस्व को मान्यता नहीं देता जो प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन में महत्वपूर्ण कमजोरियों के कारण है और वह अनुबंध की कीमत में प्रदर्शित नहीं होती। उदाहरणस्वरूप, बेकार सामग्री, श्रम या अन्य संसाधनों की अप्रत्याशित राशियों की लागतें जो कार्य-निष्पादन की पूर्ति के लिए खर्च की जाती हैं।

(ख) जब खर्च की गयी लागत प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति में प्रगति के अनुपात में नहीं है। इन परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन का सर्वोत्तम प्रदर्शन इस प्रकार हो कि निविष्टि विधि को इस तरह से समायोजित किया जाए ताकि राजस्व को केवल खर्च की गयी लागत तक मान्यता दी जाए। उदाहरणस्वरूप, प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन का यथार्थप्रदर्शन उस राशि तक राजस्व को मान्यता दे जो कार्य निष्पादन की पूर्ति में प्रयुक्त वस्तु के उपयोग की लागत के समान हो बशर्ते यदि प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में यह आशा करे कि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होंगी-

- (i) वस्तु विशेष नहीं है;
- (ii) ग्राहक को यह आशा है कि वह वस्तु से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व वस्तु का अधिकांशतया नियंत्रण प्राप्त कर लेगा;
- (iii) अंतरित वस्तु की लागत-निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए कुल प्रत्याशित लागतों के संबंध में महत्वपूर्ण है और वह; और
- (iv) प्रतिष्ठान वस्तु तीसरे पक्ष) पार्टी (से प्राप्त करता है और वह महत्वपूर्ण रूप से वस्तु की रूपरेखा और विनिर्माण में शामिल नहीं है) लेकिन प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख-34ख 38के अनुसरण में मुख्य प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करता है।

सामान-वापसी के अधिकार के साथ बिक्री

- ख20 कुछ अनुबंधों में ,एक प्रतिष्ठान ग्राहक को उत्पाद का नियंत्रण अंतरित करता है और वह ग्राहक को विभिन्न कारणों) जैसे कि उत्पाद से संतुष्टि न होना (से उत्पाद की वापसी का भी अधिकार देता है और निम्नलिखित में से कोई एक संयोजन प्राप्त करता है:
- (क) अदा किये गये प्रतिफल की पूर्ण या आंशिक वापसी;
- (ख) प्रतिष्ठान की प्राप्त राशि या प्राप्त होने वाली राशियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला ऋण; और
- (ग) बदले में कोई अन्य उत्पाद।
- ख 20कक कुछ अनुबंधों में ,एक प्रतिष्ठान एक उत्पादन का नियंत्रण ग्राहक को शर्त रहित वापसी के अधिकार के साथ अन्तरित करता है। ऐसे मामलों में राजस्व की मान्यता व्यवस्था के सारत्व के अनुसार होगी। जहां सारत्व प्रेषण बिक्री की तरह है ,तब प्रतिष्ठान इस प्रकार के अनुबंध का लेखा इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 77 के उपबंधों के अनुसार करेगा। अन्य मामलों में ,ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों का लेखा अनुच्छेदों ख-21ख 27के अनुसार किया जाएगा।
- ख 21 वापसी के अधिकार के साथ उत्पादनों के अंतरण के लेखे के लिए) और कुछ सेवाएं जो प्रतिफल वापसी के सशर्त हैं ,(एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी को मान्यता देगा :
- (क) प्रतिफल की राशि में अंतरित उत्पादों के राजस्व जिसके लिए प्रतिष्ठान यह आशा करता है कि वह उसका हकदार है) अतः उन उत्पादों के लिए राजस्व मान्य नहीं होगा जिनकी वापसी की उम्मीद है(;
- (ख) वापसी का एक दायित्व; और
- (ग) वापसी दायित्व के निपटान पर ग्राहकों से उत्पादों की वसूली के अधिकार के लिए एक आस्ति) और बिक्रियों की लागत का समरूप समायोजन।
- ख 22 वापसी अवधि के दौरान वापस किए उत्पाद की वापसी के लिए प्रतिष्ठान के तैयार रहने की वचनबद्धता को वापसी प्रदान करने के दायित्व के अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में लेखाकृत नहीं किया जाएगा।
- ख23 एक प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि के निर्धारण के लिए अनुच्छेद 72-47 की अपेक्षाओं) जिनमें वे अपेक्षाएं सम्मिलित हैं जो अनुच्छेद 58-56 में परिवर्तनशील प्रतिफल को प्राक्कलनों की बाध्यता से संबंधित है (का प्रयोग करेगा जिसके हक की प्रतिष्ठान आशा करता है) यानि उन उत्पादों को छोड़कर जिनके लौटाए जाने की उम्मीद है(। प्राप्त) या प्राप्य (उन राशियों के लिए जिनके हक के लिए प्रतिष्ठान आशा नहीं करता ,प्रतिष्ठान उत्पादों को ग्राहकों को अंतरित करते समय राजस्व को मान्यता नहीं देगा लेकिन वह उन प्राप्त) प्राप्य (राशियों को दायित्व वापसी के रूप में मान्यता देगा। इसके पश्चात् ,प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ,प्रतिष्ठान उन राशियों के मूल्यांकन को अद्यतन करेगा) अपडेट (जिन्हें वह

अंतरित उत्पादों के बदले उनके हक की आशा करता है। साथ ही वह लेन-देन कीमत और अतः मान्य राजस्व की राशि में तदनुरूपी परिवर्तन करेगा।

- ख 24 एक प्रतिष्ठान वापसियों की राशि के बारे में प्रत्याशाओं में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वापसी दायित्व के माप के अद्यतन) अपडेट (करेगा। प्रतिष्ठान राजस्व) या राजस्व की कटौतियों (के रूप में तदनुरूपी समायोजनों को मान्यता देगा।
- ख 25 एक वापसी दायित्व के निपटान पर ग्राहक से उत्पादों की वसूली के प्रतिष्ठान के अधिकार के लिए एक मान्य आस्ति प्रारंभ में उत्पाद की पूर्ववर्ती अग्रणीत राशि) उदाहरणार्थ, माल सूची) इन्वेंट्री (और इसमें उन उत्पादों की वसूली की प्रत्याशित लागतें घटाकर) जिनमें वापस उत्पादों की प्रतिष्ठान के मूल्य में कमी की संभावनाएं भी शामिल हैं, (उसके संदर्भ में मापी जाएगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, वापस किये जाने वाले उत्पादों के बारे में प्रत्याशाओं के परिवर्तनों से उत्पन्न आस्ति के माप का प्रतिष्ठान अद्यतन करेगा। प्रतिष्ठान आस्ति को वापसी दायित्व से अलग प्रस्तुत करेगा।
- ख 26 इस मानक के प्रयोग के उद्देश्य के लिए ग्राहकों द्वारा एक ही किस्म, गुणवत्ता, स्थिति और एक ही कीमत के एक उत्पाद के बदले दूसरे उत्पाद की अदला-बदली) जैसे कि, एक ही रंग या आकार के उत्पाद की अदला-बदली (वापसियों के रूप में नहीं मानी जाती है।
- ख 27 ऐसे अनुबंध जिनमें एक ग्राहक एक दोषयुक्त उत्पाद के बदले एक कार्यशील दोषरहित (उत्पाद की अदला-बदली के रूप में वापसी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वे अनुबंध अनुच्छेद ख-28ख 33में वारंटियों विषयक दिशा-निर्देश के अनुसरण में मूल्यांकित किये जायेंगे।

वारंटियां

- ख 28 एक प्रतिष्ठान के लिए यह एक सामान्य बात है कि वह) अनुबंध, कानून या प्रतिष्ठान की व्यवसायिक प्रथाओं के अनुसार, (उत्पाद) उत्पाद या सेवा (की बिक्री के संबंध में कोई वारंटी दे। वारंटियों की प्रकृति में उद्योगों और अनुबंधों के कारण बहुत अन्तर हो सकता है। कुछ वारंटियां ग्राहक को इस बात का आश्वासन देती हैं कि संबंधित उत्पाद वैसे ही कार्य करेगा जैसे कि दोनों पक्षों का आशय है, क्योंकि यह समहत विशेषताओं के अनुसार है। अन्य अनुबंध उत्पाद की सहमत विशेषताओं की पूर्ति के साथ ग्राहक को अतिरिक्त सेवा भी देते हैं।
- ख 29 यदि ग्राहक के पास वारंटी अलग से खरीदने का विकल्प है) उदाहरणतया, क्योंकि वारंटी अलग से कीमतशुदा या मोल भाव वाली है (तो वारंटी एक अलग सेवा है क्योंकि प्रतिष्ठान इसमें ग्राहक को उत्पाद

के अतिरिक्त सेवा देने का वचन देता है जिसकी अनुबंध में कार्यशीलता का वर्णन होता है। इन परिस्थितियों में , एक प्रतिष्ठान वचनबद्ध वारंटी का अनुच्छेद 30-22 के अनुसरण में एक कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में लेखा करेगा और अनुच्छेद 86-73 के अनुसार लेन-देन कीमत का एक भाग उस कार्य निष्पादन बाध्यता को आवंटित करेगा।

ख 30 यदि ग्राहक को अलग से वारंटी की खरीद का विकल्प नहीं है ,तो प्रतिष्ठान उस वारंटी का लेखा भारतीय लेखा मानक ,37 *प्रावधान आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक आस्तियों*, के अनुसरण में करेगा ,यदि वचनबद्ध वारंटी या वचनबद्ध वारंटी का एक भाग ग्राहक को इस आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है ,के अतिरिक्त सेवा नहीं देता है।

ख 31 यह निश्चित करने के लिए कि क्या वारंटी ग्राहक को आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है ,के अतिरिक्त सेवा देती है ,प्रतिष्ठान निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा ;

(क) क्या कानूनन वारंटी देना जरूरी है-यदि कानून अंतर्गत प्रतिष्ठान के लिए वारंटी देना जरूरी है ,उस कानून की मौजूदगी इस बात का उल्लेख करती है कि वचनशुदा वारंटी एक कार्य निष्पादन बाध्यता नहीं है क्योंकि इस प्रकार की अपेक्षाएं सामान्यतया ग्राहक को दोषपूर्ण उत्पादों की खरीद के जोखिम से बचाती है।

(ख) वारंटी कवरेज अवधि कब तक है -कवरेज अवधि जितनी ज्यादा होगी ,इस बाद की संभावना उतनी ज्यादा होगी कि वचनबद्ध वारंटी एक कार्य निष्पादन बाध्यता है क्योंकि यह अति संभावित है कि वह इस आश्वासन कि उत्पादन सहमत विशेषताओं के अनुसार है ,अलावा अतिरिक्त सेवा भी देगी।

(ग) उन कार्यों के प्रकृति जिन्हें प्रतिष्ठान पूरा करने का वचन देता है-यदि एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह उन विशिष्ट कार्यों को पूरा करने ताकि वह यह आश्वासन दे सके कि उत्पाद सहमत सभी विशेषताओं को पूरा करता है।) जैसेकि ,दोषपूर्ण उत्पाद की वापसी शिपिंग सेवा ,(तो यह संभावित है कि वे कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन नहीं करते।

ख 32 यदि एक वारंटी ,या वारंटी का एक भाग ,ग्राहक को इस आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है ,के अतिरिक्त एक सेवा देता है तो वचनशुदा सेवा एक कार्य-निष्पादन बाध्यता है। अतः प्रतिष्ठान उत्पाद और सेवा के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करेगा। यदि एक प्रतिष्ठान आश्वासन किस्म की वारंटी और सेवा किस्म की वारंटी दोनों का वचन देता है लेकिन दोनों का लेखा तर्कसंगत रूप से अलग-अलग नहीं कर सकता हो तो प्रतिष्ठान दोनों वारंटियों का लेखा एक साथ एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में कर सकता है।

ख 33 एक कानून जो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि यदि उसके उत्पादों से कोई नुकसान होता है या कोई क्षति होती है तो वह इसकी प्रतिपूर्ति करे, इससे कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक उत्पादनकर्ता कानून के उस दायरे में वस्तुएं बेच रहा हो सकता है जहां कि वो उत्पादनकर्ता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार हो) उदाहरणतया, स्वयं की संपत्ति जो कि एक ग्राहक द्वारा उस वस्तु का इस्तेमान करने से हो सकती है। इसी तरह, एक प्रतिष्ठान के द्वारा दिया गया वो वचन जो कि एक ग्राहक को संरक्षण देता है उन दयित्वों व नुकसानों से जो कि पेटेंट, कापीराइट, ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह (या और कोई अतिलंघन से उत्पन्न होता है तो वह कार्य-निष्पादन बाध्यता नहीं मानी जाएगी। इस तरह की बाध्यताओं को एक प्रतिष्ठान इंड एस 37 के अनुसार मान्यता देगा।

ख34 जब एक ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए कोई और पार्टी (पक्ष) शामिल होता है, प्रतिष्ठान इस बात का आकलन करता है कि उसके द्वारा दिये गये वचन की प्रकृति किन्ही निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को स्वयं प्रदान करने के लिए एक कार्य-निष्पादन एक मुख्य प्रतिष्ठान अर्थात् (प्रिंसिपल) है अथवा वह ऐसी व्यवस्था करेगा कि उन वस्तुओं या सेवाओं को कोई दूसरा पक्ष (पार्टी) प्रदान करे (यानि प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि प्रतिष्ठान अर्थात् एजेंट) है। प्रतिष्ठान यह आकलन करता है कि ग्राहक को वचनशुदा प्रत्येक वस्तु या सेवा को प्रदान करने के लिए वह एक मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल) है या एक प्रतिनिधि प्रतिष्ठान (एजेंट) है। ग्राहक को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट वस्तु या सेवा है (या वस्तुओं या सेवाओं का एक विशिष्ट समूह या बंडल है (देखें अनुच्छेद 27-30)। यदि एक ग्राहक के साथ अनुबंध में एक से अधिक विशिष्ट वस्तुएं या सेवाएं शामिल होती हैं, तो प्रतिष्ठान कुछ विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के लिए मुख्य प्रतिष्ठान यानि प्रिंसिपल हो सकता है जबकि अन्य के लिए एक प्रतिनिधि प्रतिष्ठान यानि एजेंट हो सकता है।

ख34क अपने वचन (अनुच्छेद ख34 में यथा वर्णित) की प्रकृति का आकलन करने के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :-

(क) ग्राहक को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं का पता लगाना (जो, उदाहरणार्थ, अन्य पक्ष (पार्टी) द्वारा दी जाने वाली एक वस्तु या सेवा का एक अधिकार है (देखें अनुच्छेद 26); एवं

(ख) यह निर्धारित करना कि ग्राहक को अन्तरिक करने से पूर्व क्या प्रत्येक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर उसका नियंत्रण (अनुच्छेद 33 में यथा वर्णित) है या नहीं।

ख35 एक प्रतिष्ठान तब एक मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल) है अगर वह विशिष्ट वस्तु या सेवा को ग्राहक को अंतरण करने से पूर्व उसका नियंत्रण करता है। लेकिन, यह जरूरी नहीं की एक प्रतिष्ठान उस

विशिष्ट वस्तु पर नियंत्रण रखे यदि वह प्रतिष्ठान उस वस्तु का क्षणिक रूप कानूनी हक से ग्राहक को कानूनी हक अंतरण करने के पूर्व रखता हो। एक प्रतिष्ठान जो कि मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल) है। विशिष्ट वस्तु या सेवा को देने के लिए अपने कार्य निष्पादन को संतुष्ट कर सकता है या वह अपनी ओर से किसी दूसरी पार्टी (उदाहरणार्थ, एक उप अनुबंधकर्ता) को कुछ या सभी कार्य निष्पादन को पूरा करने के लिए शामिल कर सकता है।

ख35क जब एक अन्य पक्ष (पार्टी) एक ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए शामिल है, एक प्रतिष्ठान जो एक मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल) है, निम्नलिखित में से किसी एक का नियंत्रण प्राप्त करता है :-

(क) अन्य पक्ष (पार्टी) से एक वस्तु या अन्य कोई आस्ति जिसे वह तब ग्राहक को अन्तरित करता है।

(ख) अन्य पक्ष (पार्टी) द्वारा दी जाने वाली सेवा का एक अधिकार जो प्रतिष्ठान को यह योग्यता प्रदान करता है, कि वह उस पक्ष को निर्देशित कर सके कि वह (पक्ष) प्रतिष्ठान की ओर से ग्राहक को सेवा प्रदान करे।

(ग) ग्राहक को विशिष्ट वस्तु या सेवा देने के लिए अन्य पक्ष से एक वस्तु या सेवा को अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ संयोजित करे। उदाहरणार्थ, यदि एक प्रतिष्ठान अन्य पक्ष द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं (देखें अनुच्छेद 29क) ग्राहक द्वारा अनुबंधित विशिष्ट वस्तु या सेवा में संयोजित करने की विशिष्ट सेवा प्रदान करता है, तो प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को ग्राहक को अन्तरित करने से पूर्व उसे नियंत्रित करता है। ऐसा इसलिए है कि प्रतिष्ठान विशिष्ट वस्तु या सेवा की (जिसमें अन्य पक्षों से वस्तुएं या सेवाएं सम्मिलित हैं) निविष्टियों (इन्पुट्स) पर पहले नियंत्रण प्राप्त करता है और तब उनका संयोजित उत्पाद (आउटपुट) के रूप में सृजित विशिष्ट वस्तु या सेवा के प्रयोग को निर्देशित करता है।

ख 35ख जब (या जैसे ही) मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल) के रूप में एक प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह (प्रतिष्ठान) प्रतिफल की सकल राशि में, जिसकी वह अन्तरित विशिष्ट वस्तु या सेवा के बदले अधिकार की आशा करता है, राजस्व को मान्यता देता है।

ख36 एक प्रतिष्ठान तब एक पक्ष (पार्टी) का एक प्रतिनिधि (एजेंट) होता है जब प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन अन्य वस्तुओं या सेवाओं की देनदारी की व्यवस्था किसी अन्य पार्टी (पक्ष) द्वारा करना है। एक प्रतिष्ठान जो कि एक प्रतिनिधि (एजेंट) है वह प्रतिष्ठान अन्य पार्टी (पक्ष) द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट वस्तु या सेवा को ग्राहक को अन्तरित करने से पूर्व उसका नियंत्रण नहीं करता है।

ख37 एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करने से पूर्व विशिष्ट वस्तु या सेवा पर नियंत्रण करता है अतः वह एक मुख्य प्रतिष्ठान है (देखे अनुच्छेद ख35) इसके संकेतकों में निम्नलिखित शामिल तो है, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं।

(क) प्रतिष्ठान मुख्यतया विशिष्ट वस्तु या सेवा प्रदान करने के वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें सामान्यतया विशिष्ट वस्तु या सेवा की स्वीकृति का उत्तरदायित्व सम्मिलित है (उदाहरणतया, मुख्य उत्तरदायित्व है वस्तु या सेवा के लिए ग्राहक की विशेषताओं को पूरा करना)। यदि प्रतिष्ठान मुख्यतया विशिष्ट वस्तु या सेवा प्रदान करने के वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह संकेत देता है कि उसकी ओर से विशिष्ट वस्तु या सेवा प्रदान करने में कोई दूसरा पक्ष (पार्टी) शामिल है।

(ख) प्रतिष्ठान को ग्राहक को विशिष्ट वस्तु या सेवा अन्तरित करने से पूर्व या ग्राहक को उसका नियंत्रण अन्तरित करने के बाद इन्वेन्ट्री जोखिम है (जैसे कि यदि ग्राहक के पास उसे वापस करने का अधिकार है)। उदाहरणतया, यदि प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने से पूर्व विशिष्ट वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए वचन देता है या फिर प्राप्त करता है कि प्रतिष्ठान ग्राहक को अन्तरित करने से पूर्व वस्तु या सेवा के उपयोग के प्रति निर्देश देने के लिए या उसके अधिकांश सभी शेष लाभों को प्राप्त करने में सक्षम है।

(ग) प्रतिष्ठान के पास यह स्वविवेकाधिकार है कि वह विशिष्ट वस्तु या सेवा की कीमत स्थापित करे। विशिष्ट वस्तु या सेवा के लिए ग्राहक द्वारा अदा की जाने वाली कीमत की स्थापना इस बात का संकेत है कि प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा के उपयोग को निर्देशित करने या अधिकांश शेष लाभों के प्राप्त करने के लिए सक्षम है। फिर भी, कुछ मामलों में प्रतिनिधि प्रतिष्ठान (एजेंट) के पास कीमत स्थापित करने का स्वविवेकाधिकार हो सकता है। उदाहरणतया उसे (एजेंट) को यह छूट कुछ हद तक हो सकती है कि वह कीमतों की स्थापना कर ले ताकि ग्राहकों को अन्य पक्षों (पार्टियों) द्वारा दी जाने वाली वस्तु या सेवाओं की व्यवस्था करने की सेवा से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर ले।

ख37क अनुच्छेद ख37 के संकेत अनुबंध की शर्तों व निबंधनों और विशिष्ट वस्तु या सेवा की प्रकृति पर आधारित नियंत्रण के निर्धारण के कमोवेश सुसंगत हो सकते हैं। इसके अलावा, अलग-अलग अनुबंधों में अलग-अलग संकेत अधिक उपयुक्त साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

ख38 यदि कोई दूसरा पार्टी (पक्ष) अनुबंध में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन बाध्यताओं और अनुबंधात्मक अधिकारों को ग्रहण करती है ताकि प्रतिष्ठान ग्राहक विशिष्ट वस्तु या सेवा के अंतरण के कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अब उत्तरदायी नहीं हैं (यानि प्रतिष्ठान अब मुख्य पार्टी

(पक्ष) के रूप में कार्यरत नहीं है), प्रतिष्ठान उस कार्य निष्पादन के राजस्व को मान्यता नहीं देगा। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या वह अन्य पार्टी (पक्ष) के लिए प्राप्त अनुबंध के कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए राजस्व को मान्यता दे (यानि कि क्या प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं)।

अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहक के विकल्प

- ख39 ग्राहक के ये विकल्प कि वह अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं निःशुल्क या छूट के साथ प्राप्त करेगा, कई प्रकार के होते हैं जैसे कि बिक्री प्रोत्साहन, ग्राहक अवार्ड क्रेडिट (या प्वाइंट), अनुबंध नवीकरण विकल्प या भावी वस्तुओं या सेवाओं पर अन्य प्रकार की छूट।
- ख40 यदि, एक अनुबंध में, एक प्रतिष्ठान ग्राहक को यह विकल्प देता है कि वह अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण कर ले, तो वह विकल्प अनुबंध में कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन तभी कर सकता है जब विकल्प ग्राहक को वह महत्वपूर्ण अधिकार देता है कि वह उन अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं को बिना अनुबंध किये नहीं ले पाता (उदाहरण के लिए, ऐसी छूट जो वृद्धिशील हो और छूटों की उस सीमा (रैंज) तक जो सामान्य तौर पर उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र या बाजार में उस श्रेणी के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है)। यदि विकल्प ग्राहक को महत्वपूर्ण अधिकार देता है, ग्राहक भावी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिष्ठान को वास्तव में अग्रिम रूप से भुगतान करता है और प्रतिष्ठान जब भावी वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करता है या जब विकल्प समाप्त हो जाता है और प्रतिष्ठान राजस्व को मान्यता देता है।
- ख41 यदि ग्राहक के पास एक ऐसी कीमत पर अतिरिक्त वस्तु या सेवा के अधिग्रहण का विकल्प है जो वस्तु या सेवा की स्वतंत्र बिक्री कीमत को प्रदर्शित करती है, वह विकल्प ग्राहक को महत्वपूर्ण अधिकार नहीं देता, चाहे विकल्प का प्रयोग केवल पिछले अनुबंध में ही किया जा सकता हो। ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान ने एक ऐसी मार्किटिंग ऑफर की है जिसका इस मानक के अनुसार लेखा तभी करेगा जब ग्राहक अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के विकल्प का प्रयोग करता है।
- ख42 अनुबंध 74 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह सापेक्ष वह स्वतंत्र बिक्री कीमत के आधार पर कार्य निष्पादन बाध्यताओं में लेन-देन की कीमत का आवंटन करे। यदि अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के ग्रहण करने के ग्राहक विकल्प की स्वतंत्र बिक्री कीमत दृष्टिगोचर न हो तो प्रतिष्ठान उसका अनुमान लगाएगा। यह अनुमान उस छूट को भी प्रदर्शित करेगा जो विकल्प के प्रयोग के दौरान ग्राहक को मिलेगी और उसमें निम्नलिखित दोनों बातें भी समायोजित होंगी:
- (क) ऐसी कोई छूट जो ग्राहक को तब भी उपलब्ध हो सकती यदि वह विकल्प का प्रयोग न भी करे; और
- (ख) ऐसी संभावना कि विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।

ख43 यदि एक ग्राहक के पास भावी वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण करने का महत्वपूर्ण अधिकार है, और वे वस्तुएं या सेवाएं ठीक वैसी ही होंगी जैसी अनुबंध में मूल वस्तुएं या सेवाएं थीं और इन भावी वस्तुओं या सेवाओं को मूल अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही दिया जाता है, प्रतिष्ठान स्वतंत्र बिक्री कीमत का अनुमान करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में वैकल्पिक वस्तुओं या सेवाओं में लेन-देन कीमत का आवंटन प्रत्याशित रूप से दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं और इसके तदनुसूची प्रत्याशित प्रतिफल के संदर्भ में करे। सामान्यतया, इस प्रकार के विकल्प अनुबंधों के नवीकरण के मामलों में होते हैं।

ग्राहकों के प्रयोग न किये गये अधिकार

ख44 अनुच्छेद 106 के अनुसरण में, ग्राहक से पूर्व भुगतान प्राप्त होने पर एक प्रतिष्ठान भविष्य में वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित करने या अंतरित करने के लिए तैयार रहने के कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए पूर्व भुगतान की राशि में अनुबंध दायित्व को मान्यता देगा। एक प्रतिष्ठान उस अनुबंध दायित्व को तब अमान्य करेगा (और राजस्व की मान्यता देगा) जब वह उन वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित करता है और, इस तरह, कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है।

ख45 एक ग्राहक का प्रतिष्ठान को गैर-वापसी योग्य पूर्व भुगतान ग्राहक को भविष्य में एक वस्तु या सेवा को प्राप्त करने का अधिकार देता है (और प्रतिष्ठान को बाध्य करता है कि वह उस वस्तु या सेवा के अंतरित करने के लिए तैयार रहे)। फिर भी, ग्राहक अपने सभी अनुबंधात्मक अधिकारों का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। इन प्रयोग न किये गये अधिकारों को प्रायः अनिर्वहन कहा जाता है।

ख46 यदि एक प्रतिष्ठान एक अनुबंध दायित्व में अनिर्वहन राशि के हक की आशा करता है, प्रतिष्ठान प्रत्याशित अनिर्वहन राशि को ग्राहक द्वारा प्रयोग किये अधिकारों के पैटर्न के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्यता देगा। यदि एक प्रतिष्ठान अनिर्वहन राशि के हक ही आशा नहीं करता, प्रतिष्ठान अनिर्वहन राशि को राजस्व के रूप में तब मान्यता देगा जब ग्राहक के शेष अधिकारों के प्रयोग की संभावना कम हो जाए। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रतिष्ठान क्या अनिर्वहन राशि के हक की आशा करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 56-58 की परिवर्तनशील प्रतिफल के बाध्य प्राक्कलनों विषयक अपेक्षाओं पर विचार करेगा।

ख47 एक प्रतिष्ठान प्राप्त उस प्रतिफल को दायित्व (न कि राजस्व) के रूप में मान्यता देगा जो कि ग्राहक के ऐसे प्रयोग न किये गये अधिकारों के कारण है जिनके लिए प्रतिष्ठान को प्रतिफल की वह राशि किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) को भेजनी/देनी हो, उदाहरणस्वरूप, लागू दावा रहित सम्पत्ति कानूनों के अनुसरण में एक सरकारी प्रतिष्ठान।

गैर-वापसी योग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) (और कुछ संबंधित लागतें)

- ख48 कुछ अनुबंधों में, एक प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में या उसके आस पास ग्राहक से गैर-वापसी योग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) वसूल करता है। जैसे कि, स्वास्थ्य क्लब सदस्यता अनुबंधों में प्रवेश शुल्क, दूरसंचार अनुबंधों में सक्रियता शुल्क, कुछ सेवा अनुबंधों में प्रारंभ शुल्क और कुछ आपूर्ति अनुबंधों में प्रारंभिक शुल्क।
- ख49 ऐसे अनुबंधों में कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पहचान के लिए, एक प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या फीस (शुल्क) वचनशुदा वस्तु या सेवा के अंतरण से संबंधित है। बहुत से मामलों में, हालांकि एक गैर-वापसी योग्य अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) (एक ऐसी गतिविधि से संबंधित होती है जिसे प्रतिष्ठान को अनुबंध के प्रारंभ या इसके आसपास अनुबंध को पूरा करने के लिए करना अपेक्षित होता है, वह गतिविधि वचनशुदा वस्तु या सेवा ग्राहक को अंतरित करने के लिए परिणत नहीं होती) देखिए अनुच्छेद 25। इसकी बजाय, अपफ्रंट फीस (अग्रिम शुल्क) (भावी वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक अग्रिम भुगतान होता है, इसलिए, जब ये वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं तब उन्हें राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। राजस्व मान्यता अवधि उस स्थिति में प्रारंभिक अनुबंधात्मक अवधि से आगे बढ़ जाएगी जब प्रतिष्ठान ग्राहक को अनुबंध को नवीकृत करने का विकल्प दे देता है और तब वह विकल्प ग्राहक का अनुच्छेद 40 में यथावर्णित महत्वपूर्ण अधिकार देता है।
- ख 50 यदि गैर वापसी योग्य अपफ्रंट फीस एक वस् (अग्रिम शुल्क) तु या सेवा से संबंधित है तो, के अनुसार क्या 30-22 प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि वस्तु या सेवा का लेखा अनुच्छेद एक अलग कार्य निष्पादन बाध्यता होगा।
- ख 51 एक प्रतिष्ठान अनुबंध को प्रारंभ करने के लिए खर्च की गयी लागत में 25 या अनुच्छेद) की प्रतिपूर्ति के रूप में गैर वापसी योग्य शुल्क (उल्लिखित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए निष्पादन -फीस को आंशिक रूप से वसूल कर सकता है। यदि वे प्रारंभिक गतिविधियां एक कार्य बाध्यता को पूरा नहीं करती के अनुसार प्रगति का माप करते तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 19, को नजरअंदाज करेगा। यह इसलिए है (और उनसे संबंधित लागतों) समय उन गतिविधियों क्योंकि प्रारंभ करने की गतिविधियां ग्राहक को सेवाओं का अंतरण प्रदर्शित नहीं करती। प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या अनुबंध को प्रारंभ करने के लिए खर्च की गई लागतें एक आस्ति के रूप में परिणत होती है जो कि अनुच्छेद के अनुसार मान्य होगी। 95

लाइसेंस

ख52 एक लाइसेंस एक प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के लिए ग्राहक के अधिकारों को संस्थापित करता है। बौद्धिक संपत्ति के लाइसेंस में निम्नलिखित शामिल हैं किंतु निम्नलिखित में से किसी के लाइसेंसों तक सीमित नहीं हैं :

- (क) सॉफ्टवेयर व प्रौद्योगिकी;
- (ख) चलचित्र, संगीत और मीडिया व मनोरंजन के अन्य स्वरूप;
- (ग) फ्रेंचाइस; और
- (घ) पेटेंट, ट्रेडमार्क व कॉपीराइट।

ख53 एक ग्राहक को लाइसेंस (या लाइसेंसों) देने के वचन के अलावा, प्रतिष्ठान उसे (ग्राहक को) अन्य वस्तुएं या सेवाएं अंतरित करने का भी वचन दे सकता है। ये वचन अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो सकते हैं या फिर प्रतिष्ठान की प्रथागत व्यवहारिक व्यवहारों, प्रकाशित नीतियों या विशिष्ट कथनों द्वारा अन्तर्विष्ट हो सकते हैं (देखें अनुच्छेद 24)। जैसे कि अन्य प्रकार के अनुबंधों के साथ होता है, ग्राहको के साथ जब एक अनुबंध यह वचन सम्मिलित करता है कि वस्तुओं या सेवाओं के साथ-साथ लाइसेंस (या लाइसेंसों) भी दिया जाएगा, एक प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता की पहचान के लिए अनुच्छेद 22-30 का प्रयोग करा है। (देखें परिशिष्ट 1)

ख54 यदि अनुच्छेद 26-30 के अनुसार अनुबंध में लाइसेंस देने का वचन अन्य वस्तुओं या सेवाओं से अलग नहीं है तो प्रतिष्ठान लाइसेंस देने और वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के वचन का लेखा एक ही कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में करेगा। अनुबंध में लाइसेंसों के उदाहरण जो वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं से अलग नहीं है, में निम्नलिखित सम्मिलित है :

- (क) एक लाइसेंस जो मूर्त वस्तु का घटक है और जो उस वस्तु की कार्यशीलता का अभिन्न भाग है; और
- (ख) एक लाइसेंस जो कि ग्राहक को किसी दूसरी संबंधित सेवा के साथ भी लाभान्वित हो सकता है (जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा दिये गये लाइसेंस द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवा जो ग्राहक को विषय-वस्तु तक पहुंच प्रदान करती है)।

ख55 यदि लाइसेंस अलग से नहीं है, तब एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 31-38 का प्रयोग करेगा कि क्या कार्य निष्पादन बाध्यता (जिसके अन्तर्गत वचनबद्ध लाइसेंस सम्मिलित है) एक ऐसा कार्य निष्पादन बाध्यता है जो या तो एक समय के दौरान पूरे किये जाते हैं या फिर एक समय पर।

ख56 यदि लाइसेंस देने का वचन अनुबंध में अन्य वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं से भिन्न (अलग) है और इस तरह लाइसेंस देने का वचन अलग कार्य निष्पादन बाध्यता है, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि ग्राहकलाइसेंस अंतरण एक समय के दौरान करेगा या कि एक समय पर। इस प्रकार के निर्धारण में, प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि ग्राहक को लाइसेंस देने के उसके वचन की प्रकृति ग्राहक को निम्नलिखित में से एक देने की है:

- (क) प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच जो लाइसेंस की कुल अवधि तक रहती है; या
- (ख) प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार जो उस समय तक रहता जिस समय पर लाइसेंस दिया गया है।

प्रतिष्ठान के वचन की प्रकृति निर्धारित करना

ख 57 *

ख58 प्रतिष्ठान द्वारा लाइसेंस देने के वचन की प्रकृति एक ऐसा वचन है जो प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का अधिकार देता है, यदि निम्नलिखित सारे मानदंड पूरे होते हैं:

- (क) अनुबंध की अपेक्षा है या ग्राहक तर्कसंगत रूप से आशा करता है कि प्रतिष्ठान ऐसी गतिविधियां करेगा जो उस बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करेगा जिस पर ग्राहक का अधिकार है; (देखें अनुच्छेद ख59)
- (ख) लाइसेंस द्वारा दिये गये अधिकार प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को किन्हीं अनुच्छेद ख58(क) में पता लगायी गयी प्रतिष्ठान की गतिविधियों के सकारात्मक या नकारात्मक या प्रभावों से रू-ब-रू (एक्सपोज) करवाते हैं; और
- (ग) वे गतिविधियां जब होती हैं तो वे एक वस्तु या सेवा को अंतरित करने में परिणत नहीं होती हैं।

ख59 कारकों में जो ये संकेत करते हैं कि एक ग्राहक तर्कसंगत रूप से यह आशा करता है कि एक प्रतिष्ठान वे गतिविधियां करेगा जो बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करती है, उन गतिविधियों में प्रतिष्ठान की प्रथागत व्यावसायिक व्यवहार, प्रकाशित नीतियां या विशिष्ट कथन सम्मिलित हैं। हालांकि यह निर्धारक नहीं है, प्रतिष्ठान और उस ग्राहक के बीच विभक्त आर्थिक हित की विद्यमान (उदाहरणस्वरूप, बिक्री-आधारित रॉयल्टी) जो बौद्धिक सम्पत्ति से संबंधित है और उस पर ग्राहक का अधिकार है, इससे यह संकेत मिल सकता है कि ग्राहक तर्कसंगत आधार पर आशा करता है कि प्रतिष्ठान ऐसी गतिविधियां करेगा।

59

*देखें परिशिष्ट 1

ख59क एक प्रतिष्ठान की गतिविधियां बहुत हद तक उस वैधिक सम्पत्ति को निम्नलिखित दोनों में से किसी एक की स्थिति पर प्रभावित करती है जिस पर ग्राहक के अधिकार हैं :-

(क) ये गतिविधियां काफी हद तक वैधिक सम्पत्ति के स्वरूप (जैसे कि उसका डिजाइन या विषय-वस्तु) या कार्यशीलता (जैसे कि कार्य करने की योग्यता) को बदलने की उम्मीद रखती हैं; या

(ख) इस वैधिक सम्पत्ति से लाभ लेने की योग्यता बहुत हद तक इन गतिविधियों से बनती है या उन पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर, एक ब्रांड का लाभ प्रायः प्रतिष्ठान की उन निरन्तर गतिविधियों से सृजित होता है या उन पर निर्भर करता है जो वैधिक सम्पत्ति के मूल्य को समर्थित या बरकरार रखती है।

तदनुसार, यदि वैधिक सम्पत्ति की, जिस पर ग्राहक के अधिकार हैं, महत्वपूर्ण स्वतंत्र कार्यशीलता है, वैधिक सम्पत्ति के लाभ का अधिकांश भाग उसकी कार्यशीलता से सृजित होता है। परिणामस्वरूप, वैधिक सम्पत्ति से लाभ लेने की ग्राहक की क्षमता तब तक प्रतिष्ठान की गतिविधियों द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होगी जब तक ये गतिविधियां स्वरूप या कार्यशीलता को बहुत हद तक परिवर्तित न करती हो। वैधिक सम्पत्ति की ऐसी किस्मों में जिनकी स्वतंत्र कार्यशीलता है, साफ्टवेयर, जैविक मिश्रण, या औषधीय फार्मूले और पूर्णतया मीडिया विषयवस्तु (कन्टेंट) (जैसे कि फिल्में, दूरदर्शन प्रस्तुतियां व संगीतमयी रिकार्डिंग) शामिल हैं।

ख60 यदि ख58 में दिये गये मानदंड पूरे हो जाते हैं, तो प्रतिष्ठान लाइसेंस देने के वचन का लेखा इस तरह से करेगा जैसे कि कार्य निष्पादन बाध्यता एक समय के दौरान पूरी होती है क्योंकि ग्राहक प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति की पहुंच के कार्य निष्पादन के लाभ जैसे-जैसे कार्य निष्पादन होता है वैसे-वैसे ही उसे प्राप्त व उपभोग एक साथ करेगा। (देखें अनुच्छेद 35(क))। एक प्रतिष्ठान पहुंच के लिए कार्य-निष्पादन बाध्यता के पूर्ण निर्वहन की प्रगति को मापने के लिए उपयुक्त विधि के चयन के लिए अनुच्छेद 39-45 का प्रयोग करेगा।

ख61 यदि अनुच्छेद ख58 के मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो प्रतिष्ठान के वचन की प्रकृति की बौद्धिक सम्पत्ति को प्रयोग करने का अधिकार देने की होती है जैसे कि वह बौद्धिक सम्पत्ति (स्वरूप व कार्यशीलता के संदर्भ में) लाइसेंस देने के समय अस्तित्व में होती है। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक को जब लाइसेंस का अंतरण होता है उस समय लाइसेंस के प्रयोग का निर्देश और उससे प्राप्य शेष लाभ के अधिकांश भाग को प्राप्त कर सकता है। प्रतिष्ठान एक समय पर कार्य

निष्पादन के निर्वहन के रूप में प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग के अधिकार के वचन का लेखा करेगा। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 38 का प्रयोग उस समय के निर्धारण के लिए करेगा, जिस पर ग्राहक को लाइसेंस अंतरित होता है। लेकिन उस लाइसेंस के लिए राजस्व को मान्यता नहीं दी जा सकती जो प्रतिष्ठान को बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार उस अवधि के प्रारंभ से पहले देता है जिसके दौरान ग्राहक लाइसेंस का प्रयोग कर पाता है और लाभ ले पाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अवधि उस तिथि से पूर्व प्रारंभ होती है जिस पर प्रतिष्ठान ग्राहक को कोड देता है (या अन्यथा उपलब्ध करवाता है) ताकि ग्राहक उसका तत्काल प्रयोग कर सके, प्रतिष्ठान राजस्व को मान्यता कोड देने (या अन्यथा उपलब्ध करवाने) से पूर्व नहीं देगा।

ख62 प्रतिष्ठान निम्नलिखित को तब नजरअंदाज करेगा जब वह यह निर्धारित करेगा कि क्या लाइसेंस प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का या प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है:

- (क) समय के प्रतिबंध, भौगोलिक क्षेत्र का प्रयोग वह प्रतिबंध वचनशुदा लाइसेंस के कारणों को परिभाषित करते हैं, बजाय यह परिभाषित करने कि क्या प्रतिष्ठान कार्य-निष्पादन दायित्व को एक समय पर पूरा करता है या एक समय के दौरान पूरा करता है।
- (ख) वे गारंटियां कि इसके पास बौद्धिक सम्पत्ति का वैद पेटेंट है और वह किस पेटेंट के अप्राधिकृत प्रयोग को रोकेगा - एक वचन जो पेटेंट को अप्राधिकृत प्रयोग से रोकता है, यह कार्य निष्पादन दायित्व नहीं है क्योंकि पेटेंट की रक्षात्मक कार्यवाही प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के मूल्य की रक्षा करता है और इस बात का ग्राहक को आश्वासन देती है कि अंतरित लाइसेंस अनुबंध में दिये गये लाइसेंस की विशिष्टताओं को पूरा करता है।

बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टियां

ख63 अनुच्छेद 56-59 की अपेक्षाओं के बावजूद, एक प्रतिष्ठान बौद्धिक सम्पत्ति के लाइसेंस के बदले बिक्री-आधारित या प्रयोग आधारित वचनबद्ध रॉयल्टी के राजस्व को मान्यता केवल तब देगा जब निम्नलिखित में से जो भी घटना बाद में होगी:

- (क) बाद में बिक्री या प्रयोग का होना; और
- (ख) वह कार्य निष्पादन बाध्यता जिसके लिए कुछ या समस्त बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी का आवंटन किया गया है और वह दायित्व पूरा हो गया है (या अंशतः पूरा हुआ है)।

ख63क अनुच्छेद ख 63 में दी गई बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी की अपेक्षा तब लागू होती है जब रॉयल्टी किसी लाइसेंस से सम्बंधित होती है या जब वैधिक सम्पत्ति का लाइसेंस रॉयल्टी से सम्बंधित मुख्य मद से सम्बद्ध होता है। उदाहरणतया, वैधिक सम्पत्ति का लाइसेंस तब रॉयल्टी

से संबद्ध मुख्य मद होता है जब प्रतिष्ठान को यह तर्कसंगत आशा होती है कि ग्राहक रॉयल्टी से सम्बंधित किन्हीं अन्य वस्तुओं या सेवाओं की बजाय लाइसेंस के मूल्य को काफी अधिक महत्व देता है।

ख63ख जब अनुच्छेद ख 63क की अपेक्षा पूरी हो जाती है तो अनुच्छेद ख63 के अनुसार बिक्री-आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी से राजस्व को पूर्णतया मान्यता दे दी जाएगी। जब ख63क के अनुसार अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो अनुच्छेदों 50-59 के परिवर्तनीय प्रतिफल की अपेक्षाएं बिक्री-आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी पर लागू होती हैं।

पुनर्खरीद करार (अग्रीमेंट्स)

ख64 एक पुनर्खरीद करार वह अनुबंध है जिसमें एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को बेचता है और यह वचन भी देता है या वह विकल्प रखता है (उसी अनुबंध में या किसी अन्य अनुबंध में) कि उस आस्ति को पुनः खरीद सकता है। पुनः खरीदी गयी आस्ति वह आस्ति हो सकती है जो मूल रूप से ग्राहक को बेची गयी थी, वह आस्ति जो काफी हद तक उस आस्ति जैसी है या फिर कोई और आस्ति जिसका मूल रूप से बेची गयी आस्ति एक घटक हैं।

ख65 पुनर्खरीद करार सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं :

(क) एक प्रतिष्ठान का दायित्व कि वह आस्ति को पुनः खरीद लेगा (एक वायदा);

(ख) एक प्रतिष्ठान का अधिकार कि वह आस्ति को पुनः खरीदेगा (एक कॉल ऑप्शन);

(ग) एक प्रतिष्ठान का ऐसा दायित्व कि वह ग्राहक के अनुरोध पर आस्ति की पुनर्खरीद करेगा (एक पुट ऑप्शन)।

एक वायदा (फार्वर्ड) या एक कॉल ऑप्शन

ख66 यदि प्रतिष्ठान के पास आस्ति को पुनः खरीदने का दायित्व या अधिकार है (वायदा (फारवर्ड) या कॉल ऑप्शन विकल्प), ग्राहक वस्तु का नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि भले ही ग्राहक के पास आस्ति का भौतिक कब्जा है फिर भी वह वस्तु को प्रयोग करने के निर्देश देने की और उससे प्राप्य शेष लाभों के अधिकांश भाग को प्राप्त करने की सीमित योग्यता रखता है। परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान अनुबंध का लेखा निम्नलिखित में से किसी एक ढंग से करेगा :

(क) भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, के अनुसरण में एक पट्टा, यदि प्रतिष्ठान आस्ति को उस राशि पर खरीद सकता है या अवश्य खरीदेगा जो कि आस्ति की मूल बिक्री कीमत से कम है; अथवा

- (ख) अनुच्छेद ख68 के अनुसरण में वित्तपोषण प्रबंध यदि प्रतिष्ठान आस्ति को उस राशि पर खरीद सकता है या अवश्य खरीदेगा जो आस्ति की मूल बिक्री कीमत के समान है या अधिक है।
- ख67 पुर्नखरीद कीमत को बिक्री कीमत के साथ तुलन करते समय, प्रतिष्ठान धन के समय मूल्य पर विचार करेगा।
- ख68 यदि पुनर्खरीद करार एक वित्तपोषण प्रबंध है, तो प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त किसी भी प्रतिफल के लिए आस्ति को मान्यता और वित्तीय दायित्व को मान्यता देना जारी रखेगा। प्रतिष्ठान उन दोनों राशियों के अन्तर को यदि उपयुक्त हो, प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) या धारण लागतों के रूप में मान्यता देगा जो उसने ग्राहक से प्रतिफल के रूप में प्राप्त की है और ग्राहक को ब्याज के रूप में दी है (जैसे कि, बीमा)।
- ख 69 यदि विकल्प प्रयोग किये बिना समाप्त हो जाता है तो प्रतिष्ठान दायित्व को अमान्य करेगा और राजस्व को मान्यता देगा।

एक पुट ऑप्शन

- ख70 यदि एक प्रतिष्ठान के पास ग्राहक के अनुरोध पर आस्ति की पुर्नखरीद का दायित्व है (एक पुट ऑप्शन), जो आस्ति की मूल बिक्री-कीमत से कम कीमत पर है तो प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में इस बात पर विचार करेगा कि क्या ग्राहक को उस अधिकार को प्रयुक्त करने का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है। ग्राहक द्वारा उस अधिकार का प्रयोग इस रूप में परिणत होता है कि ग्राहक एक समय की अवधि के लिए एक विशिष्ट आस्ति के प्रयोग के अधिकार के लिए प्रतिष्ठान को प्रतिफल का भुगतान प्रभावी रूप से करता है।

अतः, यदि ग्राहक के पास अधिकार के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखआ मानक 7 के अनुसरण में करार का लेखा एक पट्टे (लीज) के रूप में करेगा।

- ख71 यह निर्धारित करने के लिए कि ग्राहक के पास अधिकार के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है, एक प्रतिष्ठान अनेक कारकों पर विचार करेगा जिनमें पुर्नखरीद की तिथि पर आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य के साथ पुर्नखरीद मूल्य का संबंध और अधिकार के समाप्त होने तक का समय सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, यदि पुर्नखरीद कीमत आस्ति के बाजार मूल्य से काफी हद तक बढ़ जाती है, तो इससे यह पता चलता है कि ग्राहक को उस पुट ऑप्शन के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है।

- ख72 यदि ग्राहक को उस कीमत पर अपने अधिकार के प्रयोग का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है जो आस्ति की मूल बिक्री कीमत से कम है, तो प्रतिष्ठान करार का लेखा इस तरह से करेगा कि मानो अनुच्छेद ख20-27 के अनुसार यह उत्पाद की बिक्री है जिसमें वापसी का भी अधिकार है।
- ख73 यदि आस्ति की पुनर्खरीद कीमत मूल बिक्री कीमत के समान या इससे अधिक है और आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य से अधिक है, तो यह अनुबंध एक वित्त पोषण प्रबंध है और तब इसका लेखा अनुच्छेद ख 68 के अनुसार किया जाएगा।
- ख74 यदि आस्ति की पुनर्खरीद कीमत मूल बिक्री कीमत के समान या उससे अधिक है और आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य से कम या उसके समान है, और ग्राहक को अपने अधिकार के प्रयोग पर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन भी नहीं है तो प्रतिष्ठान करार का लेखा इस प्रकार करेगा मानो यह अनुच्छेद ख20 - ख27 के अनुसार उत्पाद की बिक्री है जिसमें वापसी का अधिकार भी है।
- ख75 पुनर्खरीद कीमत और बिक्री कीमत की तुलना करते समय, प्रतिष्ठान दन के समय मूल्य पर विचार करेगा।
- ख76. यदि विकल्प बिना प्रयोग के समाप्त कालातीत हो जाता है तो प्रतिष्ठान दायित्व को अमान्य करेगा जबकि राजस्व को मान्यता देगा।

प्रेषण (कन्साइन्मेंट) व्यवस्था

- ख77 जब एक प्रतिष्ठान उत्पाद किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) (जैसेकि एक व्यापारी या वितरक) को सुपुर्द करता है जो आगे ग्राहकों को बेचेगी, प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या उस दूसरी पार्टी (व्यापारी या वितरक) ने उस समय पर उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। दूसरे पक्ष (पार्टी) के सुपुर्द उत्पाद प्रेषण व्यवस्था के अन्तर्गत धारित होंगे यदि उस पक्ष (पार्टी) ने उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है। इस तरह से, एक प्रतिष्ठान के दूसरे पक्ष (पार्टी) को उत्पाद सुपुर्द करने पर राजस्व को मान्यता नहीं दी जाएगी यदि सुपुर्द उत्पाद प्रेषण प्रबंध के अन्तर्गत धारित है।
- ख78 कोई प्रबंध प्रेषण प्रबंध के संकेतक इस प्रकार है, लेकिन वे इतने तक ही सीमित नहीं हैं:
- (क) प्रतिष्ठान एक निश्चित घटना के घटित होने तक उत्पाद पर अपना नियंत्रण रखता है, उदाहरण के रूप में व्यापारी के एक ग्राहक को उत्पाद की बिक्री या जब तक एक निश्चित अवधि समाप्त नहीं हो जाती;
 - (ख) प्रतिष्ठान उत्पाद की वापसी की अपेक्षा या तीसरी पक्ष (पार्टी) (जैसेकि कोई अन्य व्यापारी) को उत्पाद के अंतरित करवाने की योग्यता रखता है; और

(ग) व्यापारी के पास उत्पाद के भुगतान के लिए कोई ऐसी शर्त रहित बाध्यता नहीं है (हालांकि, ऐसा हो सकता है कि उसे राशि जमा करना आवश्यक हो)।

बिल एवं धारण प्रबंध

ख79 बिल एवं धारण प्रबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके अन्तर्गत प्रतिष्ठान एक उत्पाद का बिल ग्राहक के नाम से तो काट देता है लेकिन उत्पाद का भौतिक कब्जा प्रतिष्ठान के पास ही रहता है तब तक जब तक वह भविष्य में एक समय पर ग्राहक को उस उत्पाद को अंतरित नहीं कर देता। उदाहरणस्वरूप, एक ग्राहक एक प्रतिष्ठान को यह अनुरोध कर सकता है कि वह इस प्रकार का अनुबंध कर ले क्योंकि या तो उसके पास उत्पाद को रखने का स्थान नहीं है, या फिर ग्राहक के उत्पादन कार्यक्रमों (शेड्यूलस) में विलम्ब है।

ख80 प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि कब उसने उत्पाद को अंतरित करने की अपनी कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन किया है, कब ग्राहक उससे उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त करता है पर विचार करेगा (देखें अनुच्छेद 38)। कुछ अनुबंधों में, नियंत्रण उस समय अंतरित हो जाता है जब या तो उत्पाद ग्राहक के स्थान पर उसे सुपुर्द कर दिया जाता है या फिर जब उत्पाद जहाज से भेज दिया जाता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंध में इस बारे में क्या शर्तें दी गयी हैं (इन शर्तों में सुपुर्दगी व माल भेजने की शर्तें शामिल हैं)। हालांकि, कुछ अनुबंधों में भले ग्राहक उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है लेकिन उसका भौतिक कब्जा प्रतिष्ठान के पास ही रहता है। ऐसी स्थिति में, ग्राहक के पास यह योग्यता है कि वह उत्पाद के प्रयोग के लिए निर्देश और उत्पाद के सभी शेष लाभों को काफी हद तक प्राप्त कर सके भले वह यह निर्णय लेता है कि वह उत्पाद का भौतिक कब्जा लेने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान उत्पाद का नियंत्रण नहीं करता है। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान ग्राहक की आस्ति पर ग्राहक को कब्जा सेवाएं प्रदान करता है।

ख81 अनुच्छेद 38 की अपेक्षाओं के प्रयोग के अलावा, बिल एवं धारण प्रबंध में ग्राहक द्वारा उत्पाद पर नियंत्रण लेने के लिए निम्नलिखित सभी शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए:

- (क) बिल एवं धारण प्रबंध का कारण अनिवार्यतया ठोस होना चाहिए (उदाहरणस्वरूप, ग्राहक ने प्रबंध के लिए निवेदन किया है);
- (ख) ग्राहक का कौन सा उत्पाद है यह अलग-से अवश्य पहचाना जाना चाहिए;
- (ग) ग्राहक को भौतिक अंतरण के लिए उत्पाद वर्तमान में पूरी तरह से तैयार होना चाहिए; और
- (घ) प्रतिष्ठान के पास उस उत्पाद को प्रयोग करने के लिए या इसे अन्य ग्राहक को देने की योग्यता न रखता हो।

ख82 यदि प्रतिष्ठान बिल एवं धारण प्रबंध के आधार पर एक उत्पाद की बिक्री को मान्यता देता है, प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि क्या उसके पास अनुच्छेद 22-30 के अनुसार वे शेष कार्य निष्पादन बाध्यताएं हैं (उदाहरणार्थ, कब्जा रखने की सेवाओं के लिए) जिनके लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 73-86 के अनुसार लेन-देन कीमत का एक भाग आवंटित करेगा।

ग्राहक की स्वीकृति

ख83 अनुच्छेद 38(ड) के अनुसार, एक ग्राहक की एक आस्ति के लिए स्वीकृति यह संकेत देती है कि ग्राहक ने आस्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ग्राहक की स्वीकृति की शर्तें ग्राहक को यह अनुमति देती हैं कि यदि वस्तु या सेवा सहमत विशेषताओं को पूरा नहीं करते तो वह (ग्राहक) या तो अनुबंध को रद्द कर दे या फिर प्रतिष्ठान से कहे कि वह वस्तु या सेवा को ठीक करने की कार्यवाही करे। एक प्रतिष्ठान ग्राहक द्वारा वस्तु या सेवा का नियंत्रण लेने के संबंध में जब मूल्यांकन करता है तो वह इस प्रकार की शर्तों पर विचार करेगा।

ख84 एक प्रतिष्ठान यदि प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित करता है कि वस्तु या सेवा के नियंत्रण का ग्राहक को अनुबंध में सहमत विशेषताओं के अनुसार अंतरण हो गया है, तो ग्राहक की स्वीकृति एक औपचारिक मात्र है और वह प्रतिष्ठान के इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करती कि ग्राहक ने सेवा या वस्तु का नियंत्रण कब लिया है। उदाहरणस्वरूप, यदि ग्राहक की स्वीकृति की शर्तें वस्तु के आकार और वजन पर आधारित हैं, प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या यह मानदंड ग्राहक की स्वीकृति की पुष्टि की प्राप्ति से पहले पूरा हो गया है या नहीं। इसी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को इसी प्रकार के अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान के अनुभव के आधार पर यह साक्ष्य मिलता है कि ग्राहक को दी जाने वाली सेवा या वस्तु सहमत विशेषताओं के अनुसार है। यदि ग्राहक की स्वीकृति से पूर्व राजस्व को मान्यता दे दी जाती है तो भी प्रतिष्ठान अवश्य यह विचार करे कि क्या कोई कार्य निष्पादन दायित्व शेष तो नहीं रह गया है। (जैसेकि, उपकरण की स्थापना करना) और इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि उनका लेखा अलग से किया जाए या नहीं।

ख85 लेकिन, यदि प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि ग्राहक को दी जाने वाली वस्तु या सेवा अनुबंध की सहमत विशेषताओं के आधार पर है, तब प्रतिष्ठान इस निष्कर्ष पर कि ग्राहक ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उस समय तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि प्रतिष्ठान को ग्राहक की स्वीकृति नहीं मिल जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में प्रतिष्ठान यह निर्धारित नहीं कर सकता कि ग्राहक वस्तु या सेवा के उपयोग के लिए कह सकता है और मूल रूप से उससे मिलने वाले शेष सभी लाभों को प्राप्त कर सकता है।

ख86 यदि प्रतिष्ठान ग्राहक को उत्पाद जांच या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए देता है और ग्राहक जांच अवधि समाप्त होने तक किसी प्रतिफल के लिए वचनबद्ध नहीं है तब उत्पाद के नियंत्रण

का ग्राहक को तब तक अंतरण नहीं होगा तब तक या तो ग्राहक उत्पाद की स्वीकृति न दे दें या फिर चांच अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

खंडित राजस्व का प्रकटन

- ख87 अनुच्छेद 114 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से राजस्व को उन विभिन्न श्रेणियों के अनुसार पृथक (अलग-अलग) करें जो यह दर्शित करे कि कैसे राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति, राशि, समय व अनिश्चितता आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, प्रतिष्ठान का राजस्व इस प्रकटन के लिए किसी सीमा तक पृथक्कीकरण किया जाए यह उन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो प्रतिष्ठान के ग्राहकों के साथ अनुबंधों से संबंधित है। कुछ प्रतिष्ठान राजस्व के पृथक्कीकरण (अलग-अलग करना) के लिए अनुच्छेद 114 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक से अधिक श्रेणियों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अन्य प्रतिष्ठान केवल एक ही श्रेणी का प्रयोग करके राजस्व के पृथक्कीकरण के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।
- ख88 राजस्व के खंडन के पृथक्कीकरण के लिए एक श्रेणी (या श्रेणियों) के प्रकार के चयन में, एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि उसके राजस्व की सूचना अन्य प्रयोजनों के लिए किस प्रकार स प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं:
- (क) वित्तीय विवरणों (जैसेकि अर्जन विज्ञापितियां , वार्षिक रिपोर्ट या निवेशक प्रस्तुतियां) से भिन्न प्रकटन;
 - (ख) परिचालन खंडों का वित्तीय कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य परिचालन निर्णायक के द्वारा नियमित समीक्षित सूचना; और
 - (ग) अनुच्छेद ख88(क) और (ख) के अनुसार सूचना से मिलती-जुलती अन्य प्रकार की सूचना, जिसे प्रतिष्ठान या वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता प्रतिष्ठान के वित्तीय कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और संसाधन आवंटन निर्णय करने के लिए प्रयोग में लाते हैं।
- ख89 उन श्रेणियों के उदाहरण जो सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं:
- (क) वस्तु या सेवा की प्रकार (जैसेकि, प्रमुख उत्पाद (श्रेणियां);
 - (ख) भौगोलिक क्षेत्र (जैसेकि देश या क्षेत्र);
 - (ग) बाजार या ग्राहक के प्रकार (जैसेकि, सरकारी और गैर-सरकारी ग्राहक);
 - (घ) अनुबंध की प्रकार (जैसेकि, नियत कीमत और समय व सामग्री आधारित अनुबंध);
 - (ङ) अनुबंध की अवधि (जैसेकि, अल्पावधि तथा दीर्घावधि)

परिशिष्ट ग - प्रभावी तिथि एवं संक्रमणकाल

ग1 एक प्रतिष्ठान इस मानक का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को या इसके बाद की लेखा अवधियों के लिए करेगा।

ग1क *
ग1ख *
संक्रमणकाल

ग2 अनुच्छेद ग3-ग8क की संक्रमणकालीन अपेक्षाओं के प्रयोजनों के लिए:

- (क) प्रारंभिक प्रयोग की तिथि उस रिपोर्टिंग अवधि का प्रारंभ है जिसमें एक प्रतिष्ठान इस मानक का प्रथमवार प्रयोग करता है; और
- (ख) एक पूर्ण अनुबंध वह अनुबंध है जिसके लिए एक प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 11 *निर्माणी ठेके* एवं लेखा मानक 18, *राजस्व* के अनुसरण में पता लगाई गई वस्तुओं या सेवाओं को अन्तरित किया है।

ग3 एक प्रतिष्ठान इस मानक का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में पद्धतियों का प्रयोग करेगा:-

- (क) *भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुसरण में प्रस्तुत लेकिन अनुच्छेद ग5 के अधीन उपायों के अन्तर्गत प्रत्येक पिछली रिपोर्टिंग अवधि पर पूर्व प्रभाव से; अथवा
- (ख) अनुच्छेदों ग7, ग8 के अनुसरण में प्रारंभिक प्रयोग की तिथि की मान्य इस मानक के पूर्व प्रभाव से।

ग4 भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 28 की अपेक्षाओं के बावजूद, जब इस मानक का प्रयोग पहली बार किया जाता है तो प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक है कि वह प्रथम वार्षिक अवधि से, जिस पर यह लेखा मानक प्रयोग में लाया जाता है, तत्काल पूर्व की लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 28(च) द्वारा अपेक्षित केवल मात्रात्मक सूचना ही प्रस्तुत करे। लेकिन केवल तभी यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद ग3(क) के अनुसरण में इस मानक का प्रयोग पूर्ण प्रभाव से करता है। प्रतिष्ठान को यह सूचना चालू अवधि या पूर्व की तुलनात्मक अवधियों के लिए भी प्रस्तुत करनी हो सकती है लेकिन उसे यहां यह प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

* देखें परिशिष्ट 1

ग5 एक प्रतिष्ठान जब इस लेखा मानक का प्रयोग अनुच्छेद ग3(क) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से करता है तो वह निम्नलिखित एक या अधिक का प्रयोग कर सकता है:-

(क) पूरे किये गये अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान को ऐसे अनुबंधों में पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है, जो कि :

- (i) जो उसी लेखा अवधि में प्रारंभ और समाप्त हुए हैं; या
- (ii) जो प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारंभ में पूरे हो चुके हैं।

(ख) परिवर्तनीय प्रतिफल वाले पूर्ण अनुबंधों के लिए एक प्रतिष्ठान अनुबंध की पूर्ति की तिथि को लेनदेन कीमत का प्रयोग कर सकता है। बजाय इसके कि तुलनात्मक रिपोर्टिंग अवधियों में परिवर्तनीय प्रतिफल की राशियों का अनुमान लगाए।

(ग) प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारम्भ से पूर्व संशोधित अनुबंधों के लिए, एक प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 20-21 के अनुसरण में उन अनुबंध संशोधनों के लिए पूर्व प्रभाव से अनुबंध के पूर्वकथन की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय, वह (प्रतिष्ठान) उन सभी अवधि के प्रारम्भ से पूर्व होते हैं जब वह

- (i) पूरी की गई और पूरी न की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं का पता लगाता है;
- (ii) लेन-देन कीमत का आकलन करता है; और
- (iii) पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं में लेन-देन कीमत का आबंटन करता है।

(घ) प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि से पूर्व प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के लिए, एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शेष कार्य निष्पादन बाध्यताओं को आबंटित कीमत लेनदेन की राशि का प्रकटन करे और यह स्पष्टीकरण दे कि प्रतिष्ठान कब उस राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने की आशा करता है (देखें अनुच्छेद 120)

ग6 अनुच्छेद ग5 के व्यवहारिक उपायों के लिए, प्रतिष्ठान उस उपाय का प्रस्तुत सभी रिपोर्टिंग अवधियों के अन्दर सभी अनुबंधों पर समान रूप से प्रयोग करेगा। इसके अलावा, प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त सूचना का प्रकटन करेगा :

- (i) वो उपाय जो कि इस्तेमाल किये हैं; और

- (ii) उन उपायों में से प्रत्येक के प्रयोग के प्राक्कलित (अनुमानित) प्रभाव को तर्कसंगत रूप से यथासंभव सीमा तक गुणात्मक मूल्यांकन।

ग7 यदि एक प्रतिष्ठान अनुबंध ग3(ख) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से इस लेखा मानक का प्रयोग करने के लिए चयन करता है, तो वह इस लेखा मानक के प्रारम्भिक प्रयोग के संचयी प्रभाव की मान्यता उस लेखा अवधि को प्रतिधारित अर्जनों (या इक्विटी के अन्य अवयव, जो भी उचित हो) के प्रारम्भिक शेष में समायोजन के रूप में ले, जिसमें प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि भी शामिल हो। इस संक्रमणकालीन विधि के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान इस लेखा मानक का प्रयोग पूर्व प्रभाव से करने के लिए चयन कर सकता है लेकिन केवल उन्हीं अनुबंधों के मामले में जो प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि (जैसे कि, अप्रैल 2018 उस प्रतिष्ठान के लिए जिसका लेखा वर्ष 31 मार्च . को समाप्त होता है।

ग7क यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद ग3(ख) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से इस लेखा मानक का प्रयोग करता है तो वह अनुच्छेद ग5(ग) में यथा वर्णित दो व्यवहारिक उपायों में से किसी एक का प्रयोग भी कर सकता है, अर्थात् :-

- (क) प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारम्भ से पूर्व किये गये सभी अनुबंध संशोधनों के लिए; अथवा
(ख) प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि से पूर्व किये गये सभी अनुबंध संशोधनों के लिए। यदि प्रतिष्ठान इस व्यवहारिक उपाय का प्रयोग करता है तो वह सभी अनुबंधों में इसे समान रूप से प्रयोग करेगा और अनुच्छेद ग6 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटन करेगा।

ग8 प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि सम्मिलित करती हुई रिपोर्टिंग अवधियों के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के अतिरिक्त दोनों प्रकटन करेगा। बशर्ते यह लेखा मानक अनुच्छेद ग3(ख) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात् :-

- (क) भारतीय लेखा मानक 11 व भारतीय लेखा मान 18 की तुलना में इस लेखा मानक का प्रयोग कर चालू रिपोर्टिंग अवधि में प्रभावित प्रत्येक वित्तीय विवरण रेखीय मद की राशि; और
(ख) अनुच्छेद ग8(क) में पता लगाए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों का स्पष्टीकरण।

ग8क *

* देखें परिशिष्ट 1

अन्य लेखा मानकों की वापसी

ग10 यह लेखा मानक निम्नलिखित लेखा मानकों को रद्द करते हुए उनका स्थान लेता है

(क) भारतीय लेखा मानक 11, निर्माणी ठेके

(ख) भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व

परिशिष्ट घ- सेवा रियायत व्यवस्थाएं

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है। (इंड ए एस)

पृष्ठभूमि

1. सार्वजनिक सेवाओं की मूलभूत संरचनाजल ,हवाई अड्डे ,अस्पताल ,जेल ,सुरंगें ,पुल ,जैसे सड़कें , ऊर्जा आपूर्ति तथा दूरसंचार नेटवर्क को पारम्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ,वितरण सुविधाएं रखाव किया जाता है तथा उसे सार्व-परिचालित और इसका रख ,निर्मितवजनिक बजट विनियोजन के जरिये वित्त प्रदान किया गया है।
2. हाल ही मेंपरिचालन तथा ,सरकार ने इस प्रकार की मूलभूत संरचना के विकास वित्त पोषण , में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए अनुबंधात्मक सेवा (रखाव-रख) अनुरक्षण व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। मूलभूत संरचना पहले से ही विद्यमान हो सकती है अथवा उसे सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान निर्मित किया गया हो सकता है। इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंदर की गई व्यवस्था विशिष्ट रूप से सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने अथवा सुधारने उदाहरण) के लिए प्रयुक्त मूलभूत संरचना का निर्माण करने के (क्षमता में वृद्धि ,के लिएलिए तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए उस मूलभूत संरचना के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान को सम्मिलित करता है। परिचालक को व्यवस्था की अवधि में (एक परिचालक) इसकी सेवा के लिए भुगतान किया जाता है। व्यवस्था का एक अनुबंध द्वारा संचालन होता है जो कार्य निष्पादन मानककीमत के समायोजन के लिए तंत्र तथा विवादों के निपटान के लिए , पंचाट विवाद की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रायः 'निर्माण - परिचालन - अंतरण' , 'पुनर्वास अंतरण - परिचालन -' अथवा 'सार्वजनिक से निजी' सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है।

3. इस सेवा व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में परिचालक द्वारा लिये गये बाध्यता की प्रकृति में सार्वजनिक सेवा है। सार्वजनिक नीतिनिजी सेवा को परिचालित करने वाले पक्ष की पहचान पर , विचार किये बिना जनता को प्रदान की जाने वाली मूलभूत संरचना से संबंधित सेवा है। सेवा-व्यवस्था अनुबंधात्मक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान की तरफ से परिचालक जनता को सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। अन्य सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (क) जो पक्ष सेवा व्यवस्था प्रदान करता है वह एक सरकारी नि (प्रदानकर्ता)काय सहित एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान अथवा एक निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान भी हो सकता है जिसको सेवा के निर्वहन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
- (ख) परिचालन मूलभूत संरचना तथा संबंधित सेवा के कमकम कुछ प्रबंधन के लिए -से-उत्तरदायी होता है तथा वह केवल सेवा प्रदानकर्ता की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि ही नहीं होता।
- (ग) अनुबंध परिचालक द्वारा लगाये जाने वाली आरंभिक कीमत को निर्धारित करता है तथा सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान कीमत के पुनरीक्षण को भी विनियमित करता है।
- (घ) परिचालक बिना किसी कमोवेश प्रतिफल पर व्यवस्था की अवधि के अंत में निर्दिष्ट स्थिति में प्रदानकर्ता का मूलभूत संरचना को सौंपने के लिए उत्तरदायी है इस पर चाहे किसी भी , पक्ष ने आरंभ में वित्त प्रदान किया था।

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट 'सार्वजनिकनिजी-से-' सेवा रियायत व्यवस्था के लिए परिचालकों द्वारा लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है।
5. यह परिशिष्ट 'सार्वजनिकनिजी-से-' सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है यदि ,:
- (क) प्रदानकर्ता नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या किन्हीं प्रदान करनी है तथा ये किस कीमत पर प्रदान की ,क्या सेवाएं प्रदान करनी हैं-जाएंगी; तथा
- (ख) प्रदानकर्ता स्वामित्वहितग्राही हकदारी अथवा अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की अवधि के , अंत में मूलभूत संरचना में किसी उल्लेखनीय अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है।
6. इसकी समस्त उपयोगी जीवन के लिए (समस्त जीवन आस्तियां)'सार्वजनिकनिजी-से-' सेवा रियायत व्यवस्था में प्रयुक्त मूलभूत संरचना यदि इस परिशिष्ट के अनुच्छेद)5कमें शर्तें पूरी (

होती हैं तो इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। इस परिशिष्ट के प्रयोग संबंधी मार्गदर्शन -1 के अनुच्छेद प्रमाप्रमा इस निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करत 8ा है कि क्या 'सार्वजनिकनिजी-से-' रियायत व्यवस्था इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं तथा किस सीमा तक है।

7. यह परिशिष्ट निम्नलिखित दोनों पर लागू होता है:

- (क) मूलभूत संरचना जिसे परिचालक सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए निर्मित करता है अथवा तृतीय पक्ष में अधिग्रहीत करता है; तथा
- (ख) मौजूदा मूलभूत संरचना जिसे प्रदानकर्ता परिचालक को सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अनुमति देता है।

8. यह परिशिष्ट सेवा करार से पूर्व उस मूलभूत संरचना के लिए लेखाप्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं करता - संयंत्र व उपस्कर के रूप में धारित व मान्य किया गया है। भारतीय लेखा ,है जिसे सम्पत्ति इस प् (में यथा निर्धारित 16 भारतीय लेखा मानक) मानकों की अमान्यता की अपेक्षाएंकार की मूलभूत संरचना पर लागू होती है।

9. यह परिशिष्ट प्रदानकर्ता द्वारा लेखांकन को विनिर्दिष्ट नहीं करता है।

मुद्दे

10. यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था में बाध्यताओं तथा संबंधित अधिकारों की मान्यता तथा माप पर सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है। सेवा रियायत व्यवस्था के बारे में सूचना को प्रकट करने की अपेक्षाएं इस भारतीय लेखा मानक की परिशिष्टड में दी गयी हैं। इस परिशिष्ट में जिन मुद्दों - का वर्णन किया गया है वे इस प्रकार हैं:

(क) मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार;

(ख) व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप;

(ग) निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं;

(घ) परिचालन सेवाएं;

(ङ) उधार की लागतें;

(च) एक वित्तीय आस्ति तथा एक अमूर्त आस्ति के परवर्ती लेखांकन का व्यवहार; तथा

(छ) प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की जाने वाली मदें।

लेखा सिद्धांत

मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार

11. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मूलभूत संरचना की परिचालक की संपत्तिसंयंत्र तथा , उपस्कर के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि अनुबंधात्मक सेवा व्यवस्था परिचालक को सार्वजनिक सेवा मूलभूत संरचना के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार नहीं देता है। परिचालक के पास अनुबंध में निर्दिष्ट शर्त के अनुसार प्रदानकर्ता की तरफ से सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की अनुमति होती है।

व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप

12. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों के अधीनपरिचालक एक , सेवा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करता है। परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए को निर्मित अथवा उन्नयन करत (निर्माण या उन्नयन सेवाएं) प्रयुक्त मूलभूत संरचना है तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए मूलभूत संरचना को परिचालित करता है (परिचालन सेवाएं) और उसका रखरखाव करता है।
13. परिचालक अपने द्वारा निष्पादित की गई सेवा के लिए भारतीय लेखा मानक के अनुसरण 115 में राजस्व की मान्यता तथा माप करेगा। प्रतिफल का स्वरूप इसके बाद के लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है। वित्तीय आस्ति के रूप में तथा एक अमूर्त आस्ति के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बाद के लेखे का विवरण इस परिशिष्ट के अनुच्छेद में दिया गया है। 26-23

निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं

14. परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाओं को भारतीय लेखा मानक के अनुसार लेखांकित 115 करेगा।

प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिया जाने वाला प्रतिफल

15. यदि परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं प्रदान करता है और इसके लिए वह प्रतिफल प्राप्त करता है अथवा उसे प्राप्य है तो इस प्रतिफल की मान्यता भारतीय लेखा मानक क 115े अनुसार की जाएगी। प्रतिफल निम्नलिखित के अधिकार स्वरूप है:

(क) एक वित्तीय आस्ति; अथवा

(ख) अमूर्त आस्ति।

16. परिचालक वित्तीय आस्ति को एक सीमा तक ही मान्यता देगा जो इस निर्माण सेवा के लिए प्रदानकर्ता के निर्देश पर नकद अथवा एक अन्य वित्तीय आस्ति के रूप में प्राप्त करने का बिना शर्त अनुबंधात्मक अधिकार रखता है यदि , प्रदानकर्ता के पास भुगतान को रोकने का बहुत कम , विवेकाधिकार है क्योंकि आमतौर पर करार कानून द्वारा बाध्यकारी है। परिचालक के , कोई है पास नकद को प्राप्त करने का बिना शर्त का अधिकार है यदि प्रदानकर्ता अनुबंधात्मकरूप से परिचालक को विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के भुगतान की गारंटी देता है (क); अथवा सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ता से प्राप्त राशि तथा विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि (ख) बेशक भुगतान परिचालक के लिए इस रूप , तो भी वह भुगतान करेगा , के बीच यदि कोई कमी है में आकस्मिक है क्योंकि उसे मूलभूत संरचना की निर्दिष्ट गुणवत्ता अथवा कुशलता की अपेक्षाओं को पूरा करना है।
17. परिचालक अमूर्त आस्ति को इस सीमा तक मान्यता देगा कि उसे सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार प्राप्त है। उपयोगकर्ताओं से नकद रूप से वसूलने का बिना शर्त (लाइसेंस) अधिकार नहीं है क्योंकि राशियां उस सीमा तक ही आकस्मिक हैं जहाँ तक जनता सेवा का उपयोग करती है।
18. यदि परिचालक को आंशिक रूप से वित्तीय आस्ति के द्वारा तथा आंशिक रूप से अमूर्त आस्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है तो यह आवश्यक है कि परिचालक की प्रतिफल के प्रत्येक भाग , का पृथक रूप से लेखांकन किया जाए। दोनों भागों के प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल को आरंभ में भारतीय लेखा मानक के अनुसार मान्यता दी जाएगी। 115
19. प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिये गये प्रतिफल की प्रकृति का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा मौजूदा प्रासंगिक अनुबंध को कानून के संदर्भ द्वारा किया जाएगा। प्रतिफल का स्वरूप परवर्ती लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है में वर्णित 26-23 जैसा कि इस परिशिष्ट के अनुच्छेद , निर्माण या उन्नयन अवधि के समय दोनों प्रकार के प्रतिफलों की भारतीय लेखा मानक , है। तथापि के अनुसार अनुबंध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 115

परिचालन सेवाएं

20. परिचालक भारतीय लेखा मानक के अनुसार परिचालन सेवाओं का लेखा करेगा। 115

सेवा के एक विशिष्ट स्तर तक मूलभूत संरचना को रखने की अनुबंधात्मक बाध्यताएं

21. परिचालक की यह अनुबंधात्मक बाध्यता है कि वह एक लाइसेंस की उन शर्तों को अवश्य पूरा करे कि वह रखाव करे अथवा-सेवा को विशिष्ट स्तर तक रखने के लिए मूलभूत संरचना का रख (क) सेवा व्यवस्था के अंत में प्रदानकर्ता को मूलभूत संरचना सौंपने से पूर्व निर्धारित स्थिति त (ख)क रखे। उन्नयन तत्व (14 देखिए इस परिशिष्ट का अनुच्छेद)को छोड़कर मूलभूत संरचना को बनाये रखने अथवा इसे पुनर्बहाल करने के अनुबंधात्मक बाध्यता भारतीय लेखा मानक के अनुसार 37 मान्य होंगे तथा मापे जायेंगे अर्थात् व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता को निपटाने के लिए आवश्यक होगा।

परिचालन द्वारा खर्च की गयी उधार की लागतें

22. भारतीय लेखा मानक व्यवस्था से संबंधित उधार की लागतों को उस अवधि ,के अनुसरण में 23 के अन्त में एक व्यय के रूप में तब तक मान्यता दी जायगी जिसमें वह खर्च होती है जब तक कि परिचालक के पास एक अमूर्त आस्ति को प्राप्त करने का अनुबंधात्मक अधिकार न हो । इस मामले में व्यवस्था से संबंधित (सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार) उधार की लागतों को उस मानक के अनुसार व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान पंजीकृत किया जायेगा।

वित्तीय आस्ति

23. भारतीय लेखा मानक के अन्तर्गत 18 तथा 16 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 109 तथा 107 ,32 मान्य वित्तीय आस्ति पर लागू होते हैं।

24. प्रदानकर्ता के प्राप्य अथवा उसके निर्देश पर प्राप्य राशि का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 109 जैसे म ,के अनुसार किया जाता है।पा गया है:

(क) परिशोधित लागत;

(ख) अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य पर; अथवा

(ग) लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर।

25. यदि प्रदानकर्ता से देय राशि को परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य पर मापा जात है यह अपेक्षा करता है 109 तो भारतीय लेखा मानक , कि प्रभावी ब्याज विधि द्वारा की गयी ब्याज की गणना को लाभ या हानि में मान्यता दी जाए।

अमूर्त आस्ति

26. भारतीय लेखा मानक के अनुसार मान्य अमूर्त 18 तथा 17 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 38 मौद्रिक आस-गैर 47-45 के अनुच्छेद 38 आस्ति पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक आस्तियों के संयोजन में विनिमय में अधिगृहीत - अमूर्त आस्तियों के माप पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की गयीं मर्दे

27. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद मूलभूत संरचना मर्दे जिन ,के अनुसार 11 पर सेवा व्यवस्था के प्रयोजन से प्रदानकर्ता द्वारा परिचालन की अनुमति दी जाती है संयंत्र तथा , उन्हें परिचालक की सम्पत्ति , उपस्कर नहीं माना जाता। प्रदानकर्ता परिचालक को अन्य मर्दे भी प्रदान कर सकता है जिन्हें परिचालक अपने पास रख सकता है अथवा जैसा चाहे उनका लेनदेन कर सकता है। यदि इस प्रकार की आस्तियां सेवा के लिए प्रदानकर्ता के द्वारा भुगतान योग्य प्रतिफल का भाग बना है तो उन्हें भारतीय लेखा मानक ,में यथा परिभाषित सरकारी अनुदान नहीं माना जाता। इसके बजाए 20 ले ,में परिभाषित है 115 उनक लेखा जैसा कि भारतीय लेखा मानक नदेन कीमत के भाग की - तरह किया जाता है।

परिशिष्ट घ को लागू करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत

यह प्रयोग मार्गदर्शन (प्रमा) परिशिष्ट ग का अभिन्न अंग है।-

कार्यक्षेत्र (परिशिष्ट घ का अनुच्छेद 5)

प्रमा1: परिशिष्ट घ का अनुच्छेद 5 विनिर्दिष्ट करता है कि मूलभूत संरचना परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है जब निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:

(क) प्रदानकर्ता यह नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, उन्हें ये सेवाएं अनिवार्यतया किसे प्रदान करनी चाहिए तथा किस कीमत पर करनी चाहिए, तथा

(ख) प्रदानकर्ता व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट को हित स्वामित्व, हित ग्राही अधिकार अथवा अन्य प्रकार के द्वारा नियंत्रित करता है।

प्रमा2: उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्त में संदर्भित नियंत्रण अथवा विनियमन ठेके अथवा अन्य रूप से (जैसे एक विनियामक द्वारा) हो सकता है तथा इसमें वे परिस्थितियां सम्मिलित हैं जिनमें प्रदानकर्ता सभी उत्पादन खरीद लेता है तथा जिसमें कुछ अथवा सभी उत्पादन अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इस शर्त को लागू करने में, प्रदानकर्ता तथा अन्य संबंधित पक्षों पर एक साथ ही विचार किया जाएगा। यदि प्रदानकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक हित में कार्यरत कोई विनियामक इस परिशिष्ट घ के प्रयोजन के लिए प्रदानकर्ता से संबंधित ही माना जायगा।

प्रमा3: उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्त के प्रयोजन के लिए, प्रदानकर्ता के पास कीमत का पूर्ण नियंत्रण होने की आवश्यकता नहीं है। कीमत को प्रदानकर्ता, अनुबंध अथवा विनियामक कोई भी विनियमित कर सकता है, उदाहरण के लिए, जैसे कि कैपिंग तंत्र। यद्यपि, शर्त करार के सार अनुसार लागू होगी। गैर-सारवान विशेषताओं जैसे कि सीमा यानि 'कैप' का प्रयोग बहुत ही कम परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि उदाहरण के लिए एक अनुबंध परिचालक को कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है और जो भी अतिरिक्त लाभ होगा उसे प्रदानकर्ता को वापिस करना है, तो ऐसे में परिचालक का प्रतिफल सीमित हो जाएगा और साथ ही नियंत्रण जांच के कीमत तत्व भी पूरा हो जाता है।

प्रमा4: उपर्युक्त 'ख' की शर्त के प्रयोजन के लिए, प्रदानकर्ता का किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित पर नियंत्रण परिचालक की बिक्री अथवा मूलभूत संरचना को गिरवी रखने की व्यावहारिक समर्थता दोनों

ही सीमित हो जाती हैं तथा प्रदानकर्ता को व्यवस्था की अवधि में सतत् उपयोग का अधिकार देता हैं। मूलभूत संरचना का अवशिष्ट हित मूलभूत संरचना का वह अनुमानित चालू मूल्य है मानो कि व्यवस्था की अवधि के अन्त का समय हो गया है और यह उस समय की प्रत्याशित परिस्थिति है।

प्रमा5: नियंत्रण और प्रबन्ध दोनों अलग-अलग है। यदि प्रदानकर्ता परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 5 (क) में वर्णित नियंत्रण की डिग्री तथा मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित दोनों को रखता है, तो परिचालक प्रदानकर्ता की तरफ से मूलभूत संरचना का प्रबन्ध ही कर रहा है, चाहे कई मामलों में इसमें कई तरह के प्रबन्धकीय स्वविवेकाधिकार हो सकते हैं।

प्रमा6: उपर्युक्त 'क' और 'ख' दोनों की शर्तें एक साथ इस बात की पहचान करती हैं कि कब मूलभूत संरचना, किसी अपेक्षित पुर्नस्थापना सहित (देखिए परिशिष्ट घ का अनुच्छेद 21), समस्त आर्थिक जीवन प्रदानकर्ता द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। उदाहरणतया, यदि परिचालक को मूलभूत संरचना की एक मद का एक भाग व्यवस्था की अवधि के दौरान पुर्नस्थापित करना पड़ता है (जैसे कि सड़क की ऊपरी सतह या परत या भवन की छत) तब मूलभूत संरचना की वह मद सम्पूर्ण रूप से विचार में ली जाएगी। इस प्रकार 'ख' की शर्त पूरी मूलभूत संरचना के लिए लागू होगी और इसमें वह भाग भी सम्मिलित रहेगा जिसे पुर्नस्थापित किया जाता है, अगर प्रदानकर्ता उस भाग की अंतिम पुर्नस्थापना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है।

प्रमा7: कभी-कभी मूलभूत संरचना का प्रयोग परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 5(क) में यथावर्णित तरीके से अंशतः विनियमित किया जाता है और कुछ भाग अनियमित रह जाता है। लेकिन, इस व्यवस्था के अनेक रूप हैं:-

(क) एक मूलभूत संरचना जिसे भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है और वह स्वतंत्र रूप से परिचालित की जा सकती है और वह भारतीय लेखा मानक 36 में यथावर्णित एक नकदी-सृजन इकाई की परिभाषा को पूरा करती है, उसका विश्लेषण अलग से किया जाएगा यदि इसे पूरी तरह से अविनियमित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरणतया, इसे एक अस्पताल के निजी खंड (विंग) पर लागू किया जा सकता है जब कि पूरा अस्पताल प्रदानकर्ता द्वारा आम रोगियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) जब पूरी तरह से सहायक गतिविधियां (जैसे कि अस्पताल की एक दुकान) अविनियमित होती हैं तो नियंत्रण जांच इस तरह से की जाती जैसे कि वे सेवाएं विद्यमान ही न हों क्योंकि ऐसे

मामलों में प्रदानकर्ता इन सेवाओं को नियंत्रण ठीक वैसे करता है जैसे कि परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया है। अनुषंगी गतिविधियों का अस्तित्व मूलभूत संरचना के प्रदानकर्ता के नियंत्रण को कम नहीं करता।


प्रमा8: एक परिचालक अनुच्छेद प्रमा 7(क) में यथावर्णित अलग मूलभूत संरचना के प्रयोग का अधिकार रखता है। वह इस बात का भी अधिकार रखता है कि अनुच्छेद प्रमा 7(ख) में यथावर्णित सहायक अविनियमित सेवाओं को देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का प्रयोग करें। दोनों में से प्रत्येक मामले में, प्रदानकर्ता की ओर से परिचालक के लिए एक पट्टा होगा, जिसका लेखा भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में किया जाएगा।

सूचना टिप्पणी - 1

सार्वजनिक-से-निजी सेवा व्यवस्था के लिए लेखा ढांचा

यह टिप्पणी परिशिष्ट 'घ' के साथ संलग्न है

परंतु उसका अंग नहीं है। नीचे आरेख परिशिष्ट 'क' द्वारा स्थापित सेवा व्यवस्था के लिए लेखा का सार प्रस्तुत है ।



सूचना टिप्पणी-2

भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ जो सार्वजनिक से निजी व्यवस्था के विशिष्ट प्रकारों पर लागू होती हैं।

यह टिप्पणी परिशिष्ट घ का संलग्नक है परन्तु इसका अंग नहीं है।

यह सारणी सार्वजनिक क्षेत्र सेवा के प्रावधान में निजी क्षेत्र सहभागिता की व्यवस्था के विशिष्ट प्रकारों को निर्धारित करती है तथा भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ प्रदान करती है जो उन व्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। व्यवस्था प्रकारों की सूची विस्तृत नहीं है। सारणी का प्रयोजन व्यवस्था की निरन्तरता को प्रकट करना है। परिशिष्ट 'घ' का यह प्रभाव देने का आशय नहीं है कि सार्वजनिक से निजी व्यवस्था की लेखा अपेक्षाओं के बीच कोई स्पष्ट रेखा विद्यमान है।

श्रेणी	पट्टाधारी	सेवा प्रदातानकर्ता			स्वामी	
विशिष्ट व्यवस्था प्रकार	पट्टा (उदाहरणतया प्रदानकर्ता से परिचालक को पट्टा आस्ति)	सेवा तथा/अथवा अनुरक्षण ठेका (विशिष्ट कार्य उदाहरणतया ऋण संग्रहण)	पुनर्वास परिचालन अंतरण	निर्माण-परिचालन-अंतरण	निर्माण-स्वामित्व-परिचालन	100% विनिवेश/निजीकरण/निगम
आस्ति स्वामित्व	प्रदानकर्ता			परिचालक		
पूंजी निवेश	प्रदानकर्ता			परिचालक		
मांग जोखिम	अंशतः	प्रदानकर्ता	परिचालक तथा/अथवा प्रदानकर्ता	परिचालक		
विशिष्ट अवधि	8-20 वर्ष	1-5 वर्ष	25-30 वर्ष	अनिश्चित (अथवा लाइसेंस द्वारा सीमित हो सकती है)		
अवशिष्ट हित	प्रदानकर्ता			परिचालक		

प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 17	भारतीय लेखा मानक 18	यह परिशिष्ट 'क'	भारतीय लेखा मानक 16
-------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	---------------------

परिशिष्ट ड - सेवा रियायत व्यवस्थाए: प्रकटन

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

मुद्दे

1. एक प्रतिष्ठान (परिचालक) ऐसी सेवा जो जनता को प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है, प्रदान करने के लिए एक अन्य प्रतिष्ठान प्रदानकर्ता) के साथ व्यवस्था में कर सकता है। प्रदानकर्ता एक सरकारी संस्था सहित सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान हो सकता है। सेवा रियायत व्यवस्था के उदाहरण है, जल उपचार तथा आपूर्ति सुविधा, मोटरवे, कार पार्क, सुरंगें, पुल, हवाई जहाज तथा दूरसंचार नेटवर्क हैं। व्यवस्था के उदाहरण सेवा रियायत व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें अपनी आंतरिक सेवाओं के परिचालन को आउटसोर्स करने के लिए एक प्रतिष्ठान सम्मिलित होता है (इन सेवाओं के उदाहरण हैं कर्मचारी कैफ़ेटेरिया, भवन अनुरक्षण, लेखांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्य)।
2. एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रायः एक प्रदानकर्ता होता है जो परिचालक को रियायत की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रदान करता है:

(क) सेवाओं को प्रदान करने का अधिकार जो जनता को आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है; तथा

(ख) कुछ मामलों में, परिचालक के लिए विनिमय में विशिष्ट मूर्त आस्तियों, अमूर्त आस्तियों अथवा वित्तीय आस्तियों के उपयोग का अधिकार;

(ग) इसके बदले में प्रदानकर्ता को रियायत अवधि के दौरान कुछ शर्तों के अनुसार सेवा को प्रदान करने की प्रतिबद्धता; तथा

(घ) जब लागू हों, रियायत अवधि के आरंभ में प्राप्त तथा/अथवा रियायत अवधि के दौरान अधिगृहीत अधिकार को रियायत अवधि के अंत में वापसी करने की प्रतिबद्धता।

3. सभी सेवा रियायत व्यवस्था मामलों की सामान्य विशेषता यह है कि परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए अधिकार को प्राप्त करता है तथा जन सेवा प्रदान करने की बाध्यता को वहन करता है।
4. मुद्दे यह है कि एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में क्या सूचना प्रकट करें।
5. कुछ सेवा रियायत व्यवस्था के मामलों में कुछ पक्षों तथा प्रकटनों का लेखा मानकों द्वारा वर्णन किया जाता है (उदाहरणतः, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मर्दों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 16, आस्तियों के पट्टों के लिए भारतीय लेखा मानक 17 तथा अमूर्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 38 लागू होता है। लेकिन, एक सेवा रियायत व्यवस्था में कार्य-निष्पादन अनुबंध व्याप्त हो सकते हैं जो लेखा मानकों से संबंधित नहीं हैं बशर्ते वे अनुबंध दुर्भर न हों, जिनमें भारतीय लेखा मानक 37 लागू होता है। अतः, यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था के अतिरिक्त प्रकटनों का वर्णन करता है।

लेखा सिद्धांत

6. टिप्पणियों में एक सेवा रियायत व्यवस्था के सभी पहलुओं के उपयुक्त प्रकटन के निर्धारण पर विचार किया जाये। एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता प्रत्येक अवधि में निम्न को प्रकट करेगा-
 - (क) व्यवस्था का विवरण;
 - (ख) व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें जो भावी नकद प्रवाहों की राशि, समय तथा निश्चितता को प्रभावित कर सकती हैं (उदाहरणतः रियायत की अवधि, पुनः कीमत की तिथियां तथा वे आधार जिन पर पुनः)कीमत तथा पुनः समझौता का निर्धारण किया जाता है;
 - (ग) निम्नलिखित की प्रकृति व सीमा (जैसे मात्रा, समय-अवधि या यथोचित राशि) :
 - (i) विशिष्ट आस्ति के उपयोग का अधिकार;
 - (ii) सेवा प्रदान करने की बाध्यता अथवा सेवा प्रदान करने की अवाज में प्रत्याशित अधिकार;
 - (iii) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मर्दों के अधिग्रहण अथवा बनाने की बाध्यता;
 - (iv) रियायत अवधि के अंत में विशिष्ट आस्तियों को प्राप्त करने के अधिकार अथवा सुपुर्द करने की बाध्यता;
 - (v) नवीकरण तथा निरस्तीकरण के विकल्प; तथा
 - (vi) अन्य अधिकार तथा बाध्यताएँ (उदाहरणतः प्रमुख ओवरहाल) ;

- (घ) अवधि के दौरान व्यवस्था में होने वाले बदलाव; तथा
(ङ) किस प्रकार से सेवा व्यवस्था का वर्गीकरण किया जाना है।

6.क एक परिचालक एक वित्तीय आस्ति अथवा एक अमूर्त आस्ति के लिए निर्माण सेवा के विनिमय पर अवधि में मान्य राजस्व तथा लाभ अथवा हानि की राशि को प्रकट करेगा।

7. इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 6 के अनुसार, अपेक्षित प्रकटन प्रत्येक सेवा रियायत व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा सेवा रियायत व्यवस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक साथ किया जायेगा। एक श्रेणी एक जैसी प्रकृति की सेवाओं का सेवा रियायत व्यवस्था समूह है (उदाहरण के लिए, महसूल (टोल) का संग्रहण, दूरसंचार तथा जल उपचार सेवाएं)।

परिशिष्ट च- अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची दे रहा है जो अन्य लेखा मानकों का भाग हैं और भारतीय लेखा मानक 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं।

1. परिशिष्ट ख, पट्टे के विधिक स्वरूपयुक्त लेन-देनों के सारत्व का मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, में समाविष्ट।
2. परिशिष्ट क, अमूर्त आस्तियां-वेबसाइट लागतें भारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियां में समाविष्ट।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन यह है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व', 'आई एफ आर आई सी' 12 'सेवा रियायत व्यवस्था' तथा एस आई सी 29 'सेवा रियायत व्यवस्था प्रकटन' के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व', 'आई एफ आर आई सी' 12 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं' और 'एस आई सी' 29 'सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटन' के साथ तुलना।

1. भारतीय लेखा मानक 115 में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
2. आई एफ आर एस' 15 के अनुच्छेद 15 के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिफल की राशि शास्तियों (पेनेल्टीज) के कारण अलग-अलग हो सकती है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 51 का संशोधन उसमें (अनुच्छेद 51 में) दी गयी उदाहरणों की सूची में से 'शास्तियों (पेनेल्टीज)' हटाने के आशय से किया गया है जिसके कारण प्रतिफल की राशि अलग हो सकती है। तथापि, 'शास्तियों' के लेखा व्यवहार को स्पष्ट करने के आशय से अनुच्छेद 51 कक सम्मिलित किया गया है।
3. अनुच्छेद 109 कक इस आशय से जोड़ा गया है ताकि एक प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण में मान्य राजस्व में शामिल उत्पाद शुल्क की राशि को अलग से प्रस्तुत कर सके।
4. अनुच्छेद 26 कक इस आशय से जोड़ा गया है जिसमें लाभ-हानि विवरण में मान्य राजस्व राशि का मिलान उस अनुबंधित कीमत के साथ प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रत्यक समायोजन के मद की प्रकृति व राशि को अलग-अलग प्रदर्शित किया हो।
5. परिशिष्ट ग-प्रयोग-सम्बंधी दिशा-निर्देश-अनुच्छेद ख 20 कक इस आशय से शामिल किया गया है कि जब ग्राहक को शर्त रहित वापसी के अधिकार के साथ उत्पाद का नियंत्रण अन्तरित किया जाता है तो उसका लेखा कैसे किया जाए।
6. निम्नलिखित कारणों से प्रदत्त और संक्रमणकाल से सम्बन्धित अनुच्छेद ग1क, ग1ख, ग8क और ग9 हटा दिये गये हैं :-
 - (क) अनुच्छेद ग1क 'आईएफआरएस' 16 पट्टे के जारी होने से अनुच्छेद 5, 97, ख66 और ख 70 में संशोधनों के संदर्भ में है जिसके तदनुरूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है।
 - (ख) अनुच्छेद ग1ख और ग8क भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि ये उन संशोधनों के प्रयोग के संदर्भ में है जहां लेखा मानक के संशोधन जारी होने से पूर्व ये पहले प्रयोग में थे।
 - (ग) अनुच्छेद ग9 अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 39 वित्तीय लिखतों के प्रयोग के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।
7. 'आएफआरएस 15' का परिशिष्ट 'ख' का अनुच्छेद-ख57 'हटाया गया' है, दिखाया गया है।

फिर भी, 'आईएफआरएस' 15 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता के बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 में यह अनुच्छेद संख्या रहने दी गई है।

VIII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1” में:-

(i) अनुच्छेद 34 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“34. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का माप उस प्रतिफल से करे जिसे वह वचन शुदा वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण के बदले हक के रूप में आशा करता है। उदाहरणार्थ, मान्य राजस्व की राशि प्रतिष्ठान द्वारा दिये जाने वाले व्यापारिक बट्टे और परिमाण छूटों को प्रदर्शित करता है। एक प्रतिष्ठान अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान वे लेन-देन भी करता है जो राजस्व तो उत्पन्न नहीं करते लेकिन वे राजस्व-उत्पन्न करने की गतिविधियों के लिए प्रासांगिक होते हैं। एक प्रतिष्ठान लेन-देनों के परिणाम स्वरूप आय में से उन लेन-देनों से संबंधित खर्चों को घटा कर प्रस्तुत करता है जब यह प्रस्तुतिकरण लेन-देन या अन्य घटना के सार को दर्शाता है, उदाहरणार्थ:

(क) एक प्रतिष्ठान निवेशों और परिचालन आस्तियों सहित गैर-चालू आस्तियों के निपटान पर लाभों (गेन्स) और हानियों को सम्पत्ति के निपटान पर होने वाली प्रतिफल की राशि से आस्ति की अग्रणीत राशि व विक्रय संबंधित व्ययों को घटाकर प्रस्तुत करता है, और

(ख) एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां* के अनुसरण में मान्य एक प्रावधान से संबंधित व्यय को, जो किसी तीसरे पक्ष के साथ एक अनुबंधात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया गया है, उस संबंधित प्रतिपूर्ति में से घटा कर प्रस्तुत कर सकता है। (उदाहरणार्थ एक आपूर्तिकर्ता का वारंटी करार)। “;

(ii) अनुच्छेद 138 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:-

“संक्रमण एवं प्रभावी तिथि

139	*
139क	*
139ख	*
139ग	*
139घ	*
139ङ	*
139च	*
139छ	*

* देखें परिशिष्ट 1

139ज	*
139झ	*
139ञ	*
139ट	*
139ठ	*
139ड	*

139ढ भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 34 संशोधित कर दिया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करेगा तो इस संशोधन को भी लागू करेगा।”;

- (iii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 9 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-
 “10 अनुच्छेद 139 से 139ड संक्रमण एवं प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 1 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 1 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ,अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 1 में जारी रखा गया है।”;

IX. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2” में-

(i) अनुच्छेद 2 में मद (क) का लोप किया जायेगा;

- (ii) अनुच्छेद 8 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 “8 सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में, क्रय की गयी तथा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें, उदाहरण के लिए, एक खुदरा व्यापारी द्वारा क्रय किया गया और पुनः बिक्री के लिए रखा गया व्यापार का सामान अथवा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी भूमि या अन्य संपत्ति सम्मिलित है। सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित तैयार वस्तुएं, निर्माणाधीन वस्तुएं और वह सामग्री या आपूर्ति भी शामिल है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लायी जानी है। जो लागतें एक ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के संपादन (पूरा करने) के लिए खर्च की जाती हैं और उनसे किन्हीं प्रकार की सूचीबद्ध माल (इन्वेन्ट्रीज) (या फिर किसी अन्य भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र अधीन आस्तियों) का सृजन नहीं होता है, उन लागतों का लेखा भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के अनुसरण में किया जाता है।”;

(iii) अनुच्छेद 19 का लोप किया जायेगा;

* देखें परिशिष्ट 1

(iv) अनुच्छेद 23 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“23 ऐसी मदे, जिन्हें सामान्य रूप से आपस में बदला नहीं जा सकता है और जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए माल या सेवाओं के रूप में सूचीबद्ध सामान की मदे तैयार की जाती है और अलग की जाती है उनकी लागत को, पृथक लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान द्वारा नियत किया जाएगा।”

(v) अनुच्छेद 29 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“29 सूचीबद्ध सामान को सामान्यतया शुद्ध वसूली-योग्य मूल्य तक मद-दर-मद अपलिखित किया जाता है। तथापि, कुछ परिस्थितियों में, एक जैसी और संबंधित मदों को समूहबद्ध करना उपयुक्त हो सकता है। यह समान उत्पादन रेखा से संबंधित सूचीबद्ध सामान की मदों के मामले में हो सकता है, जिनका उद्देश्य या अंतिम उपयोग एक ही है और जो समान भौगोलिक क्षेत्र में उत्पीड़ित और विपणित की जाती है और जिन्हें व्यवहार में उस उत्पादन रेखा में अन्य मदों से अलग मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। सूचीबद्ध सामान के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध सामान को अधलिखित करना उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के लिए, तैयार माल या विशिष्ट परिचालन खंड में सभी सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)।”;

(vi) अनुच्छेद 37 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“37 सूचीबद्ध सामान के विभिन्न वर्गीकरणों में रखी गई सूचीबद्ध सामान की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की सूचना और इन आस्तियों में परिवर्तन की सीमा से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। सूचीबद्ध सामान के सामान्य वर्गीकरण में व्यापार की वस्तुएं, उत्पादन की आपूर्तियां निर्माणाधीन एवं तैयार वस्तुएं आती हैं।”;

(vii) अनुच्छेद 39 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि

40	*
40क	*
40ख	*
40ग	*
40घ	*

* देखें परिशिष्ट 1

40ड भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 2,8,29 व 37 संशोधित किये गये हैं। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधन को भी लागू करेगा।”;

(viii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-
“2.अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं ‘हटायी गयी’ उल्लिखित है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 2 में जारी रखा गया है।”;

- (i) अनुच्छेद 2(क)
- (ii) अनुच्छेद 19.

3. अनुच्छेद 40 से 40घ भारतीय लेखा मानक 2 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 2 में जारी रखा गया है।”;

X. “भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 8” में :-

(i) परिशिष्ट ‘क’ में मौजूदा अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा संख्यांकित अनुच्छेद के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित की जाएगा, अर्थात्:-

“2. भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव, में अंतर्निहित परिशिष्ट ख, विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अग्रिम प्रतिफल, भारतीय लेखा मानक 8 का संदर्भ देता है।”;

XI. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 11” का लोप किया जाएगा।

XII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12” में-

(i) अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अनुच्छेद 26(घ) को स्पष्ट करते हुए दृष्टांत उदाहरण :
वर्ष 2 के अंत में कटौतयोग्य अस्थायी अंतर की पहचान :

प्रतिष्ठान 'क' वर्ष 1 के आरम्भ में रु. 1000 के नाममात्र मूल्य पर 2 प्रतिशत ब्याज दर पर, जो प्रत्येक वर्ष के अंत में देय है, 5 वर्षों की परिपक्वता अवधि पर देय है, एक ऋण लिखत खरीदता है। प्रभावी ब्याज-दर 2 प्रतिशत है। ऋण लिखत को उसके उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वर्ष 2 के अंत में, बाजार ब्याज-दर बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाने के परिणामस्वरूप ऋण लिखत का उचित मूल्य घटकर रु. 918 हो जाता है। प्रतिष्ठान 'क' यदि ऋण लिखत को रखना चाहता है तो इस बात की संभावना है कि वह सभी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करेगा।

ऋण लिखत पर होने वाले कोई भी लाभ (हानियां) करयोग्य (कटौतीयोग्य) केवल तभी होंगे (होंगी) जब उनकी वसूली होगी। ऋण लिखत की बिक्री अथवा परिपक्वता पर होने वाले लाभ (हानियां) की कर प्रयोजनों के लिए की जाने वाली गणना, एकत्र की गई राशि तथा ऋण लिखत की मूल लागत के बीच अंतर होगा।

तदनुसार, ऋण लिखत का कर आधार, उसकी मूल लागत होती है।

प्रतिष्ठान 'क' के तुलन-पत्र में रु. 918 की ऋण लिखत की अग्रणीत राशि तथा इसके रु. 1000 के कर-आधार के बीच का अंतर वर्ष 2 के अंत में रु. 82 का कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न करता है। (देखें अनुच्छेद 20 तथा 26 (घ))। उसमें इस बात पर विचार नहीं किया जाता है कि क्या प्रतिष्ठान 'क' ऋण लिखत को बेचकर या इसका उपयोग कर अर्थात् इसे रखकर अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करके या दोनों के संयोजन से इसकी अग्रणीत राशि को वसूल करने की उम्मीद रखता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर वह अंतर होते हैं जो तुलन-पत्र में किसी आस्ति या दायित्व की अग्रणीत राशि तथा इसके कर आधार जिसके परिणामस्वरूप ये राशियां भावी अवधियों के करयोग्य लाभ (हानि) का निर्धारण करने पर कटौतीयोग्य तब होती है जब आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत राशि वसूली जाती है अथवा उसका निपटान किया जाता है (देखें अनुच्छेद 5)। प्रतिष्ठान 'क' को आस्ति को बेचने या उसके परिपक्व होने पर प्राप्त राशि से करयोग्य लाभ (कर हानि) का निर्धारण करते समय रु. 1000 के कर आधार के बराबर राशि की कटौती प्राप्त होती है।”;

- (ii) अनुच्छेद 27 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् -
“27क. जब एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि उसे करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध यह कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग कर सकता है, तब वह यह विचार करता है कि कहीं कर नियम करयोग्य लाभों के स्रोतों को सीमित तो नहीं कर देता है।” जिसके लिए

वह उस कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर के उलटाव पर कटौती कर सकता है। यदि कर कानून ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाता तो प्रतिष्ठान अन्य कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के संयोजन से कटौतीयोग्य अस्थायी निर्धारण कर सकता है। तथापि, यदि कर-कानून विशेष प्रकार की आय पर कटौती के लिए हानियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगता है तो कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का निर्धारण केवल किसी उपयुक्त प्रकार के कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के संयोजन से ही किया जा सकता है।”;

(iii) अनुच्छेद 29 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“29. जब उसी कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से संबंधित अपर्याप्त करयोग्य अस्थायी अंतर है, अस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है :-

(क) यह संभव है कि प्रतिष्ठान को उसी अवधि में कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से संबंधित पर्याप्त करयोग्य लाभ है जैसाकि कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उलटाव (अथवा उन अवधियों में जिनमें अस्थगित कर आस्ति में उत्पन्न किसी कर हानि को पीछे अथवा आगे ले जाया जा सकता है)। इस बात का मूल्यांकन करने में कि क्या इससे भावी अवधियों में पर्याप्त करयोग्य लाभ होगा, इसके लिए प्रतिष्ठान :

(i) कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों की तुलना भावी करयोग्य लाभ के साथ करता है जो उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के उलटाव के फलस्वरूप कर कटौतियों को शामिल नहीं करता है। यह तुलना उस सीमा को दर्शाती है जिसमें प्रतिष्ठान के भावी करयोग्य लाभ उन राशियों की कटौती के लिए उसे पर्याप्त होगी जो कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के उलटाव के परिणामस्वरूप हैं।

(ii) कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न करयोग्य राशियों पर ध्यान नहीं देता है जो कि भावी अवधियों में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न अस्थगित कर आस्ति को स्वयं ही उपयोग में लाये जाने के उद्देश्य से भावी करयोग्य लाभ की अपेक्षा होगी।

(ख) प्रतिष्ठान को कर आयोजन अवसर उपलब्ध हैं जो कि उपयुक्त अवधियों में करयोग्य लाभ सृजित करेंगी।”;

(iv) अनुच्छेद 29 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् : -

“29क. संभावित भावी करयोग्य लाभ के प्राक्कलन (अनुमान) में प्रतिष्ठान की कुछ ऐसी आस्तियों की वसूली शामिल की जा सकती है, जो अग्रणीत राशि से अधिक हो, बशर्ते इसके पर्याप्त साक्ष्य कि ऐसी संभावना है कि प्रतिष्ठान इसे पूरा कर लेगा। उदाहरण के लिए, जब आस्ति

को उचित मूल्य पर मापा जाता है, तो प्रतिष्ठान यह विचार करेगा कि क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि यह संभावना है कि प्रतिष्ठान आस्ति की इसकी अग्रणीत राशि से अधिक की वसूली कर लेगा। उदाहरण के लिए, यह एक मामला तब हो सकता है जब प्रतिष्ठान नियत-दर ऋण लिखत को रखने की तथा अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करने की उम्मीद रखता है।”;

(v) अनुच्छेद 59 की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(क) ब्याज, रॉयल्टी अथवा लाभांश राजस्व बकाया राशियों में प्राप्त होते हैं तथा भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व या भारतीय लेखा मानक 109. वित्तीय लिखतें, जो भी उपयुक्त हों, जिस पर लेखा लाभ में सम्मिलित किये जाते हैं, परन्तु नकदी आधार पर करयोग्य लाभ (कर हानि) में सम्मिलित किये जाते हैं; तथा”;

(vi) अनुच्छेद 88 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि

89	*
90	*
91	*
92	*
93	*
94	*
95	*
96	*
97	*
98	*
98क	*
98ख	*
98ग	*
98घ	*

98ङ भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 59 संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी इस मानक यानि भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इस संशोधन को लागू करेगा।

98च *

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

98छ. अप्राप्त हानियों के लिए आस्थागित कर आस्तियों का माप (भारतीय लेखा मानक 12 में किया गया संशोधन) पैरा 29 को संशोधित किया गया है तथा अनुच्छेद 27क, 29क तथा 89 से 98च और अनुच्छेद 26 के बाद उदाहरण सम्मिलित किये गए हैं। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को अथवा उसके बाद की तिथि से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, के अनुसार उन संशोधनों को पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। तथापि, संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग करने पर नवीनतम तुलनात्मक अवधि की प्रारंभिक इक्विटी में हुए परिवर्तन को प्रारंभिक प्रतिधारित अर्जनों में (अथवा इक्विटी के अन्य घटकों में, जैसा उपयुक्त हो) दी जा सकती है। प्रारंभिक प्रतिधारित अर्जन तथा 'इक्विटी' के अन्य घटकों के बीच परिवर्तन के आवंटन के बिना यदि प्रतिष्ठान इस राहत का प्रयोग करता है तो यह इस तथ्य का प्रकटन करेगा।”;

(vii) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 7 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्,-

“8. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 89 से 98घ एवं 98च भारतीय लेखा मानक 12 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 12 के साथ पैरा संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से, पैरा संख्या को भारतीय लेखा मानक 12 में जारी रखा गया है।”;

XIII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16” में,-

(i) अनुच्छेद 68 क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“68क लेकिन, यदि प्रतिष्ठान द्वारा अपने सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत और नेमी (रूटीन) रूप में, ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मर्दों की बिक्री की जाती है जो उसने दूसरों को किराए पर देने के लिए धारित की थी, अब उन्हें किराए पर न देकर बिक्री के लिए धारित करता है तो ऐसी आस्तियों को वह अग्रणीत मूल्य पर सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में अंतरित करेगा। ऐसी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के अनुसरण में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। जब व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी आस्तियों को सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में अंतरित किया जाता है जो इस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 105 लागू नहीं होगा।”;

(ii) अनुच्छेद 69 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“69. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी मद का निपटान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है (उदाहरणतया, बिक्री द्वारा, वित्तीय पट्टे (लीज) द्वारा अथवा दान द्वारा)। सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की एक मद के निपटान की तिथि वही तिथि होती है जिस पर मद प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कार्य निष्पादन बाध्यता कब पूरी हुई इसके निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है। भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री तथा वापसी पट्टे पर (लीज बैक) द्वारा निपटान की स्थिति में लागू होता है।”;

(iii) अनुच्छेद 72 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“72. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में शामिल, प्रतिफल की राशि भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47 से 72 में लेन-देन कीमत के निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसरण में निश्चित की जाती है। लाभ या हानि में शामिल प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में उत्तरवती परिवर्तनों का लेखा भारतीय लेखा मानक 115 में लेन-देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है।”;

(iv) अनुच्छेद 79 के पश्चात्, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“संक्रमणकालीन उपबंध

80	*
80क	*
80ख	*
80ग	*

प्रभावी तिथि

81	*
81क	*
81ख	*
81ग	*
81घ	*
81ङ	*
81च	*
81छ	*

* देखें परिशिष्ट 1

81ज *

81झ *

81ज भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 68क, 69 व 72 संशोधित किये गये हैं। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(ii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 80 से 80ग संक्रमणकालीन उपबंधों पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 16 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध जहां उचित समझा गया भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित किये गये हैं। अनुच्छेद 81 से 81झ भारतीय लेखा मानक 16 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 16 में जारी रखा गया है।”;

(iv) परिशिष्ट ग में -

(क) अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“1 परिशिष्ट घ- सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 115, ‘ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व’ में समाविष्ट।”;

(ख) अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2 परिशिष्ट ड - सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटन भारतीय लेखा मानक 115, ‘ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व’ में समाविष्ट।”;

XIV. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 17” में,-

(i) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद 8 में, प्रारम्भिक अनुच्छेद जो “भारतीय लेखा मानक” से प्रारम्भ होकर “सही नहीं होगा” से समाप्त होता है, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

* देखें परिशिष्ट 1

“8. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की अपेक्षाएं प्रत्येक व्यवस्था की परिस्थितियों एवं तथ्यों के निर्धारण करने में प्रयुक्त होगी कि प्रतिष्ठान को शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय को कब मान्यता दी जाए। ऐसे कारक, जैसे कि, क्या शुल्क अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भावी कार्य-निष्पादन दायित्वों के रूप में लगातार संलग्न रहना आवश्यक है, क्या जोखिम प्रतिधारित है, यह कि, किसी गारंटी व्यवस्था की शर्त है और शुल्क के पुनर्भुगतान का कोई जोखिम है आदि सभी पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार के संकेत, जो व्यक्तिगत रूप से दर्शाते हैं कि समस्त शुल्क, जब आय के रूप में मान्य हो, यदि व्यवस्था के आरंभ में प्राप्त हो तो निम्नलिखित को उनमें शामिल करना सही नहीं होगा:”;

(ii) परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 4 की मद(ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ख. भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाएं हैं।”;

(iii) परिशिष्ट घ में -

(क) अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“1. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट-घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं”;

(ख) अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2. भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट-ड सेवा रियायत व्यवस्थाएं: प्रकटना”;

XV. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 18” का लोप किया जायेगा।

XVI. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 21” में:-

(i) परिशिष्ट ‘क’ के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट ख, विदेशी-मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखामानक का अभिन्न अंग है।

1. भारतीय लेखा मानक 21, *विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव*, का अनुच्छेद 21 प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह विदेशी मुद्रा लेन-देन को इसकी प्रारंभिक मान्यता पर कार्यात्मक मुद्रा में, विदेशी मुद्रा राशि को लेन-देन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा (विनिमय दर) के बीच हाजिर विनिमय दर पर रिकार्ड करें। भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 22 में स्पष्ट किया गया है कि लेन-देन की तिथि वह तिथि है जिस पर भारतीय लेखा मानक (मानकों) के अनुसार लेन-देन प्रथम बार मान्यता के योग्य होता है।
2. जब प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा में प्रतिफल का अग्रिम भुगतान करता है अथवा उसे प्राप्त करता है तब वह संबंधित आस्ति, व्यय अथवा आय को मान्यता देने से पहले सामान्यतः गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा गैर-मौद्रिक दायित्व² को मान्यता देता है। संबंधित आस्ति, व्यय अथवा आय (या इनके भाग) वह राशि है जिसे उपयुक्त मानकों का प्रयोग करके मान्यता दी गई है जो गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा गैर-मौद्रिक दायित्व की अमान्यता के फलस्वरूप है।
3. प्रारंभ में, प्रश्न यह था कि राजस्व को मान्यता देते समय भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 21-22 को लागू करके 'लेन देन की तिथि' का निर्धारण कैसे किया जाए। प्रश्न विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर चर्चा करता है, जिनमें प्रतिष्ठान अग्रिम प्रतिफल की प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक दायित्व को, संबंधित राजस्व से पहले मान्यता देता है। यह नोट किया गया कि विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल की प्राप्ति अथवा भुगतान केवल राजस्व-संबंधी लेन-देन तक ही सीमित नहीं है। तदनुसार, जब प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल प्राप्त करता है अथवा उसका भुगतान करता है, यह परिशिष्ट संबंधित आस्ति, व्यय अथवा आय की प्रारंभिक मान्यता पर प्रयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारण करने के उद्देश्य से लेन-देन की तिथि को स्पष्ट करता है।

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट विदेशी मुद्रा लेन-देन (अथवा इसके भाग) पर तब लागू होता है जब प्रतिष्ठान संबंधित आस्ति, व्यय अथवा आय (या इसके भाग) को मान्यता देने के पहले अग्रिम प्रतिफल

² उदाहरण के रूप में, भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 106 के अनुसार यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान कर देता है या प्रतिष्ठान का प्रतिफल की राशि के लिए कोई शर्तहीन अधिकार है (अर्थात् उसके लिए वह एक प्राप्य राशि है), इससे पूर्व कि प्रतिष्ठान ग्राहक को एक वस्तु या सेवा अंतरण करता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा जब तक भुगतान हो गया है या भुगतान देय है (इनमें से जो पहले हो)।

के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा गैर-मौद्रिक दायित्व को मान्यता देता है।

5. यह परिशिष्ट तब लागू नहीं होता है जब प्रतिष्ठान संबंधित आस्ति, व्यय अथवा आय को प्रारंभिक मान्यता पर निम्न प्रकार मापता है :
- (क) उचित मूल्य पर, अथवा
- (ख) अग्रिम प्रतिफल से उत्पन्न गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा गैर-मौद्रिक दायित्व को प्रारंभिक मान्यता दिए जाने की तिथि से भिन्न किसी अन्य तिथि पर प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य पर (उदाहरण के लिए, भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*, को लागू करते हुए ख्याति का माप)
6. प्रतिष्ठान से इस परिशिष्ट को निम्नलिखित पर लागू करना अपेक्षित नहीं है :
- (क) आयकरों पर, अथवा
- (ख) इसके द्वारा जारी बीमा अनुबंधों (पुनर्बीमा अनुबंधों सहित) अथवा इसके द्वारा धारित पुनर्बीमा अनुबंध।

मुद्रा

7. यह परिशिष्ट विदेशी मुद्रा के भुगतान अथवा प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा गैर-मौद्रिक दायित्व की अमान्यता पर संबंधित आस्ति, व्यय अथवा आय (अथवा इसके भाग) की प्रारंभिक मान्यता पर प्रयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारण करने के प्रयोजन से लेन-देन की तिथि कैसे निर्धारित की जाए, इसका समाधान करता है।

लेखा सिद्धांत

8. भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 21 से 22 का प्रयोग करते हुए, आस्ति, व्यय अथवा आय (अथवा इसके भाग) की प्रारंभिक मान्यता के लिए विनिमय-दर निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु लेन-देन की तिथि वह तिथि होती है जिस पर प्रतिष्ठान अग्रिम प्रतिफल के भुगतान अथवा प्राप्ति पर उत्पन्न गैर-मौद्रिक आस्ति अथवा गैर-मौद्रिक दायित्व को प्रारंभिक मान्यता देता है।
9. यदि अग्रिम रूप में ऐसे बहुत-से भुगतान अथवा प्राप्ति होती हैं, तो प्रतिष्ठान अग्रिम प्रतिफल के प्रत्येक भुगतान अथवा प्राप्ति के लिए लेन-देन की तिथि निर्धारित करेगा।

परिशिष्ट 'ख' की प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

यह परिशिष्ट 'ख' का अभिन्न अंग है और इसका वही प्राधिकार है जो परिशिष्ट 'ख' के अन्य अंगों का है।

प्रभावी तिथि

क1. एक प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट को 1 अप्रैल, 2018 को या इसके बाद वार्षिक रिपोर्टिंग आबंटियों के लिए लागू करेगा।

क2. प्रारंभ में लागू करने पर, प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसी प्रकार करेगा:

(क) भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियों को पूर्व प्रभाव से लागू करना, अथवा

(ख) निम्नलिखित तिथि को या उसके बाद परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी आस्तियों, व्ययों अथवा आय के लिए भावी प्रभाव से;

(i) उस रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में, जिसमें प्रतिष्ठान परिशिष्ट का पहली बार प्रयोग करता है, अथवा

(ii) उस पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि में, जो तुलनात्मक सूचना के रूप में प्रस्तुत हो जिस रिपोर्टिंग अवधि के वित्तीय विवरण में प्रतिष्ठान परिशिष्ट का प्रयोग पहली बार करता है।

क3. एक प्रतिष्ठान, जो अनुच्छेद क2(ख) का प्रयोग करता है, इसके प्रारंभिक प्रयोग पर, उन आस्तियों, व्ययों तथा आय के लिए परिशिष्ट का प्रयोग करेगा जो अनुच्छेद क2(ख)(i) अथवा (ii) में रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में अथवा उसके बाद प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। जिसके लिए प्रतिष्ठान ने उस तिथि के पहले अग्रिम प्रतिफल से उत्पन्न गैर-मौद्रिक आस्तियों अथवा गैर-मौद्रिक दायित्वों को मान्यता दी है।”;

(ii) परिशिष्ट 1 में ,

(क) संबंधित टिप्पणी में शब्द ,‘परिवर्तन के प्रभाव’ के पश्चात् तथा ‘के बीच यदि’ से पूर्व ,‘एवं आई एफ आर आई सी 22 ,विदेशीमुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल-’ शब्द को सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) शीर्षक में शब्द ,‘के प्रभाव’ के पश्चात् ‘एवं आई एफ आर आई सी 22’ शब्द सम्मिलित किया जाएगा।

XVII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23” के परिशिष्ट-क के अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट-घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं भी इस भारतीय लेखा मानक के लिए संदर्भ हैं।”;

XVIII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28” में:-

(i) अनुच्छेद 18 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा है, अर्थात्:-

“18 जब एक प्रतिष्ठान ने किसी सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) या संयुक्त उद्यम में निवेश धारित किया है या फिर निवेश को अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे प्रतिष्ठान के माध्यम से धारित किया है जो उद्यम पूंजी संगठन, या म्यूचल फंड, यूनिट ट्रस्ट और निवेश संबद्ध बीमा फंड्स सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठान हैं तब वह प्रतिष्ठान उन निवेशों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करने के लिए चयन कर सकता है। प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) अथवा संयुक्त उद्यम के प्रारंभिक मान्यता पर प्रत्येक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लिए यह चयन पृथक रूप से करेगा।”;

(ii) अनुच्छेद 36 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“36क अनुच्छेद 36 में की गई अपेक्षाओं के होते हुए भी, यदि एक निवेश प्रतिष्ठान इक्विटी प्रणाली को लागू करते समय वह निवेश प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम अनुषंगी इकाइयों में सहयोगी प्रतिष्ठान के या संयुक्त उद्यम के हितों का निवेश प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त उचित मूल्य माप बरकरार रखने का चयन कर सकता है। यह चयन प्रत्येक निवेशकर्ता अथवा संयुक्त उद्यम के लिए, उस तिथि के बाद की तिथि में, पृथक रूप से करेगा जिस तिथि को (क) निवेशकर्ता प्रतिष्ठान ने अपने सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम को प्रारंभिक मान्यता दी है, (ख) सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम एक निवेशकर्ता प्रतिष्ठान हो जाता है, तथा (ग) निवेशकर्ता प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम का प्रथमबार मूल प्रतिष्ठान होता है।”;

(iii) अनुच्छेद 44 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

45	*
45क	*
45ख	*

* देखें परिशिष्ट 1

45ग *

45घ *

45ङ भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार - भारतीय लेखा मानक 112 व 28 में सशोधन, के अंतर्गत अनुच्छेद 18 व 36क को संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार उन संशोधनों को दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए पूर्व प्रभाव से लागू करेगा।”;

(iv) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4. अनुच्छेद 45 से 45घ सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि एवं संक्रमण से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ,अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 28 में जारी रखा गया है।”;

XIX. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32” में -

(i) अनुच्छेद 50 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक एवं अनुच्छेद सम्मिलित किये जाएंगे, अर्थात् :-

“प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

96 *

96क *

96ख *

96ग *

97 *

97क *

97ख *

97ग *

97घ *

97ङ *

97च *

97छ *

97ज *

97झ *

97ञ *

97ट *

97ठ	*
97ड	*
97ढ	*
97ण	*
97त	*

97थ. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद दिनि21 संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(ii) परिशिष्ट-क में अनुच्छेद दिनि21 को निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“दिनि21 भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, में यथोपेक्षित को छोड़कर, अनुबंध जिसमें कि भौतिक आस्तियों की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी समाहित है किसी एक पक्ष (पार्टी) की वित्तीय आस्ति में तथा एक अन्य पक्ष (पार्टी) की वित्तीय दायित्व में वृद्धि नहीं करती जब तक कि की अनुरूप (कोरसपौंडिंग) भुगतान उस तिथि तक अस्थागित नहीं हो जाता जिस तिथि को भौतिक आस्तियां अंतरित नहीं हो जाती। इस प्रकार का मामला व्यापार ऋण पर माल की खरीद अथवा बिक्री के मामले में होता है।”;

(iii) परिशिष्ट-ख का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“1. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व परिशिष्ट-घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं में समाविष्ट।”;

(vi) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 2 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 96 से 97त. संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 32 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं । सभी संक्रमणकाल उपबंध, जहां उचित समझे गये, ‘आईएफआरएस’ 1 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं और प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 32 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की

* देखें परिशिष्ट 1

क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ,अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 32 में जारी रखा गया है।”;

XX. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34” में -

(i) अनुच्छेद 15ख. की मद (ख) निम्नलिखित मद द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(ख) वित्तीय आस्तियों, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, अमूर्त आस्तियों, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से सृजित आस्तियों या अन्य आस्तियों की क्षतिग्रस्तता से हानि की मान्यता तथा ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि का उलटावा।”;

(ii) अनुच्छेद 16क की मद (ट) के पश्चात निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(ड) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुच्छेद 114 से 115 द्वारा अपेक्षित ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथक्कीकरण।”;

(iii) अनुच्छेद 45 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:-

“प्रभावी तिथि एवं संक्रमण

46	*
47	*
48	*
49	*
50	*
51	*
52	*
53	*
54	*

55. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 15ख एवं 16क संशोधित किये गये हैं। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(iv) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

* देखें परिशिष्ट 1

“7. भारतीय लेखा मानक 34 में अनुच्छेद 46 से 54 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 34 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 34 में जारी रखा गया है।”;

XXI. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36” में, -

(i) अनुच्छेद 2 की मद (ख) निम्नलिखित मद द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

“(ख) अनुबंध आस्तियां और वे आस्तियां जो अनुबंध प्राप्त करने और उसे पूरा करने से उद्भूत हैं और वे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के अनुसरण में मान्य हैं; “;

(ii) अनुच्छेद 137 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :-

“संक्रमणकालीन उपबंध एवं प्रभावी तिथि

138	*
139	*
140	*
140क	*
140ख	*
140ग	*
140घ	*
140ङ	*
140च	*
140छ	*
140ज	*
140झ	*
140ञ	*
140ट	*

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

140ठ. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 2 संशोधित कर दिया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(iii) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 7 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् -

“8. भारतीय लेखा मानक 36 में अनुच्छेद 138 से 140ट सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 36 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 36 में जारी रखा गया है।”;

XXII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37” में-

(i) अनुच्छेद 5 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5. जहां कोई अन्य मानक किसी विशेष प्रकार के प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्ति पर चर्चा करता है तब प्रतिष्ठान इस मानक की बजाय उसी मानक को लागू करता है। उदाहरणतया, निम्नलिखित प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के प्रावधानों पर चर्चा ऐसे अन्य मानकों में की गई है:

(क) लोपित *

(ख) आयकर (देखें भारतीय लेखा मानक 12, *आयकर*);

(ग) पट्टे (देखें भारतीय लेखा मानक 17, *पट्टे*)। लेकिन, चूंकि भारतीय लेखा मानक 17 में दूधर परिचालन पट्टों के लिए कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं हैं, यह मानक ऐसे मामलों पर लागू होता है;

(घ) कर्मचारी लाभ (देखें भारतीय लेखा मानक 19, *कर्मचारी लाभ*);

(ङ) बीमा अनुबंध (देखें भारतीय लेखा मानक 104, *बीमा अनुबंध*)। तथापि, यह मानक एक बीमाकर्ता के प्रावधानों, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों पर तो लागू होता है, लेकिन, यह उन पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 104, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंधों के अधीन अनुबंधात्मक बाध्यताओं और अधिकारों से उत्पन्न हों;

(च) एक व्यावसायिक संयोजन में एक अधिग्राहक (अधिग्रहणकर्ता) के आकस्मिक प्रतिफल (देखें भारतीय लेखा मानक 103, *व्यावसायिक संयोजन*); और

(छ) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (देखें भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व*) लेकिन, जैसे कि भारतीय लेखा मानक 115 के ग्राहकों के साथ उन अनुबंधों पर चर्चा करने के लिए विशेष अपेक्षाओं को समाविष्ट नहीं करता जो या तो दूभर है या फिर हो गये हैं, यह मानक इस प्रकार के मामलों पर लागू होता है।”;

(ii) अनुच्छेद 6 हटाया गया है।

(iii) अनुच्छेद 92 के पश्चात्, निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :-

“संक्रमणकालीन उपबंध

93 *

94 *

प्रभावी तिथि

95 *

96 *

97 *

98 *

99 *

100 भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के जारी होने के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 5 संशोधित किया गया है एवं अनुच्छेद 6 हटा दिया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(iv) परिशिष्ट-घ में अनुच्छेद (i) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध में राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट-घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं* तथा परिशिष्ट-ड सेवा रियायत व्यवस्थाएं - प्रकटन”;

(v) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

* देखें परिशिष्ट 1

“3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं ‘हटायी गई’ प्रदर्शित हैं। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक एवं भारतीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 37 में जारी रखा गया है:-

- (i) अनुच्छेद 1(ख)
- (ii) अनुच्छेद 4
- (iii) अनुच्छेद 5(क)
- (iv) अनुच्छेद 6.”;

(vi) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित (जोड़ा) गया है, अर्थात् :-

“4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 93 से 99 संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 37 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझे गये, ‘आईएफआरएस’ 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं और प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ,अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 37 में जारी रखा गया है।”;

XXIII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38” में-

(i) अनुच्छेद 3 की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

(क) सामान्य व्यवसाय के दौरान, किसी प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री के लिए धारित अमूर्त आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)]

(ii) अनुच्छेद 3 की मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित मद सम्मिलित (जोड़ी) जाएगी, अर्थात्

(झ) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुसरण में मान्य ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न आस्तियां।

(iii) अनुच्छेद 114 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

114. अमूर्त आस्ति का निपटना कई ढंग से हो सकता है (उदाहरण के लिए, बिक्री, वित्तीय पट्टे अथवा दान द्वारा)। ऐसी आस्ति के निपटान की तिथि वह तिथि होती है जिस पर प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व*, के अनुसार जब कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी करने का नियंत्रण प्राप्त करता है। भारतीय लेखा मानक 17, बिक्री तथा वापसी पट्टे द्वारा निपटान पर लागू होता है।

(iv) अनुच्छेद 116 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

116 अमूर्त आस्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में शामिल प्रतिफल की राशि का निश्चय भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47-72 में लेन-देन कीमत के निश्चय की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है। लाभ (गेन) या हानि में शामिल प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में बाद के परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 115, की लेन-देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है।

(v) अनुच्छेद 128 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :-

“संक्रमणकालीन उपबंध एवं प्रभावी तिथि

129 *

130 *

130क *

130ख *

130ग *

130घ *

130ङ *

130च *

130छ *

130ज *

130झ *

130ञ *

130ट. भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 3, 114, 116 और परिशिष्ट-क में अनुच्छेद 6 संशोधित किये गये हैं।

* देखें परिशिष्ट 1

* देखें परिशिष्ट 1

एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”;

(vi) परिशिष्ट-क के अनुच्छेद 6 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

6. भारतीय लेखा मानक 38, उन अमूर्त आस्तियों पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 17, की सीमा के भीतर प्रतिष्ठान द्वारा सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान बिक्री के लिए (देखें भारतीय लेखा मानक 2 तथा भारतीय लेखा मानक 115) अथवा पट्टे के लिए रखी गई हों। तदनुसार, यह परिशिष्ट किसी अन्य प्रतिष्ठान को बेची जाने वाली वेबसाइट विकसित करने अथवा चलाने (अथवा वेबसाइट के सॉफ्टवेयर) पर किये गये खर्च पर लागू नहीं होता। जब कोई वेबसाइट परिचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टाकर्ता इस परिशिष्ट का प्रयोग करता है। जब कोई वेबसाइट वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो पट्टे वाली आस्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस परिशिष्ट को लागू करता है।

(vii) परिशिष्ट ख में -

(क) अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“1. परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं, भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट”;

(ख) अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“परिशिष्ट ड सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट”;

(viii) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 129 से 130ज संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 38 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। सभी संक्रमणकाल उपबंध, जहां उचित समझे गये, 'आईएफआरएस' 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुसारी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं और प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 38 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ,अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 38 में जारी रखा गया है।”;

XXIV. मूल नियमों में, शीर्षक “ख, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)” के अन्तर्गत “अनुबंध” में “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40” में -

(i) अनुच्छेद 3 की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) निवेश सम्पत्ति से पट्टा आय की मान्यता (देखें भारतीय लेखांकन ममानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)”;

(ii) अनुच्छेद 9 की मद (ख) का लोप किया जायेगा।

(iii) अनुच्छेद 57 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“57. प्रतिष्ठान एक संपत्ति को निवेश संपत्ति में अथवा निवेश संपत्ति से अंतरण तब, और केवल तब करेगा, जब उपयोग में परिवर्तन हो। उपयोग में परिवर्तन तब होता है, जब संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है अथवा पूरा नहीं कर पाती है तथा उपयोग में परिवर्तन के साक्ष्य होता है। अलग से, संपत्ति के उपयोग के लिए प्रबंधन के आशय में परिवर्तन होना उपयोग में परिवर्तन होने का साक्ष्य नहीं है। उपयोग में परिवर्तन होने के प्रमाणस्वरूप उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -

(क) निवेश संपत्ति से स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति में अंतरण के लिए स्वामी द्वारा अधिग्रहण का प्रारंभ अथवा स्वामी के अधिग्रहण की दृष्टि से विकास प्रारंभ करना;

(ख) निवेश संपत्ति से सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) में हस्तांतरण के लिए बिक्री के विचार से विकास का आरंभ;

(ग) स्वामी द्वारा अधिग्रहीत संपत्ति से निवेश संपत्ति में हस्तांतरण के लिए स्वामी के कब्जे या अधिभोग की समाप्ति; और

(घ) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) से निवेश संपत्ति में हस्तांतरण के लिए अन्य पक्ष के हित में एक परिचालन पट्टे का प्रारंभ।

(ङ) लोपित ”;

(iv) अनुच्छेद 58 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“58. जब प्रतिष्ठान बिना विकास के निवेश संपत्ति के निपटान का निर्णय लेता है तो वह संपत्ति को निवेश संपत्ति ही पुनर्वर्गीकरण नहीं कर लेता है, तब तक इसे अमान्य नहीं कर दिया जाता है (तुलन-पत्र से हटा नहीं दिया जाता) तथा इसे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) के रूप में पुनर्वर्गीकरण नहीं कर लेता। इसी तरह, यदि एक प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति के रूप में

* देखें परिशिष्ट 1

भविष्य के निरन्तर उपयोग के लिए एक मौजूदा निवेश संपत्ति को पुनः विकसित करना आरंभ करता है, तो वह संपत्ति एक निवेश संपत्ति रही है तथा उसे पुनः विकास के दौरान स्वामी द्वारा गृहीत संपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।”;

(v) अनुच्छेद 67 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“67 निवेश सम्पत्ति का निपटान बिक्री द्वारा या वित्त पट्टे में सम्मिलित होकर किया जा सकता है। निवेश सम्पत्ति के निपटान की तिथि वही होगी जो भारतीय लेखा मानक 115 में कार्य निष्पादन की बाध्यता की पूर्ति की निर्धारण अपेक्षाओं के अनुसरण में निवेश सम्पत्ति का प्राप्तकर्ता जिस तिथि को नियंत्रण प्राप्त करता है। लेकिन भारतीय लेखा मानक 17 निवेश सम्पत्तियों के निपटान पर लागू होता है जो वित्त पट्टे से प्रभावित बिक्री और पट्टावापसी से संबंधित हैं।”;

(vi) अनुच्छेद 70 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“70 एक निवेश सम्पत्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन) या हानि में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिफल की राशि का निर्धारण भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47-72 में लेनदेन कीमत की निर्धारण अपेक्षाओं” अनुसार किया जाता है। लाभ (गेन) या हानि में सम्मिलित प्रतिफल की प्राक्कलित (अनुमानित) राशि में परवर्ती परिवर्तनों का लेखा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115 में लेन देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।”;

(vii) अनुच्छेद 79 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् -

“संक्रमणकालीन उपबंध

- 80 *
- 81 *
- 82 *
- 83 *
- 84 *
- 84क *
- 84ख *

* देखें परिशिष्ट 1

निवेश संपत्ति का अंतरण

84ग. निवेश संपत्ति का अंतरण (भारतीय लेखा मानक 40 में संशोधन) के अंतर्गत, संशोधित अनुच्छेद 57-58 को संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों का प्रयोग ऐसे उपयोग में परिवर्तनों के लिए करेगा जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में अथवा उसके बाद घटेगा जिसमें प्रतिष्ठान प्रथमबार संशोधनों को लागू करता है। प्रारंभिक प्रयोग की तिथि पर प्रतिष्ठान उस तिथि को धारित संपत्ति के वर्गीकरण का पुनर्निर्धारण करेगा, और यदि लागू होगा, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 7-14 का प्रयोग करते हुए उन स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए जो उस तिथि को विद्यमान होती हैं, संपत्ति का पुनर्वर्गीकरण करेगा।

84घ. अनुच्छेद 84ग में अपेक्षाओं के बावजूद भी प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अनुच्छेदों 57-58 में संशोधनों को पूर्व प्रभाव से लागू करने की तब अनुमति होती है, यदि, और केवल यदि, पश्चदृष्टि का उपयोग किए बिना वह संभव होता हो।

84ङ यदि अनुच्छेद 84ग के अनुसार, यदि प्रतिष्ठान प्रारंभिक प्रयोग की तिथि पर संपत्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है, तो वह निम्नलिखित अनुसार करेगा : -

(क) अनुच्छेद 59 की अपेक्षाओं को लागू करते हुए पुनर्वर्गीकरण का लेखा इस प्रकार करेगा

(i) *

(ii) *

(ख) अनुच्छेद 84ग के अनुसार, वह निवेश संपत्ति में पुनर्वर्गीकरण अथवा निवेश संपत्ति से पुनर्वर्गीकरण राशियों का प्रकटन करेगा। प्रतिष्ठान उन राशियों को प्रकट करेगा जो अनुच्छेद 79 द्वारा यथापेक्षित अवधि के प्रारंभ तथा अंत की निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि के मिलान के भाग के रूप में पुनर्वर्गीकृत हैं।

प्रभावी तिथि

85	*
85क	*
85ख	*
85ग	*
85घ	*

* देखें परिशिष्ट 1

85ड भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व* के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 3(ख), 9, 67 व 70 संशोधित किये गये हैं। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।

85च *

85छ निवेश संपत्ति का अंतरण (भारतीय लेखा मानक 40 में संशोधन), के अंतर्गत, अनुच्छेद 57-58 को संशोधित किया गया है तथा अनुच्छेद 84ग-84ड जोड़ा गया है। प्रतिष्ठान उन संशोधनों को दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को अथवा इसके या उसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा।”;

(iv) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 1 में मद (xi) के पश्चात् निम्नलिखित मद सम्मिलित की जाएगी, अर्थात् -

“(xii) अनुच्छेद 84ड (i)-(ii) ”;

(ख) अनुच्छेद 7 की मद (i) निम्न अनुसार सम्मिलित की जाएगी, अर्थात् :-

“(i) अनुच्छेद 9(ख)”;

(ग) अनुच्छेद 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेदों सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“8. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 80 से 84क संक्रमणकालीन उपबंधों पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 40 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। सभी संक्रमणकाल उपबंध, जहां उचित समझे गये, ‘आईएफआरएस’ 1 *अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण* के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, *भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण* में सम्मिलित कर दिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 85 से 85घ भारतीय लेखा मानक 40 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से उन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 40 में जारी रखा गया है।

9. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 में अनुच्छेद 84ख और 85च को पट्टे संबंधित (*आईएफआरएस 16, पट्टे*) पर (नए मानक जारी किए जाने के परिणामस्वरूप जोड़े गए हैं)। भारत में, ‘आईएफआरएस 16’ का तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक अभी प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 116 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन अनुच्छेदों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।”;

[फा.सं.01/01/2009-सीएल.V खंड VI]

के.वी.आर.मूर्ति
28/3/18
(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
के. वी. आर. मूर्ति/K V R MURTY
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
Ministry of Corporate Affairs
भारत सरकार/Govt. of India
शास्त्री भवन, नई दिल्ली/Shastri Bhawan, New Delhi

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 फरवरी, 2015 की सा.का.नि.111(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें तारीख 30 मार्च, 2016 की सा.का.नि.365(अ) और तारीख 17 मार्च, 2017 की सा.का.नि.258(अ) द्वारा पश्चात्कर्ती संशोधन किए गए।